सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग + INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या–1

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या - 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xiv
पहला अध्याय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
जवाब देयता संरचना	1.2 - 1.4	1-2
छत्तीसगढ़ शासन का अंश	1.5	2
राज्य के पीएसयूज में निवेश	1.6 - 1.7	2-4
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय	1.8	4-5
वित्त लेखों से समाधान	1.9	6
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.10 - 1.11	6-7
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	1.12	7
लेखों का अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव	1.13	8
अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन	1.14 - 1.17	8-10
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.18 - 1.19	10-11
लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया	1.20	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.21 - 1.23	12-13
दूसरा अध्याय		
सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	2	--
छत्तीसगढ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन	2.1	15
कार्यकारी सारांश	--	15-17
प्रस्तावना	2.1.1-2.1.2	17-19
संगठन संरचना	2.1.3	19-20
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.1.4	20
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.1.5	20-21
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.1.6	21
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	2.1.7	21-22
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	--	22
वित्तीय प्रबंधन	2.1.8.1-2.1.8.7	22-26
योजना का क्रियान्वयन	2.1.9	26

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
भाग–अ–आईटी समर्थ प्रणाली	2.1.10.1-2.1.10.10	26-34
पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकडें अभिग्रहण प्रणाली की स्थापना	2.1.11.1	35-36
भाग–ब– वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.1.12, 2.1.13.1 – 2.1.13.7	36-42
आंतरिक नियंत्रण, निगरानी एवं प्रशिक्षण	2.1.14.1-2.1.14.5	42-46
निष्कर्ष	--	46-47
अनुशंसायें	--	47-48
छत्तीसगढ खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर लेखापरीक्षा	2.2	49
प्रस्तावना	2.2.1	49
खनिजों का खनन एवं विपणन	2.2.2	49-52
वित्तीय प्रदर्शन	2.2.3	52
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	--	53
कोयला का खनन	2.2.4.1	53-54
बॉक्साइट का खनन	2.2.5.1-2.2.5.12	54-62
लौह अयस्क का खनन	2.2.6.1-2.2.6.2	62-64
टिन अयस्क का खनन	2.2.7.1	65
कोलंबाइट का व्यापार	2.2.8	65-67
पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमनों का अनुपालन	2.2.9	67-68
निष्कर्ष	-	68-69
अनुशंसायें	-	69-70
तीसरा अध्याय		
लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3	71
छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड		
विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अधिक निर्धारण करने के फलस्वरुप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया	3.1	71-73
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड		
आयकर का परिहार्य भुगतान	3.2	73-75
आधिक्य धान बीज के विक्रय में हानि	3.3	75-77
छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
उच्चतर दर पर कार्यादेश देना	3.4	77-80
भू–प्रीमियम का कम निर्धारण	3.5	80-81

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
ब्याज की वसूली में असफल होने से हानि	3.6	81-82
ब्याज का अधिक भुगतान	3.7	82-83
निम्न ब्याज दर पर नकद साख न लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज का भार	3.8	84-85
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड		
जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न करने से हानि	3.9	86-87

अनुलग्नक

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरण/लेखों के आधार पर सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति/कार्यकारी परिणाम	1.1 एवं 1.14	89-92
1.2	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज में किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनके लेखे बकाया है	1.11	93
2.1.1	योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये परियोजना शहरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	2.1.6	94-95
2.1.2	योजना के स्वीकृत लागत, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.1.7, 2.1.10-2.1.12	96-97
2.1.3	उपभोक्ता सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.1.10.4, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8	98-100
2.1.4	भाग–ब कार्य के पूर्ण होने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.1.13.5	101-103
2.2.1	वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.3	104
2.2.2	माइनिंग प्लान में अनुमोदित पाँच वर्षों की वार्षिक मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.5.10	105
2.2.3	31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए वर्ष–वार प्रारंभिक शेष, जमा राशि तथा देय रॉयल्टी को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.5.12	106
3.1	वर्ष 2014–15 के लिए क्रय मूल्य का आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों में प्रस्तावित दर की तुलना में उच्चतम दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रक	3.1	107-112

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.2	वर्ष 2015–16 के लिए क्रय मूल्य का आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों में प्रस्तावित दर की तुलना में उच्चतम दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रक	3.1	113-135
3.3	आबंटिती से वसूल किया गया भू–प्रीमियम और सेवा प्रभार को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.5	136
3.4	मेसर्स सालासार पाईप प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.5	137
3.5	केएफसीएससीएल द्वारा कम्पनी को किया गया भुगतान और ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.6	138

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की कम्पनियों एवं सांविधिक निगम की 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) के द्वारा सत्यापित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करता है। इसके अलावा, इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–अ के प्रावधानों के अधीन सरकारी कम्पनियों या निगमों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को दिए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित है जो वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे। 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है। पहले अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप समाहित है। दूसरे अध्याय में छत्तीसगढ़ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर एक लेखापरीक्षा सम्मिलित है। तीसरे अध्याय में लेन–देन से संबंधित नौ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल है। लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 521.68 करोड़ है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य में 21 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम [1] थे। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। 30 सितम्बर 2016 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ₹ 21579.75 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया एवं ₹ 1108.05 करोड़ की हानि उठाई। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में, 31 मार्च 2016 को 20317 कर्मचारी नियोजित थे।

(कंडिका 1.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2016 को राज्य के 22 पीएसयूज (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 27881.71 करोड़ था, जो कि 2011–12 के ₹ 17734.35 करोड़ से 57.22 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 44.28 प्रतिशत पूँजी तथा 55.72 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। पीएसयूज में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2011–12 में ₹ 17301.26 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 25157.36 करोड़ हो गया। 2015–16 के दौरान शासन ने समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 2524.42 करोड़ का अंशदान किया।

(कंडिका 1.6,1.7 एवं 1.8)

अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 22 पीएसयूज में से 12 पीएसयूज ने ₹ 488.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ पीएसयूज ने ₹ 1596.98 करोड़ की हानि उठाई। एक पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई एवं एक पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 1554.17 करोड़ एवं ₹ 40.32 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 1.15)

---

[1]छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान 20 कार्यशील पीएसयूज (एक सांविधिक निगम सहित) के 23 अंतिमीकृत लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों को मर्यादित प्रमाण–पत्र, 17 लेखों को अमर्यादित प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का वर्ष के दौरान 15 लेखों में 26 मामलों में गैर अनुपालन देखा गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया।

(कंडिका 1.18 एवं 1.19)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

30 सितम्बर 2016 तक पंद्रह पीएसयूज के 33 लेखे बकाया है। लंबित लेखे की अवधि एक से पाँच वर्ष की है। पीएसयूज को बकाया के निराकरण पर विशेष ध्यान देते हुए लेखों को तैयार करने संबंधी कार्य हेतु लक्ष्यों के निर्धारण की आवश्यकता है।

(कंडिका1.10)

2 सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 छत्तीसगढ़ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

प्रस्तावना

2009–10 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की वितरण व्यवस्था की हानियाँ अत्याधिक उच्च 36.29 प्रतिशत के औसत पर थी। इस प्रकार के विषयों पर ध्यान देकर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को भारत सरकार द्वारा सुधार एवं पुनर्नामांकित (जुलाई 2008) कर "पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)" किया गया और सितम्बर 2009 में छत्तीसगढ में लागू किया। आर–एपीडीआरपी के मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था में विद्युत की हानि { कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि } को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना था। योजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। आर–एपीडीआरपी की कुल परियोजना लागत ₹ 873.75 करोड़ थी।

आर–एपीडीआरपी की परियोजनाऐं भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) छत्तीसगढ़ के चुने हुए 20 शहरों में ₹ 122.45 करोड़ की परियोजना लागत के साथ, पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आँकड़े अभिग्रहण प्रणाली (स्काडा) ₹ 41.06 करोड़ के परियोजना लागत के साथ चुने हुए 2 शहरों में तथा भाग–ब (वितरण प्रणाली में सुदृढ़ीकरण) ₹ 710.24 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 19 चुने हुए शहरों में क्रियान्वित हुए है।

बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व 17 माड्युल के साथ आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र का क्रियान्वयन भाग–अ में सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों में स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित किये जा रहे थे। नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग–ब में सम्मिलित किये गये। योजना का भाग–अ अगस्त 2015 तक पूर्ण किया गया। जबकि स्काडा के

कार्यान्वयन में मार्च 2016 तक कोई प्रगति नहीं थी। योजना के भाग–ब के संबंध में मार्च 2016 तक 84 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गयी।

विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 के दौरान, 20 शहरों में विद्युत वितरण हानियाँ की सीमा 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के बीच थी। ₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में एटीएण्डसी हानियाँ के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहर ही हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई है किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। एटीएण्डसी हानियों के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यों के कार्यान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि थे। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.13.1)

परियोजनाओं के पूर्ण हुए बिना गो–लाइव की घोषणा

प्रणाली हेतु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार एक परियोजित शहर को गो–लाइव घोषित करने के लिए आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना व मानवदखल रहित ऑनलाइन एटीएण्डसी हानियों की प्रतिवेदन की प्राप्ति आवश्यक है। योजना के भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) के अन्तर्गत कम्पनी ने सभी शहरों को अगस्त 2015 तक गो–लाइव घोषित कर दिया।

जबकि योजना के भाग–अ के अन्तर्गत प्रावधान किये गये 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया, अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल के द्वारा सभी फीडर ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नहीं किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरूप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा शिकायतों के निवारण की निगरानी नहीं कि जा सकी, अनुरक्षणों के आँकडे उपलब्ध नहीं थे और उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 10 शहरों में हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया, उपभोक्ताओं के 61 प्रतिशत (500 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से) को ग्राहक संतुष्टि सेवाओं के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी परिणामस्वरूप, उनके द्वारा अपनी शिकायतों, प्रश्नों व अन्य बिलिंग से संबंधित समस्याओं को पंजीकृत करने के लिए टेलीफोन या ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 10 शहरों में सर्वेक्षित उपभोक्ताओं के 16 प्रतिशत (500 में से 82 उपभोक्ताओं) द्वारा शिकायत की गयी कि उनके मीटरों की गणना नियमित रुप से नहीं की जा रही है तथा ऊर्जा प्रभार औसत उपभोग के आधार पर प्रदान किये जा रहे है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि उपभोक्ताओं के 9 प्रतिशत (500 में से 47) द्वारा बिजली का बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। शिकायतों के निराकरण में विलंब के बावजुद भी शासन व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा कम्पनी को शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.10.1, 2.1.10.4, 2.1.10.5, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8)

उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन

कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन पूर्ण नहीं किया गया जैसा कि 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 1.99 लाख (21 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का सूचीकरण नहीं किया गया था क्योंकि कम्पनी के द्वारा नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10.7)

ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए मॉडेम

नेटवर्क समस्या, तारो में खराबी, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, खराब मॉडेम इत्यादि कारणों से वितरण ट्रासफार्मर (डीटीआर) और फीडर के लिए ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए लगाये गये 10361 मॉडेम में से सिर्फ 3240 मॉडेम ही 31 मार्च 2016 तक आँकडों का संचार कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, डीटीआर और फीडरो के ऊर्जा आँकाड़ों के संचार में कमी को पूरा करने के लिए कम्पनी को ऊर्जा आँकड़ों की हस्त प्रविष्टियाँ करनी पड़ी जिससे कि योजना के उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण में मानव दखल की समाप्ति पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.10.3)

स्काडा का कियान्वयन

इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्काडा ₹ 41.06 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ दो शहरों में लागू किया जाना था। जबकि, स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) के नियुक्ति में विलंब, एसआईए की ओर से निष्क्रियता व कम्पनी द्वारा स्काडा समर्थ अद्योसंरचना सुविधा प्रदत्त न किये जाने के कारण चार वर्षों से भी अधिक समय व्यतित होने के बाद भी परियोजनाओं में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, कम्पनी रिमोट आपरेशन के माध्यम से प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.11 एवं 2.1.11.1)

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ योजना खाते के स्थान पर अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा कर दिये जिससे योजना खाते पर ₹ 1.70 करोड़ ब्याज आय की हानि हुई। इसके अलावा, योजना की राशि ₹ 312.09 करोड़ तुरन्त आवश्यकता से पहले निकाल लिये गये और 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा कर दिये गये। निकाली गयी राशि पर सावधि जमा पर प्राप्त राशि से अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार पड़ा तथा योजना राशि पर अर्जित ब्याज आय 21.02 करोड़ योजना खाते में क्रेडिट नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी और प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप योजना के शर्तों के अनुपालन में तथा योजना का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसएलडीआरसी प्रभावी निगरानी नहीं रख पायी।

(कंडिका 2.1.14.1)

2.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) जून 2001 में खनिजों के दोहन, खनन तथा विपणन के उद्देश्य से निगमित की गई।

कम्पनी द्वारा खनन एवं विपणन गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग

कम्पनी खनिजों का खनन एवं विपणन स्वयं नहीं करती तथा उनके लिए निजी ठेकेदारों को कार्यादेश देती थी। 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने केवल बॉक्साईट अयस्क का खनन एवं विपणन निजी ठेकेदारों द्वारा किया तथा टिन अयस्क का व्यापार (क्रय एवं विक्रय) किया। खनन पूर्व गतिविधियाँ जैसे प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करना, पूर्वेक्षण तथा संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना इत्यादि भी इन गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग का लागत–लाभ विश्लेषण किये बिना बाह्य एजेंसियों द्वारा करवाया जाता था।

(कंडिका 2.2.2)

कोयला ब्लॉकों का विकास

कम्पनी कोयला ब्लॉकों का विकास करने तथा खनन प्रारंभ करने में विफल रही यद्यपि, उत्पादन प्रारंभ करने के माइलस्टोन पूर्ण करने में करीब दो वर्षों से लेकर सात वर्षों से अधिक की चूक हुई तथा इन ब्लॉकों पर कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण राशि व्यय की गई। विफलता के मुख्य कारण भूगर्भीय प्रतिवेदनों को तैयार करने, विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माइनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू–अर्जन इत्यादि के लिए आवेदन करने में असाधारण विलंब थे। कम्पनी को हुए पाँच कोयला ब्लॉकों के आबटंन को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितंबर 2014) के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा खनन पूर्व कार्यों पर व्यय किए गए ₹ 339.24 करोड़ व्यर्थ हो गए।

(कंडिका 2.2.4.1)

बॉक्साईट अयस्क का खनन एवं विपणन

खनन पूर्व गतिविधियों की अवधि का अनुचित रूप से बढ़ाया जाना

केसरा–II, III, IV, बरिमा–VI तथा नागाढ़ांढ़ बॉक्साईट खदानों के खनन एवं विपणन के ठेके में कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2009 से दिसंबर 2013 के दौरान ₹ 9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.5.2)

माइनिंग प्लान तथा अनुबंध का पालन करने में विफलता

कम्पनी ने अनुबंधात्मक प्रावधानों के तहत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में निगरानी तथा समय पर कार्यवाही नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप, दलदली बॉक्साईट खदान में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन कर रहे ठेकेदार ने अनुबंध तथा अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार मासिक निर्धारित मात्रा के बजाय वास्तविक मात्रा का भुगतान किया।

(कंडिका 2.2.5.10)

लौह अयस्क का खनन

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ एमओयू

कम्पनी ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को सम्मिलित कर संयुक्त उपक्रम अनुबंध का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के बाद भी एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के विकास के लिए सेल के साथ हुए एमओयू का निष्पादन नहीं किया तथा लौह अयस्क हेतु माइनिंग लीज का आवेदन करने में विलंब किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 100 मिलियन टन के अनुमानित लौह अयस्क भण्डारों के दोहन का अवसर गवां दिया।

(कंडिका 2.2.6.1)

प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

कम्पनी जिला कांकेर के अरीडोंगरी लौह अयस्क खदान को संचालित करने में विफल रही क्योंकि प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्थाई निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण माइनिंग लीज प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग तथा प्रारंभिक अन्वेषण कार्यों में व्यय की गई राशि ₹ 75.30 लाख चार से आठ वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रही।

(कंडिका 2.2.6.2)

कोलंबाईट का व्यापार

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तें

कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.35 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8)

पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमनों का अनुपालन

कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरण में वायु की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही।

दलदली बॉक्साईट खदान की संयुक्त जाँच से यह उजागर हुआ कि:

- ठेकेदार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता का निर्धारण करने हेतु विश्लेषण नहीं किया जा रहा था;
- खदान में ध्वनि के स्तर को अभिलिखित/निगरानी करने हेतु कोई भी प्रणाली प्रयुक्त नहीं की गई थी तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग्स/एयर टाईट संचालन केबिन नहीं दिए गए थे;
- यद्यपि प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता थी, खनन की गई भूमि पर कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.9)

3. लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है, जिसमें गंभीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत् प्रकृति की है:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण छः प्रकरणों में ₹ 127.98 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 एवं 3.9)

त्रुटिपूर्ण–दोषपूर्ण नियोजन के कारण दो प्रकरणों में ₹ 3.16 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.3 एवं 3.8)

लेन–देन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अंतिमीकरण निविदा के नियम एवं शर्तों के साथ ही साथ संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्चतर दर पर निर्धारण किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(कंडिका 3.1)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 20000 से अधिक के व्यवसायिक व्यय नकद में तथा बिना टीडीएस काटे भुगतान किया, जिसके कारण ₹ 6.10 करोड़ का व्यवसायिक व्यय अमान्य हुआ परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3.2)

आधिक्य धान बीज के विक्रय की सक्रिय विपणन रणनीति की कमी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को ₹ 2.18 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 44.40 करोड़ का सिविल कार्य प्रथम निविदा में प्राप्त दो बोलियों में से दर की उचित रूप से जॉच किए बिना अत्यधिक उच्चतम दर पर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.4)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने भू–प्रीमियम कम दर से वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 75.46 लाख की हानि हुई एवं निजी पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, अग्रिम भुगतान से संबंधित एमओयू के प्रावधानों को लागू करने तथा दाण्डिक ब्याज के सम्बन्ध में एमओयू में उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी को केएफसीएससीएल से ₹ 6.18 करोड़ के ब्याज की वसूली न कर पाने के कारण हानि हुई।

(कंडिका 3.6)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव को समय पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप नकद साख सीमा पर ₹ 98.27 लाख ब्याज का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)

पहला अध्याय

पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2016 को छत्तीसगढ़ में 22 पीएसयूज थे, जिनमें एक सांविधिक निगम सम्मलित था जिसका विवरण **अनुलग्नक–1.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान एक पीएसयू केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल) की स्थापना हुई तथा कोई भी पीएसयू/सांविधिक निगम बंद नहीं हुआ। 31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज का विवरण **तालिका–1.1** में दिया गया है।

तालिका–1.1: 31 मार्च 2016 को पीएसयूज की कुल संख्या

पीएसयूज के प्रकार	कार्यरत् पीएसयूज	गैर कार्यरत् पीएसयूज	कुल
सरकारी कम्पनियाँ[1]	21	–	21
सांविधिक निगम	1	–	1
कुल	**22**	**–**	**22**

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकडे)

30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत् पीएसयूज ने ₹ 21579.75 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। वर्ष 2015–16 के लिए यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.58 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2016 को पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत् पीएसयूज ने ₹ 1108.05 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार इन पीएसयूज ने 20317 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

राज्य के पीएसयूज में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कम्पनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कम्पनी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते है तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन

[1] सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सम्मिलित है, अन्य कम्पनियाँ जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में चिन्हित है।

पर लागू होंगें। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, का लेखापरीक्षण सीएजी द्वारा किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका पीएसयूज के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ, अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन का अंश

1.5 इन पीएसयूज में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**– अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर पीएसयूज को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता–** राज्य सरकार पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति–** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा पीएसयूज को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 22 राज्य के पीएसयूज में निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 27881.71 करोड़ था, जिसका विवरण **तालिका – 1.2** में दिया गया है।

तालिका – 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
12342.36	15426.01	27768.37	4.04	109.30	113.34	27881.71

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकडे)

31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का, 44.28 प्रतिशत पूँजी में और 55.72 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयूज में निवेश वर्ष 2011–12 में ₹ 17734.35 करोड़ से 57.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2788.71 करोड़ हो गया जैसा कि रेखाचित्र–1.1 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र– 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण)

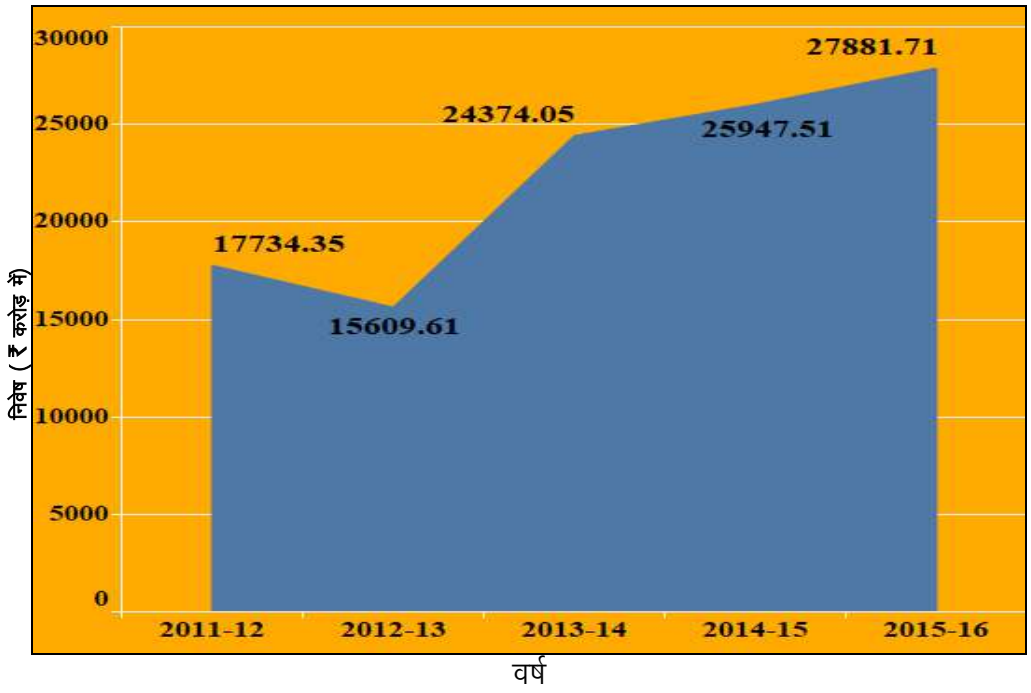

1.7 31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र–वार सारांश तालिका– 1.3 में दिया गया है।

तालिका – 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र–वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	निवेश
कृषि एवं संबंधित	2	-	2	27.15
वित्त	1	-	1	5.00
अधोसंरचना	3	-	3	10.70
खनन	5	-	5	108.08
विद्युत	5	-	5	25157.36
सेवाऐं	5	1	6	2573.42
कुल	**21**	**1**	**22**	**27881.71**

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र – 1.2 में दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र–1.2: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश

पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, जोकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल निवेश का 90.23 प्रतिशत था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में ₹ 17301.26 करोड़ से बढ़कर 2015–16 मे ₹ 25157.36 करोड़ हो गया जोकि 45.41 प्रतिशत है। जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं और उन्नयन कार्यो के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य पीएसयूज में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2015–16 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए **तालिका – 1.4** में दिया गया है।

तालिका – 1.4: पीएसयूज को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	2	22.45	1	4.90	-	-
2.	बजट से दिये गए ऋण	3	556.78	1	16.87	4	531.71
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	8	3007.97	9	2802.62	8	1992.71
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**11[2]**	**3587.20**	**11[2]**	**2824.39**	**9[2]**	**2524.42**
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	-	-	-	-	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूति	1	500.00	2	526.00	1	1000
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	867.70	3	744.73	3	1353.46

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण **रेखाचित्र – 1.3** में दिया गया है।

रेखाचित्र – 1.3: समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन

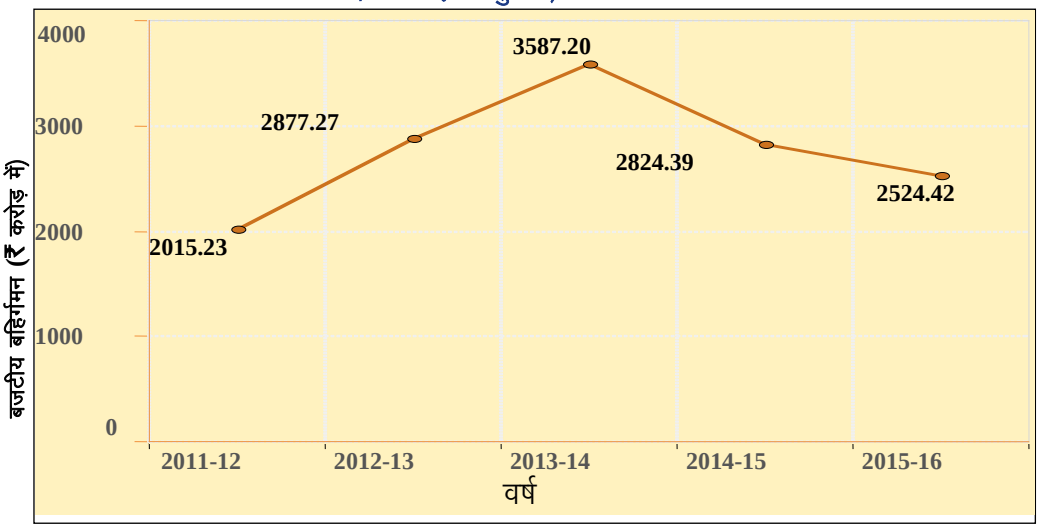

समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2011–12 में ₹ 2015.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 3587.20 करोड़ हो गया, तत्पश्चात्, वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 2824.39 करोड़ और वर्ष 2015–16 में ₹ 2524.42 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2524.42 करोड़ में सम्मिलित है, ₹ 1848.27 करोड़ की सहायता जो कि दो पीएसयू को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को क्रमशः ₹ 1763.73 करोड़ एवं ₹ 84.54 करोड़ अनुदान एवं उपदान के रूप में दी गई।

अदत्त प्रत्याभूति 2013–14 में ₹ 867.70 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 1353.46 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी पीएसयूज के द्वारा राज्य शासन को प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

[2] यह उन पीएसयूज की वास्तविक संख्या को दर्शाता है जिन्होने बजटीय सहायता प्राप्त की। कुछ पीएसयूज एक वर्ग से अधिक में आते है।

वित्त लेखों से समाधान

1.9 राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ो के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ो में भिन्नता हो तो, संबंधित पीएसयूज और वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2016 की स्थिति **तालिका – 1.5** में दर्शित है।

तालिका – 1.5: वित्त लेखों पर पीएसयूज दस्तावेज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
समता	5969.83	8225.08	2255.25
ऋण	257.48	531.71	274.23
प्रत्याभूति	857.76	1353.46	495.70

(स्त्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा वर्ष 2015–16 के राज्य के वित्तीय लेखों की प्राप्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 पीएसयूज[3] के आंकड़ो में भिन्नता थी और इनमें से कुछ भिन्नताओं का समाधान 2004–05 से लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आंकड़े और पीएसयू के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और पीएसयूज को भिन्नताओं के समाधान के लिए उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) सहपठित धारा 129 (2) के प्रावधानों के तारतम्य में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह माह के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को अंतिमीकृत करना आवश्यक है अर्थात् सितम्बर तक। ऐसा करने में असफल होने पर अधिनियम की धारा 99 के दाण्डिक प्रावधान लागू हो जाते हैं जिसके अंतर्गत कम्पनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी जो इस कृत्य के लिये जिम्मेदार है, पर दण्डात्मक कार्यवाही के साथ अर्थदण्ड जो कि एक लाख रुपये तक हो सकता हैं की कार्यवाही की जा सकती हैं तथा यदि ऐसी चूक आगे लगातार चलती है तो ऐसा अर्थदण्ड जो कि प्रत्येक दिन के लिये बढ़कर ₹ 5000 तक हो सकता है, जब तक यह चूक जारी रहती है। ऐसी सरकारी कम्पनियाँ जिनके लेखे बकाया हैं, का प्रबंधन ऐसी चूक के लिये उत्तरदायी है। उसी तरह, सांविधिक निगम उनके लेखे अंतिमीकृत, लेखापरीक्षित तथा विधायिका में प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रावधान उनके सम्बंधित अधिनियम में दिये गये है।

30 सितम्बर 2016 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में पीएसयूज द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका – 1.6** में प्रस्तुत है।

[3] सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीआईडीसी, सीएससीएससीएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं सीएसडब्ल्यूसी।

तालिका – 1.6: कार्यरत् पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	पीएसयूज की संख्या	20[4]	19	20	21	22
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत हुए लेखों की संख्या	16	24	21	24	23
3.	लंबित लेखों की संख्या	41	36	37	34	33[5]
4.	लंबित लेखों वाले पीएसयूज की संख्या	15	15	15	17	15
5.	लंबित लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 6 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 6 वर्ष	1 से 5 वर्ष

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

यह देखा जा सकता है कि पीएसयूज की लंबित लेखों की संख्या वर्ष 2011–12 में 15 पीएसयूज के 41 लेखों से घटकर वर्ष 2015–16 में 15 पीएसयूज के 33 लेखें हो गयी। 30 सितम्बर 2015 को केवल 34 लेखों में से 23 लेखों को चालू वर्ष में अंतिमीकृत हुए थे। बकाया की सीमा एक से पाँच वर्ष तक थी।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। संबंधित शासकीय प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को लेखों के अंतिमीकरण में बकाया से संबंधित जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह मामला महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को लंबित लेखों को निराकरण करने के लिए चालू वित्त वर्ष (जून 2016 और नवम्बर 2016) के दौरान दो बार अवगत कराया गया है। यद्यपि कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पाँच पीएसयूज में ₹ 1892.45 करोड़ (ऋणः ₹ 530.92 करोड़ दो पीएसयूज में एवं अनुदानः ₹ 1361.53 करोड़ तीन पीएसयूज में) का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुऐ थे जिनका विवरण *अनुलग्नक–1.2* में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू के वर्तमान शुद्ध आवर्त का आंकलन लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन पीएसयू में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.12 छत्तीसगढ़ राज्य वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीएसडब्ल्यूसी) के वार्षिक लेखो पर सीएजी द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) राज्य की विधानसभा के पटल पर रखा जाता हैं। सीएसडब्ल्यूसी के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये तैयार लेखों पर एसएआर को 16 मार्च 2016 को विधानसभा में रखा जा चुका है।

[4] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है और 14 दिसम्बर 2011 को निगमित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। यद्यपि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कम्पनी ने दो पृथक लेखे पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

[5] आरएनएनटीएल से पाँच वर्षों 2011–12 से 2015–16 तक के लेखे अप्राप्त है।

लेखों के अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 और 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2015–16 में राज्य की जीडीपी में पीएसयू का वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता था तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिए बाह्य स्त्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन

1.14 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण ***अनुलग्नक–1.1*** में है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में पीएसयू आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका – 1.7** में प्रदर्शित है।

तालिका – 1.7: कार्यरत पीएसयूज का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आवर्त[6]	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96	21579.75
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	158074	177511	206786	236318	251447
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	8.98	6.63	6.47	6.56	8.58

(स्त्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट तथा पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का पीएसयूज के आवर्त से प्रतिशत वर्ष 2011–12 के 8.98 से घट कर 2015–16 में 8.58 हो गया। प्रथम लेखों के अंतिमीकृत न हो पाने के कारण एक पीएसयू (आरएनएनटीएल) के आवर्त को 2015–16 के ₹ 21579.75 करोड़ के आवर्त में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

1.15 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि **रेखाचित्र – 1.4** में प्रदर्शित की गई है।

[6] 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त।

रेखाचित्र–1.4: वर्ष के दौरान कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित सकल लाभ/हानियाँ

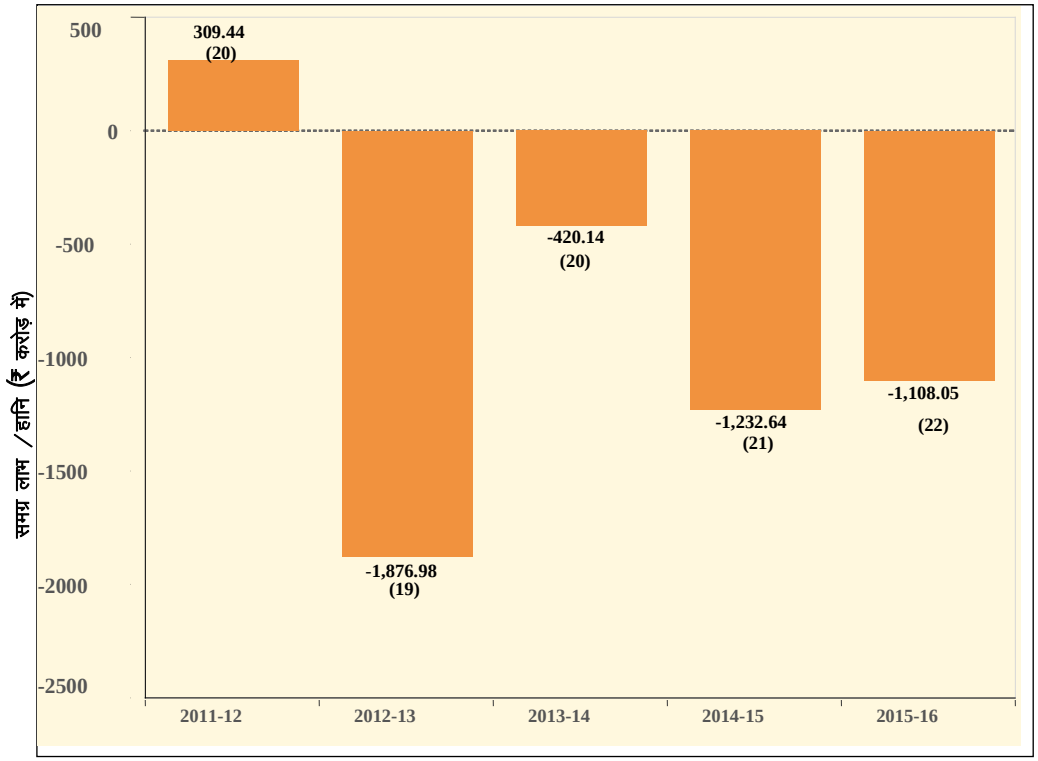

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।)

राज्य के पीएसयूज द्वारा 2011–12 में अर्जित औसत लाभ ₹ 309.44 करोड़ था, जो कि वर्ष 2012–13 में ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गया, जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) थी। वर्ष 2015–16 में समग्र हानि ₹ 1108.05 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, 22 कार्यरत पीएसयूज में से, 12 पीएसयूज[7] द्वारा ₹ 488.93 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया तथा आठ पीएसयूज[8] में समग्र रूप से ₹ 1596.98 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[9] को न लाभ न हानि हुआ। शेष एक पीएसयू[10] ने अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 354.15 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 44.33 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.52 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 25.99 करोड़) का रहा। मुख्यतः हानि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1554.17 करोड़), एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 40.32 करोड़) को हुई।

1.16 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड **तालिका – 1.8** में दिए गए है।

[7] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, सीएमडीसी एवं सीएसडब्ल्यूसी

[8] सीएसआईडीसी, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीआरसीएल सीएसपीटीसीएल सीआरडीसीएल एवं केसीएल

[9] सीआईसीएल

[10] रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

तालिका – 1.8: राज्य के पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	5.59	-	-	-	-
ऋण	8576.28	3156.39	12033.56	13602.11	15535.31
आवर्त[11]	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96	21579.75
ऋण/आवर्त अनुपात	0.60	0.27	0.88	0.88	0.72
ब्याज का भुगतान	618.38	395.46	415.87	697.83	1009.99
संचित लाभ/(–) हानि	2002.78	(-) 3136.26	(-) 3627.12	(-) 4780.58	(-) 5879.98

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

वर्ष 2011–12 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 5.59 प्रतिशत था और बाद के वर्षों में कोई प्रत्याय प्राप्त नहीं हुआ जिससे पीएसयूज को हानि हुई। 2011–12 में राज्य के पीएसयूज का संचित लाभ ₹ 2002.78 करोड़ था जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड में हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप ₹ 5879.98 करोड़ की संचित हानि में परिवर्तित हो गयी। यह पीएसयूज में संचालनात्मक निष्पादन में हुई गिरावट को इंगित करता है। ऋण/आवर्त अनुपात 2011–12 में 0.60:1 से बढ़कर 2015–16 में 0.72:1 हो गया जो यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान ऋण की वृद्धि के अनुपात में आवर्त की वृद्धि नहीं हुई।

1.17 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गयी है। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 12 पीएसयूज ने ₹ 488.93 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया जिनमें से केवल दो पीएसयूज (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम) ने ₹ 4.53 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.18 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि में 19 कम्पनियों ने अपने 22 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, 19 कंपनियों[12] के 21 लेखो का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखों के संधारण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका – 1.9** में दिया गया है।

[11] 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

[12] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, सीआरडीसीएल एवं केसीएल

तालिका – 1.9: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	7	3.70	9	26.35	8	31.09
2.	हानि में वृद्धि	3	216.54	4	6.09	3	7.94
3.	लाभ में वृद्धि	4	0.90	5	150.74	4	177.42
4.	हानि में कमी	4	1448.49	1	360.86	4	26.58
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट न करना	3	1065.51	6	527.54	6	581.49
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	34.01	6	77.76	3	17.12

(स्त्रोतः आंकड़े लेखापरीक्षा के द्वारा निकाले गये है)

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा छः लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र एवं 16 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र दिए गए। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 15 पीएसयूज के लेखों में से 26 मामलों में इसका अनुपालन नही किया गया।

1.19 इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के द्वारा वर्ष 2014–15 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका – 1.10 में दिया गया है।

तालिका – 1.10: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.53	अंतिमीकरण के अधीन	
2	लाभ में कमी	1	0.20	1	0.82		

(स्त्रोतः आंकड़े लेखापरीक्षा के द्वारा निकाले गये है)

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एंव कंडिकाएँ

1.20 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन के लिए, छः विभागों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा, एक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन की लेखापरीक्षा एवं नौ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध करने के निवेदन के साथ जारी किया गया था। राज्य शासन से सभी उत्तर प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.21 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के आंतरिक कार्यों हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को स्वतः सभी लेखापरीक्षा की कंडिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है उन पर कार्यवाही करनी चाहिए बजाए इसके कि इनका कोपू के द्वारा जाँच के लिए चयन किया गया हैं या नहीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका में प्रस्तुति के 6 माह के अंदर उन पर सुधारात्मक कार्यवाही की गयी या की जाने वाली हो, को प्रदर्शित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत करना चाहिए था। उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणी 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में अप्राप्त है जिसे **तालिका – 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका – 1.11: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2016 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयूज)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2008–09	26 मार्च 2010	1	5	–	2
2014–15	31 मार्च 2016	1	13	1	4
योग		**2**	**18**	**1**	**6**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि तीन विभागों (ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, एवं वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग) से संबंधित 20 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से सात कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिन पर टिप्पणी की गई थी, के व्याख्यात्मक टीप अप्राप्त (सितम्बर 2016) थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2016 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयजू) में शामिल थे, जिनपर कोपू के द्वारा चर्चा की गई, **तालिका – 1.12** में दी गई है।

तालिका – 1.12: 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या					
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2008-09	1	5	1	3	-	2
2010-11	1	8	1	5	-	3
2011-12	1	10	-	3	1	7
2012-13	1	9	1	4	-	5
2013-14	1	11	-	5	1	6
2014-15	1	13	-	1	1	12
योग	**6**	**56**	**3**	**21**	**3**	**35**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 जुलाई 2008 एवं मार्च 2012 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कोपू के सात प्रतिवेदनों से संबंधित सात कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) अप्राप्त रहे (सितम्बर 2016) जैसा कि **तालिका – 1.13** में इंगित किया गया है।

तालिका – 1.13: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
2008–09	2	3	1
2009–10	1	1	1
2010–11	3	4	3
2011–12	1	2	2
योग	**7**	**10**	**7**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

कोपू के इन प्रतिवेदनों में तीन विभागों (खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएँ थी, जो 2002–03 से 2008–09 के वर्षों में भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

- निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे जायें;
- हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय सीमा में की जाये; एवं
- लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

दूसरा अध्याय

दूसरा अध्याय

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 छत्तीसगढ़ में पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

2009–10 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की वितरण व्यवस्था की हानियाँ अत्याधिक उच्च 36.29 प्रतिशत के औसत पर थी। इस प्रकार के विषयों पर ध्यान देकर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को भारत सरकार द्वारा सुधार एवं पुनर्नामांकित (जुलाई 2008) कर "पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)" किया गया और सितम्बर 2009 में छत्तीसगढ़ में लागू किया। आर–एपीडीआरपी के मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था में विद्युत की हानि {कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि} को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना था। योजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) का भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। आर–एपीडीआरपी की कुल परियोजना लागत ₹ 873.75 करोड़ थी।

आर–एपीडीआरपी की परियोजनाऐं भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) छत्तीसगढ़ के चुने हुए 20 शहरों में ₹ 122.45 करोड़ की परियोजना लागत के साथ, पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली (स्काडा) ₹ 41.06 करोड़ के परियोजना लागत के साथ चुने हुए 2 शहरों में तथा भाग–ब (वितरण प्रणाली में सुदृढ़ीकरण) ₹ 710.24 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 19 चुने हुए शहरों में क्रियान्वित हुए है।

बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व 17 माड्युल के साथ आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र का क्रियान्वयन भाग–अ में सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों में स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित किये जा रहे थे। नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग–ब में सम्मिलित किये गये। योजना का भाग–अ अगस्त 2015 तक पूर्ण किया गया। जबकि स्काडा के कार्यान्वयन में मार्च 2016 तक कोई प्रगति नहीं थी। योजना के भाग–ब के संबंध में मार्च 2016 तक 84 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गयी।

विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 के दौरान, 20 शहरों में विद्युत वितरण हानियाँ की सीमा 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के बीच थी। ₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में एटीएण्डसी हानियाँ के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहर ही हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई है किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। एटीएण्डसी हानियों के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यों के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चूककर्ता

उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि था। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.13.1)

परियोजनाओं के पूर्ण हुए बिना गो–लाइव की घोषणा

प्रणाली हेतु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार एक परियोजित शहर को गो–लाइव घोषित करने के लिए आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना व मानवदखल रहित ऑनलाइन एटीएण्डसी हानियों की प्रतिवेदन की प्राप्ति आवश्यक है। योजना के भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) के अन्तर्गत कम्पनी ने सभी शहरों को अगस्त 2015 तक गो–लाइव घोषित कर दिया। जबकि, योजना के भाग–अ के अन्तर्गत प्रावधान किये गये 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहको की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया, अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल के द्वारा सभी फीडर ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नहीं किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरूप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा शिकायतों के निवारण की निगरानी नहीं कि जा सकी, अनुरक्षणों के आँकडें उपलब्ध नहीं थे और उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 10 शहरों में हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया, उपभोक्ताओं के 61 प्रतिशत (500 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से) को ग्राहक संतुष्टि सेवाओं के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी परिणामस्वरूप, उनके द्वारा अपनी शिकायतों, प्रश्नों व अन्य बिलिंग से संबंधित समस्याओं को पंजीकृत करने के लिए टेलीफोन या ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 10 शहरों में सर्वेक्षित उपभोक्ताओं के 16 प्रतिशत (500 में से 82 उपभोक्ताओं) द्वारा शिकायत कि गयी कि उनके मीटरों की गणना नियमित रूप से नहीं की जा रही है तथा ऊर्जा प्रभार औसत उपभोग के आधार पर प्रदान किये जा रहे है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि उपभोक्ताओं के 9 प्रतिशत (500 में से 47) द्वारा बिजली का बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। शिकायतों के निराकरण में विलंब के बावजुद भी शासन व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा कम्पनी को शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.10.1, 2.1.10.4, 2.1.10.5, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8)

उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन

कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन पूर्ण नहीं किया गया जैसा कि 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 1.99 लाख (21 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का सूचीकरण नहीं किया गया था क्योंकि कम्पनी के द्वारा नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10.7)

ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए मॉडेम

नेटवक्र समस्या, तारो में खराबी, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, खराब मॉडेम इत्यादि कारणों से वितरण ट्रासफार्मर (डीटीआर) और फीडर के लिए ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए लगाये गये 10361 मॉडेम में से सिर्फ 3240 मॉडेम ही 31 मार्च 2016 तक आँकडों का संचार कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, डीटीआर और फीडरो के ऊर्जा आँकड़ों के संचार में कमी को पुरा करने के लिए कम्पनी को ऊर्जा आँकड़ों की हस्त

प्रवृष्टियाँ करनी पड़ी जिससे कि योजना के उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण में मानव दखल की समाप्ति पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.10.3)

स्काडा का क्रियान्वयन

इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्काडा ₹ 41.06 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ दो शहरों में लागू किया जाना था। जबकि, स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) की नियुक्ति में विलंब, एसआईए की ओर से निष्क्रियता व कम्पनी द्वारा स्काडा समर्थ अद्योसंरचना सुविधा प्रदत्त न किये जाने के कारण चार वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी परियोजनाओं में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, कम्पनी रिमोट आपरेशन के माध्यम से प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.11 एवं 2.1.11.1)

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ योजना खाते के स्थान पर अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा करा दिया जिससे योजना खाते पर ₹ 1.70 करोड़ ब्याज आय की हानि हुई। इसके अलावा, योजना की राशि ₹ 312.09 करोड़ तुरन्त आवश्यकता से पहले निकाल लिये गये और 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा कर दिये गये। निकाली गयी राशि पर सावधि जमा पर प्राप्त राशि से अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार पड़ा तथा योजना राशि पर अर्जित ब्याज आय ₹ 21.02 करोड़ योजना खाते में क्रेडिट नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी और प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप योजना के शर्तों के अनुपालन में तथा योजना का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसएलडीआरसी प्रभावी निगरानी नहीं रख पायी।

(कंडिका 2.1.14.1)

प्रस्तावना

2.1.1 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को ऊर्जा मंत्रालय, (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ग्यारवी योजना के दौरान संशोधित (जुलाई 2008) करके पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) किया गया। आर–एपीडीआरपी योजना का मुख्य उद्देश्य कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियाँ को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए पॉवर फाइनेस कार्पोरेशन (पीएफसी) भारत सरकार की प्रमुख संस्था थी। छत्तीसगढ़ में, जहाँ राज्य की एटीएण्डसी हानियाँ 2009–10 के दौरान अत्यधिक उच्च 36.29 प्रतिशत थी, योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा की गयी। योजना 30000 से अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को लागू होती है।

योजना को भाग–अ व भाग–ब में बाँटा गया। बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र,

दो बड़े शहरो[1] में पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकडे अभिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग–ब में सम्मिलित किये गये।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन सचिव (ऊर्जा) के अधीन किया गया जिसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), चुनिंदा राज्य सरकारों के तथा ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होगें। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) का गठन (अगस्त 2009) परियोजना प्रस्तावों पर सिफारिश के लिए, योजना के शर्तों के अनुपालन की निगरानी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का विभाजन पहला कदम था तथा जिससे ऊर्जा क्षेत्र के सुधार में तेजी आई। धारा 131 से 134, भाग –13, विद्युत अधिनियम, 2003 (2 जून 2003) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बोर्ड का पुनर्गठन उस तारीख को करना है जो वह स्वयं निर्धारित करें। तदानुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन (1 जनवरी 2009) पाँच कम्पनियों यथा छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड में किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) की स्थापना आर–एपीडीआरपी के तहत सहायता का लाभ उठाने के लिए एक प्रारंभिक शर्त थी और तदानुसार सीएसईआरसी का गठन 3 अक्टूबर 2001 को किया गया।

अनुदान प्रणाली व योजना से लाभ

2.1.2 छत्तीसगढ़ में, योजना की स्वीकृत लागत ₹ 873.75 करोड़ थी। योजना में भारत सरकार के द्वारा पीएफसी के माध्यम से भाग–अ (स्काडा को सम्मलित कर) के लिए 100 प्रतिशत ऋण तथा भाग–ब के लिए 25 प्रतिशत ऋण का प्रावधान किया गया। शेष राशि (भाग–ब के लिए 75 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थानों (एफआई) जैसे पीएफसी/आरईसी और स्वयं के स्त्रोत से व्यवस्था किया जाना है। योजना को निर्धारित समय पर पूरा करने या बढाये हुए समय पर पूरा करने और पीएफसी द्वारा नियुक्त अन्य पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था (टीपीआईईए) द्वारा सत्यापित व प्रतिवेदित के शर्त के अधीन भाग–अ के ब्याज सहित पुरे ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जा सकेगा और परियोजना शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ 15 प्रतिशत हासिल करने पर तथा जिसका पूर्ण सत्यापन टीपीआईईए द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से होने के आधार पर भाग–ब के 50 प्रतिशत ऋण ब्याज सहित पाँच बराबर भागों में अनुदान में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार, वित्तीय स्थिति, धन की कमी व कम्पनी की भारी हानियाँ को ध्यान में रखते हुए यह योजना कम्पनी को आईटी प्रणाली को स्थापित करने व विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार कर एटीएण्डसी हानियाँ को 15 प्रतिशत तक कम करने के साथ–साथ अनुदान का भी लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

योजना को परियोजना (भाग–अ को सितंबर 2012 तक, स्काडा को जनवरी 2015 तक व भाग–ब को जनवरी 2015 तक) की स्वीकृति से तीन वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना

---

[1] 2001 जनगणना के अनुसार ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या चार लाख से अधिक और वार्षिक ऊर्जा आगम 350 मिलियन यूनिट हो।

था परन्तु इसे भाग–अ के लिए सितंबर 2015, स्काडा के लिए मार्च 2017 तक तथा भाग–ब के लिए जनवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया। आर–एपीडीआरपी योजना को अब तक (मार्च 2016) पूर्ण नहीं किया गया है। योजना के विवरण दर्शित करने वाला आरेख निम्नवत् हैः–

आर–एपीडीआरपी योजना क्रियान्वयन का आरेख

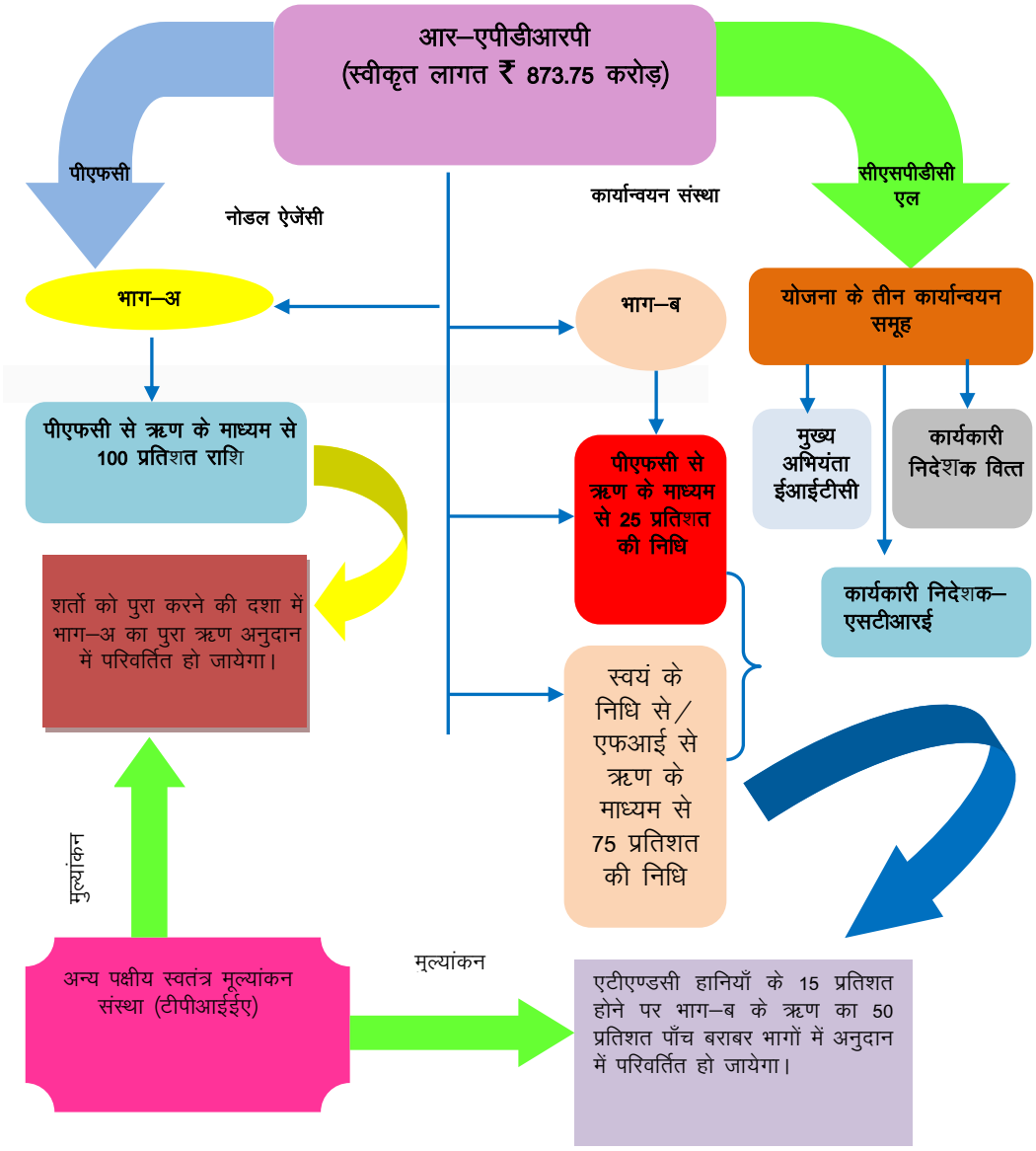

संगठन संरचना

2.1.3 कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर होल्डिग कम्पनी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कम्पनी का प्रधान कार्यालय, रायपुर में है। योजना के क्रियान्वयन को देखने के दृष्टिकोण से प्रबंध निदेशक को तीन अंगों के प्रमुखों द्वारा सहायता किया जाता है जो कि मुख्य अभियंता (सीई) ईनर्जी इंफोटेक सेंटर (ईआईटीसी), कार्यकारी निदेशक (ईडी) उप पारेषण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण (एसटीआरई) और कार्यकारी निदेशक (ईडी) वित्त है।

योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभियंता (ईआईटीसी) प्रमुख अधिकारी है जिहोंने कार्य को माड्युल में बाँटा तथा प्रत्येक माड्युल का कार्यकारी अभियंता प्रधान हैं। भाग–ब के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी निदेशक एसटीआरई प्रमुख अधिकारी है जिनके द्वारा प्रत्येक शहरों के लिए परियोजना प्रभारी व सहायक परियोजना प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक (वित्त) योजना के समग्र वित्त प्रबन्ध की जाँच करता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी के संगठनात्मक चार्ट निम्नवत् हैः

आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी का संगठनात्मक चार्ट

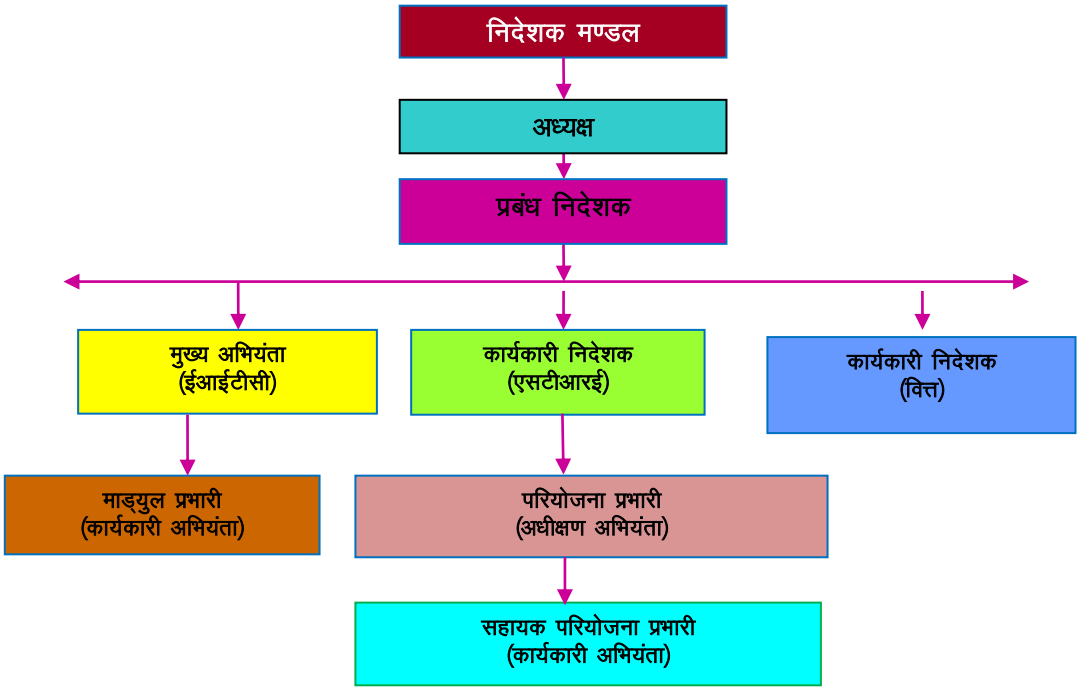

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया किः

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का निर्माण योजना के उद्देश्यों के अनुकूल अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था ;
- योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग मितव्यतापूर्ण, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से किया;
- योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक, मितव्यतापूर्वक तथा प्रभावी ढ़ंग से किया तथा क्या योजना के संभावित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया; तथा
- योजना के कार्यों की कुशलतापूर्वक निगरानी के लिए प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन करने के लिए अपनाया गया लेखापरीक्षा मानदण्ड लिया गया हैः

• विद्युत अधिनियम, 2003 और पीएफसी व ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा निर्देश;

• निदेशक मण्डल, निगरानी समिति व एसएलडीआरसी के बैठकों के ऐजेण्डा व मिनिट्स; कम्पनी के निगरानी प्रतिवेदन/विवरण–पत्र;

• भारत सरकार, पीएफसी, छत्तीसगढ़ शासन व कम्पनी के चतुर्थपक्षीय समझौता तथा डीपीआर;

• प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी), निविदा दस्तावेज, समझौता प्रपत्र तथा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) दस्तावेज; तथा

• छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत के वितरण में निष्पादन का मानक) नियमन, 2006 तथा सामान्य वित्तिय नियम 2005,

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.6 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान सम्पादित किया गया। कम्पनी के मुख्यालय में संधारित लेखों तथा भाग–अ के 20 परियोजनाओं के 20 शहरों, स्काडा के दो परियोजनाओं तथा भाग–ब के 19 परियोजनाओं[2] के लेखो की जाँच की गयी जिससे योजना की 100 प्रतिशत ईकाईयाँ सम्मलित हो गयी *(अनुलग्नक – 2.1.1)* ।

इसके अलावा, 10 परियोजना शहरों का उपभोक्ता सर्वेक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन को जुलाई 2016 में प्रतिवेदित कि गयी तथा 27 अक्टूबर 2016 के निर्गमन सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा विभाग), छत्तीसगढ़ शासन तथा कम्पनी के प्रबंधक निदेशक के साथ प्रतिवेदन पर चर्चा कि गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अंतिमीकरण करते समय शासन का उत्तर एवं निर्गमन सम्मेलन में अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन के द्वारा दिये गये सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकृत करता है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

2.1.7 योजना को सितंबर 2009 में कुल लागत ₹ 873.75 करोड़ से स्वीकृत किया गया जिसमें से भाग–अ (20 परियोजना) के लिए ₹ 122.45 करोड़, स्काडा (दो परियोजना) के लिए ₹ 41.06 करोड़ तथा भाग–ब (19 परियोजना) के लिए ₹ 710.24 करोड़ थे। जिसमें से ₹ 518.63 करोड़[3] की राशि शर्तो को परिपूर्ण करने की दशा में योजना के पूर्ण होने पर अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजनाओं पर किये गये खर्चे ऊर्जा मंत्रालय के निगरानी समिति के द्वारा डीपीआर के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

31 मार्च 2016 की स्थिति में योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति **तालिका – 2.1.1** में प्रदर्शित है तथा परियोजनावार स्थिति ***अनुलग्नक – 2.1.2*** में दिया गया है।

---

2 योजना का भाग–ब एक शहर (चिरमीरी) को छोड़कर 19 शहरों में क्रियान्वित की गयी क्योंकि इस शहर की एटीएण्डसी हानि 15 प्रतिशत से कम थी।

3 योजना के भाग– अ के लिए ₹ 122.45 करोड़ (100 प्रतिशत), स्काडा के लिए ₹ 41.06 करोड़ (100 प्रतिशत) और भाग–ब के लिए ₹ 355.12 करोड़ (₹ 710.24 करोड़ का 50 प्रतिशत)।

तालिका – 2.1.1: 31 मार्च 2016 की स्थिति में वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त निधि	प्रयुक्त निधि	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
भाग–अ	122.45	71.28	84.02	68.62	100
स्काडा	41.06	12.32	2.59	6.31	0
भाग–ब	710.24	551.97	540.46	76.10	83.97
कुल	**873.75**	**635.57**	**627.07**		

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भाग–अ की सभी परियोजनाऐं बढ़ायी गयी अवधि सितंबर 2015 तक पूर्ण कर ली गयी तथा स्काडा की दशा में, स्काडा सलाहकार (एसडीसी) को किये गये ₹ 2.59 करोड़ के भुगतान व स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) को मोबीलाइजेशन एडवांस का भुगतान को छोड़कर कोई भी प्रगति नहीं थी। भाग–ब की दशा में, कम्पनी द्वारा ₹ 540.46 करोड़ व्यय करने के बावजूद तथा निधि की उपलब्धता होते हुए भी 83.97 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की जा सकी। इसके अलावा, भाग–अ में प्राप्त राशि से किये गये अधिक व्यय की पूर्ति आंतरिक स्त्रोत से कि गयी।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

वित्तीय प्रबंधन

2.1.8 निधि के प्रबंधन एवं उपयोग में पायी कमियों को नीचे दर्शाया गया हैं:

कम्पनी के ओवरड्राफ्ट खाते में योजना निधि को जमा करना

कम्पनी ने योजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए ₹ 317.33 करोड़ की योजना निधि को स्वंय के ओवरड्राफ्ट खाते में जमा किया जिसके परिणामस्वरूप योजना निधि पर ₹ 1.70 करोड़ की ब्याज की आय की हानि हुई।

2.1.8.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, योजना निधि को योजना के बैंक खाते में रखना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ ₹ 317.33 करोड़ को प्रारंभ में 2013–14 से 2015–16 के दौरान योजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए ओवरड्राफ्ट खाते में जमा किया गया। इसमें से ₹ 306.18 करोड़ व्यय के लिए विभिन्न तिथि में योजना खाते में हस्तांतरित किया गया। स्पष्ट रूप से कम्पनी ने योजना निधि का उपयोग अपने ओवरड्राफ्ट को कम करने के लिए किया। यदि योजना निधि को योजना खाते में रखा गया होता तो ₹ 1.70 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया होता एवं योजना निधि में जमा किया गया होता । इस प्रकार, योजना निधि को अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा करते हुए कम्पनी योजना की लागत से लाभान्वित हुई।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि ओवरड्राफ्ट खाते में रखी हुई निधि काउंटरपार्ट निधि से संबंधित है जिसकी व्यवस्था कम्पनी द्वारा आन्तरिक स्त्रोतों से या वित्तिय संस्थाओं से ऋण लेकर करना था। चूँकि कम्पनी ने वित्तिय संस्थाओं से ऋण लेने का विकल्प चुना था इसलिए इसे ब्याज के भार को कम करने के लिए ओवरड्राफ्ट खाते में जमा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा निर्देश के अनुसाार योजना निधि को योजना खाते में ही जमा करना था। इसके अलावा भाग–ब का सम्पूर्ण ऋण (भारत सरकार का ऋण एवं ब्याज सहित काउंटरपार्ट निधि) का 50 प्रतिशत भी अनुदान में

परिवर्तित होना है इसलिए काउंटरपार्ट निधि के लिए ली गई उधारी को योजना खाते में ही रखना चाहिए जिससे कि योजना पर ब्याज का भार कम हो सके।

तुरन्त आवश्यकता के बिना निधि का आहरण

बिना आवश्यकता के ऋण निधि के आहरण के परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

2.1.8.2 योजना में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए कम्पनी पीएफसी/आरईसी से निधि का दावा करती है एवं पीएफसी/आरईसी निधि निर्गमित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की निधि को उसकी आवश्यकता के बहुत पहले ही आहरित किया जा रहा था एवं इसे विभिन्न बैंको में सावधी जमा में रखा जाता था। 2011–12 से 2014–15 के दौरान ₹ 312.09 करोड़ की योजना निधि को 180 दिन से अधिक समय के लिए सावधी जमा में रखा गया जो प्रदर्शित करता है कि निधि का आहरण इसकी आवश्यकता के बिना किया गया। निधि जो सावधी जमा में रखी गयी थी उसका औसत ब्याज दर 9.08 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी एवं कम्पनी को पीएफसी/आरईसी से आहरित निधि पर 11.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता था। जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने योजना निधि से की गई सावधि जमा पर ₹ 23.24 करोड़ का ब्याज अर्जित किया उसमें से ₹ 2.22 करोड़ योजना खाते में जमा किया गया एवं शेष ₹ 21.02 करोड़ को कम्पनी की आय में जमा किया गया। यह निगरानी समिति के निर्णय (2 जून 2010) कि सावधि जमा से अर्जित ब्याज को योजना खाते में जमा करना है का उल्लंघन था।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि निधि के आहरण का निर्णय योजना के नोडल कार्यालय द्वारा कार्य की गति को बनाये रखने एवं समय पर कार्यपूर्ण करने को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है तथा प्राप्त निधि को वित्तीय संकाय द्वारा निधि के उपयोग होने तक कम अवधि के लिए सावधि जमा में रख जाता था। शासन ने पुनः कहा कि भारत सरकार के ऋण/अनुदान पर अर्जित किये हुए ब्याज को यदि पीएफसी माँगेगा तो उसका अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नोडल कार्यालय एवं वित्तीय संकाय में सामंजस्य के अभाव में नोड़ल कार्यालय कम्पनी की वित्तीय संकाय द्वारा की गई सावधि जमा में उपलब्ध योजना निधि को ध्यान में रखे बिना आहरण करती है। इसके अलावा योजना निधि से अर्जित ब्याज को कम्पनी की स्वंय की आय में जमा करना भी उचित नहीं है क्योंकि यह निगरानी समिति के निर्णय का उल्लंघन है।

सुविधा प्रबंधन सेवा लागत का अनुदान में परिवर्तन

2.1.8.3 भाग–अ परियोजनाओं के डीपीआर के अनुसार, सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस)[4] की लागत को आर–एपीडीआरपी के अनतर्गत सम्मिलित डीपीआर परियोजना की स्वीकृति के तीन वर्षों (भाग–अ परियोजनाओं के लिए निर्धारित पूर्णता अवधि) के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए लागत के रूप में ध्यान में रखा जायेगा। इस अवधि के बाद, कम्पनी को एफएमएस लागत को अपनी आयगत व्यय के रूप में वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार, डीपीआर स्वीकृति के तीन वर्ष बाद एफएमएस लागत के रूप में किये गये व्यय ऋण के भाग के रूप में अनुदान में परिवर्तनीय नहीं थे। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों की निर्धारित पूर्णता अवधि को बढ़ा कर 6 वर्ष सितंबर 2015 तक के लिए कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने भाग–अ के डीपीआर में एक वर्ष की एफएमएस लागत को यह मानते हुए सम्मलित किया कि परियोजना निर्धारित पूर्णता अवधि से

[4] कम्पनी को इच्छित उद्देश्यों के प्राप्ति में समर्थ होने के लिए आईटीआईए द्वारा स्थापित आईटी प्रणाली को संचालित कर एफएमएस सेवा प्रदत्त करना था।

पहले ही एक वर्ष में ही पूर्ण हो जायेगी। जबकि कम्पनी ने छः परियोजनाओं[5] को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं कर सका जैसा कि एफएमएस लागत को अनुदान में परिवर्तन करने के लिए परियोजित किया गया था। इस प्रकार, इन परियोजनाओं की एफएमएस लागत ₹ 4.03 करोड़ को कम्पनी द्वारा अपने आयगत व्यय के रूप में वहन करना होगा।

परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब होने का मुख्य कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन संस्था (आईटीआईए) के साथ अनुबंध के अंतिमीकरण में विलंब, भाग–अ के क्षेत्रिय गतिविधियों के प्रारम्भ में विलंब तथा आईटीआईए के द्वारा अनुसूची के अनुसार परियोजना के विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन में विफलता थे जैसा कि **कंडिका 2.1.10.2** में चर्चा कि गयी है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी पीएफसी के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को परियोजना के समाप्ति पर अंतिम डीपीआर जमा करते हुए एफएमएस के एक वर्ष की लागत को जैसा कि मूल डीपीआर में उल्लेखित है ध्यान में रखने के लिए प्रयास कर रही है।

त्वरित विद्युत विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रम की निधि

2.1.8.4 त्वरित विद्युत विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रम (एपीडीआरपी) एक योजना थी जिसे एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करने के समान उद्देश्य के साथ 2002 से 2009 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यान्वित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 7.58 करोड़ एपीडीआरपी की निधि आर–एपीडीआरपी के लिए उपयोग किया गया परन्तु डीपीआर जमा करते समय आर–एपीडीआरपी की योजना की लागत से इसे कम नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय संकाय द्वारा एपीडीआरपी के अधिन अनुपयोगी उपलब्ध राशि की जानकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल आफिस जैसे कि एसटीआरई एवं ईआईटीसी संकाय को नहीं दी गई। जिसके परिणामस्वरूप ऋण अधिक स्वीकृत हुआ एवं योजना की लागत ₹ 7.58 करोड़ से बढ़ गई।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि इसे पीएफसी को 27 फरवरी 2016 को सूचित किया गया है।

तथ्य यह रहा कि एपीडीआरपी योजना की अनुपयोगी निधि को आर–एपीडीआरपी की लागत में समायोजित नहीं किया गया जिसके कारण अधिक ऋण स्वीकृत हुआ।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का लागत में भिन्नता के लिए दिशा निर्देश

2.1.8.5 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य की अलग–अलग मदो की मात्रा में परिवर्तन आदेशित बिल की मात्रा (बीओक्यू) में +/- 20 प्रतिशत जो कि आदेशित लागत के + 10 प्रतिशत तक हो एवं आशय पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर एसएलडीआरसी से अनुमोदित हो को स्वीकार करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के भाग–अ के तहत कम्पनी ने आईटीआई को सर्वर, डाटा कांसेन्ट्रेटर, मोडेम एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वे के लिए ₹ 4.80 करोड़ (आदेशित लागत का 4.19 प्रतिशत) की लागत का अतिरिक्त आदेश (22 अप्रैल 2013 एवं 20 मई 2013) दिया। यद्यपि, कम्पनी ने न तो एसएलडीआर से अनुमोदन लिया न ही अभी तक (31 मार्च 2016) पीएफसी को प्रस्तुत किया। इस प्रकार

[5] नैला जाँजगीर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग– भिलाई नगर, रायपुर व बिलासपुर।

एसएलडीआरसी से अनुमोदन लेने में विफल होने के कारण ₹ 5.72 करोड़[6] की अतिरिक्त लागत अनुदान में परिवर्तन योग्य नहीं है।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान पीएफसी/एमओपी ने कम्पनी को निर्देश दिया कि बीओक्यू की 20 प्रतिशत की सीमा या लागत की 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर कोई परिवर्तन होता है तो परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा। तदोपरान्त परियोजना का समापन के लिए संशोधित डीपीआर पीएफसी को प्रस्तुत (अगस्त 2016) किया गया। समापन की औपचारिक स्वीकृती अभी तक (नवम्बर 2016) प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीएफसी के इस प्रकार के निर्देश से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया जिसे प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, दिशा निर्देश के अनुसार, मात्रा एवं लागत में परिवर्तन को आशय पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना था एवं कम्पनी ऐसा करने में विफल रहीं।

परियोजनावार पृथक लेखा/उपलेखा शीर्ष

2.1.8.6 चतुर्थपक्षीय अनुबंध[7] के वाक्य 12(ब) में अलग से लेखा वर्गीकरण के लिए परियोजनावार पृथक लेख/उप–लेखा शीर्ष प्रारंभ करना उल्लेखित है जिससे कि उचित लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन के लिए 41 परियोजना (भाग–अ –20, स्काडा –2 एवं भाग–ब–19) स्वीकृत हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार निधि की प्राप्ति एवं उसके उपयोग का पता लगाने एवं निरीक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से लेखा/उप–लेखा शीर्ष रखना था। कम्पनी ने केवल दो लेखा शीर्ष एक भाग–अ के लिए एवं दूसरा भाग –ब के लिए खोला। जिसके परिणमस्वरूप योजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ एवं एक परियोजना से दूसरे परियोजना में निधि का व्यपवर्तन को जानने का कोई रचना तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि भाग–अ परियोजना की मासिक प्रगति प्रतिवेदन में कम्पनी ने परियोजनावार निधि के उपयोग को नहीं दिखाया।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि एसएपी में लेखांकन प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक ही जीएल कोड संधारित किया गया। शासन ने पुनः कहा कि एसएपी से परियोजनावार किया गया व्यय निकाला जा सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परियोजनावार अलग–अलग लेखा उपलेखा शीर्ष खोलना है। इसके अलावा, परियोजनावार अलग–अलग लेखा शीर्ष के अभाव में कम्पनी अभी तक (नवम्बर 2016) परियोजनावार व्यय की गणना करने में असफल रही।

उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना

2.1.8.7 पीएफसी ने कम्पनी को निर्देशित किया (22 अप्रैल 2010) कि सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 226 (2) के परिपालन में वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण लिया

---

6 ₹ 4.16 करोड़ ऋण एवं उस पर 9 प्रतिशत की दर से 30 माह का ब्याज ₹ 0.92 करोड़ (10 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2016) + ₹ 0.64 करोड़ ऋण, ब्याज नहीं लिया गया क्योंकि अभी तक (मार्च 2016) भुगतान नहीं हुआ था।

7 भारत सरकार, पीएफसी, छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के मध्य छत्तीसगढ में आर–एपीडीआरपी के कियान्वयन के लिए चतुर्थपक्षीय अनुबंध निष्पादित (18 मार्च 2010) हुआ।

गया की समाप्ति से 18 माह के अन्दर जीएफआर प्रपत्र 19 ब में अंकेक्षक से प्रमाणित सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना था।

पीएफसी ने भाग–अ के लिए वर्ष 2009–10 एवं 2013–14 में क्रमशः ₹ 36.74 करोड़ एवं ₹ 34.54 करोड़, स्काडा के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 12.32 करोड़ तथा भाग–ब के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 106.53 करोड़ का भारत सरकार का ऋण दिया। भाग–अ के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 एवं 2013–14 के दौरान दिये गये ऋण के लिए क्रमशः 24 माह एवं पाँच माह के विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना अंकेक्षक के प्रमाणित किये जमा किया गया। स्काडा के मामले में पीएफसी को अभी तक (मार्च 2016) उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया है।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी जीएफआर नियम एवं अंकेक्षक द्वारा जाँच किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने को सुनिश्चित करेगी।

वित्तीय प्रबंधन पर उपरोक्त कमियों पर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ चर्चा (जनवरी 2017) की गई जिन्होंने आश्वस्त किया कि कम्पनी अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए योजना के दिशा निर्देश के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

योजना का क्रियान्वयन

2.1.9 लेखापरीक्षा उद्देश्य के अनुसार आपत्तियाँ की चर्चा योजना के भाग –अ (आईटी समर्थ प्रणाली व स्काडा) व भाग –ब के तहत अलग–अलग आगामी कंडिकाओं में की गई है।

भाग–अ–आईटी समर्थ प्रणाली

2.1.10 योजना के भाग–अ में बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिऐ आईटी को अपनाना तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र सम्मलित है। योजना के भाग–अ में 17 माड्युल है ।

योजना का यह भाग ₹ 122.45 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ 20 शहरों में क्रियान्वित किया गया जिसमें से पीएफसी द्वारा कम्पनी को ₹ 71.28 करोड़ की राशि प्रदान कि गयी तथा मार्च 2016 तक ₹ 84.02 करोड़ (आंतरिक स्त्रोत से किये गये ₹ 12.74 करोड़ को सम्मलित करते हुए) खर्च किये गये। स्वीकृत लागत का शहरवार ब्यौरा, निधि की प्राप्ति व परियोजनाओं का कुल व्यय ***अनुलग्नक – 2.1.2*** में दिया गया है।

मीटर आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली माड्युल व ग्राहक संतुष्टि सेवा के कार्यरत हुये बिना ही 20 परियोजना शहरों में से 16 शहरों को गो–लाइव घोषित किये गये थे।

आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना आईटीआईए द्वारा कार्य आदेश (28 मार्च 2012) की तिथि से 18 माह के भीतर किया जाना था। जबकि आईटीआईए ने अगस्त 2015 तक कार्य पूर्ण करने में तीन वर्ष से अधिक समय लिया। आईटी समर्थ प्रणाली में कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओ में गयी है।

परियोजनाओं के 'गो–लाइव' की घोषणा

2.1.10.1 एसआरएस के अनुसार, आईटी समर्थ–प्रणाली की स्थापना व मानव दखल रहित एटीएण्डसी हानि प्रतिवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने पर परियोजना शहर को गो–लाइव घोषित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को सितंबर 2015 तक पूर्ण किये जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कम्पनी ने जून 2013 से अगस्त 2015 के दौरान सभी 20 शहरों को सभी दृष्टिकोण से गो–लाइव घोषित किया और इसकी सूचना पीएफसी को दी। इसमें मार्च 2015 तक गो–लाइव घोषित 16 शहर (बिलासपुर, रायपुर,

रायगढ़ व दुर्ग–भिलाई– चरौदा को छोड़कर) सम्मिलित है। जबकि इन शहरों को गो–लाइव घोषित करते समय मीटर आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) माड़युल कार्यरत नहीं थें जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इस माड्युल द्वारा कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गो– लाइव घोषित 12 शहरो में ग्राहक संतुष्टि सेवा (सीसीएस) माड्युल इन शहरों को गो–लाइव घोषित किये जाने की तिथि से एक से 15 महीनों के व्यतित होने के बाद कार्य करने प्रारम्भ किये।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि प्रारम्भ में एमडीएएस रिर्पोट सर्वर में कुछ समस्या थी जिसे बाद में सुधार लिया गया और अब माड्युल से सभी प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे है। शासन ने आगे बताया कि सीसीएस माड्युल के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी रायपुर में केंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की तथा आर–एपीडीआरपी के सभी शहरों में फ्युज ऑफ काल सेंटर (एफओसी)[8] और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध करने के बाद ही शहरों को गो–लाइव घोषित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शहरों को गो–लाइव घोषित करते समय एमडीएएस माड्युल से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा था और सीसीएस माड्युल ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था।

योजना के भाग–अ का क्रियान्वयन

2.1.10.2 योजना के भाग–अ के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी को सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार (आईटीसी) की नियुक्ति पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध सलाहकारों में से करनी थी। डीपीआर बनाने व कार्यो के प्रगति की निगरानी के लिए आईटीसी उत्तरदायी था। इसके अलावा, आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना के लिए एक आईटीआईए की नियुक्ति पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध फर्मो में से करनी थी।

योजना के सुस्त क्रियान्वयन के उदाहरणों पर चर्चा निम्नानुसार कि गयी हैः

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने से योजना के संभावित लाभ प्राप्त होने में विलंब हुआ।

• आरएफपी के अनुसार, आईटीसी का चयन आईटी सलाहकारों की सूची (9 जनवरी 2009) से 15 से 25 दिनों के भीतर पूर्ण करना था अर्थात अंतिम रूप से 4 फरवरी 2009 तक जबकि, कम्पनी ने आईटीसी का चयन 116 दिनों का विलंब होने के उपरांत 30 मई 2009 को किया।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि प्रारूप आरएफपी में कमियों के कारण तथा 'आचार संहिता' लागू होने से निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने तथा इसको खोलने में विलंब हुआ जिसके कारण आईटीसी की नियुक्ति विलंब से हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने 27 जनवरी 2009 को सूचित किया था कि आरएफपी को संशोधित किया जा सकता है। जबकि कम्पनी ने संशोधित आरएफपी ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया था। एक माह से अधिक समय हो जाने के बाद पुराने आरएफपी को आधार बनाकर निविदा आमंत्रण सूचना जारी कि गयी। यद्यपि, कम्पनी ने इस विषय पर ऊर्जा मंत्रालय से तुरन्त संपर्क किया होता तो प्रक्रिया निर्धारित समय अवधि के भीतर तथा 5 मार्च 2009 से प्रभावी आचार संहिता के पूर्व ही पूर्ण किया जा सकता था।

• डीपीआर के अनुसार, आईटीआईए के चयन की प्रक्रिया, डीपीआर की स्वीकृति (4 सितम्बर 2009) से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना था परन्तु प्रथम आईटीआईए (मेसर्स केएलजी सिस्टल) का चयन सात महीनों के विलंब के बाद 15 नवम्बर 2010 को किया गया। कार्य के क्रियान्वयन में कमी के कारण प्रथम आईटीआईए की सेवाऐं

[8] एफओसी अर्थात ऐसा केन्द्र जहाँ पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं।

समाप्त करने के बाद नये आईटीआईए के चयन के लिए 18 अक्टूबर 2011 को निविदा आमंत्रण सूचना जारी कि गयी। चयन प्रक्रिया तीन महीनों के (17 जनवरी 2012) भीतर पूर्ण किया जाना था परन्तु यह 28 मार्च 2012 को पूर्ण किया गया। अतः नये आईटीआईए (मेसर्स रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर) का चयन दो माह से अधिक विलंब होने पर किया गया।

• फास्ट ट्रेक टाउन[9] व पायलट टाउन[10] का कार्य आईटीआईए ने निर्धारित पूर्ण होने की तारीख (मार्च 2013) से क्रमशः 3 व 28 माह के विलंब से जून 2013 तथा अगस्त 2015 को पूर्ण किया। शेष 18 शहरों में परियाजना के कार्य निर्धारित पूर्ण होने की तारीख (सितम्बर 2013) से एक से 21 माह की सीमा से विलंबित होकर जून 2015 तक पूर्ण हुए। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब का मुख्य कारण आईटीआईए के साथ अनुबंध के अंतिमीकरण में विलंब, कार्य क्षेत्र की क्रियाकलापों के प्रारम्भ होने में विलंब और अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन में आईटीआईए की ओर से विलंब थे।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब से योजना के संभावित लाभों यथा एटीएण्डसी हानियाँ की कमी, विद्युत रूकावटों व बाधाओं में कमी, उपभोक्ता सेवा संतुष्टि में वृद्धि इत्यादि की प्राप्ति में विलंब हुआ।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि भाग–अ की परियोजनाओं में 20 शहरों में फैले अधिक समय लगने वाले कार्य सम्मलित है। शासन ने आगे बताया कि ऐसी बड़ी परियोजना को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय कम होने के कारण भारत सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि को सभी राज्यों के लिए 36 महीनों से 60 महीनों तक के लिए बढ़ा दी थी।

यह तथ्य अभी भी विद्यमान है कि कम्पनी ने परियोजना के प्रत्येक स्तर यथा आईटीसी/आईटीआईए के चयन, कार्य के क्रियान्वयन में अत्याधिक समय लिया जिससे परियोजना को पूर्ण करने में विलंब हुआ।

डीटीआर और फीडरों में स्थापित मॉडम सफलतापूर्वक ऊर्जा आंकड़े प्रेषित नहीं कर रहे थे जिससे योजना के उद्देश्य मानव दखल रहित ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण की प्राप्ति नहीं हुई।

ऊर्जा आंकड़ों का संचरण

2.1.10.3 एसआरएस के अनुसार, ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन मानव दखल रहित मॉडम के माध्यम से डाटा लेते हुए एक स्वचालित तरीके से अभिग्रहित होनी चाहिए। तद्नुसार, योजना में ऊर्जा आँकड़े सतत तौर पर अभिग्रहित करने के लिए प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) और फीडर में मीटर, मोडेम व जीपीआरएस सिम[11] की स्थापना का प्रावधान किया गया। उक्त विषय पर लेखापरीक्षा की निम्नांकित आपत्तियाँ हैः

• भाग–अ के तहत, डीटीआर पर 9612 मॉडेम लगाये गये तथा फीडरों पर 749 मॉडेम लागये। जिसमें से मार्च 2016 तक सिर्फ 2792 डीटीआर मॉडेम व 448 फीडर मॉडेम से ही ऊर्जा ऑकड़ों का संचार किया जा रहा था। 20 परियोजना शहरों में डीटीआर से सफलतापूर्वक ऊर्जा आँकड़े संचार करने वाले मॉडेम का प्रतिशत 11.43 प्रतिशत से 67.39 प्रतिशत की सीमा के बीच रहा तथा 17 शहरों में फीडरों से सफलतापूर्वक ऊर्जा आँकड़े प्रेषित करने वाले मॉडेम का प्रतिशत 0 प्रतिशत से 85.71 प्रतिशत के बीच रहा तथा शेष तीन शहरों में 100 प्रतिशत था। मॉड़ेमों के कार्यरत नहीं रहने के मुख्य कारण

---

9 कार्य तेजी से पूर्ण करने के लिए फास्ट ट्रेक टाउन के रूप में भाटापारा का चयन छोटा तथा डाटा केन्द्र के साथ –साथ मुख्यालय के भी पास होने के कारण किया गया।

10 प्रारूप आरएफपी के अनुसार, वह शहर जहाँ डाटा सेंटर स्थित हो पायलट टाउन (रायपुर) के रूप में माना जाना था।

11 सबक्राइबर आईडेंटिटी माड्युल।

डीटीआर व मीटरों के बीच जुड़ाव की समस्या, तारों में त्रुटियाँ, तीन फेस विद्युत आपूर्ति में रूकावट, मॉडेम के एंटिना का कार्य न करना तथा नेटवर्क की समस्या थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने मजबुरी में लिखित प्रवृष्टि के माध्यम से ऊर्जा ऑकडों की कमी को पूरा किया जिससे योजना का मूल उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण में मानव दखल का उन्मूलन असफल रहा।

(रायपुर शहर के वितरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित मॉडेम)

• भाग–ब के तहत, नये डीटीआर पर ₹ 2.76 करोड़ की लागत से 3768 मॉडेम स्थापित (मार्च 2016) किये गये परन्तु उनमें सिम स्थापित नहीं किये गये क्योंकि मॉडेम में सिम की स्थापना कार्य क्षेत्र में सम्मलित नहीं था। परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की लागत से स्थापित मोडेम बेकार पड़े हुए है जिससे इन मोडेमों को स्थापित करने का उद्देश्य असफल हुआ।

• एसआरएस के अनुसार, प्रणाली में एटीएण्डसी हानियाँ, वाणिज्यिक हानियाँ, हाई टेंशन (एचटी) हानियाँ, बस बार हानियाँ, सब–स्टेशन हानियाँ, डीटीआर हानियाँ तथा फीडर हानियाँ की गणना होनी थी। जबकि लेखापरीक्षा ने पाया कि मोडेम द्वारा आँकड़ों के संचार में कमी, मोडेम में सिम की अनुपलब्धता, अपूर्ण उपभोक्ता सूचीकरण तथा पूर्ण ऑकड़ों के अभाव के कारण गणनित एटीएण्डसी हानियाँ विश्वसनीय नहीं थे।

शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि कम्पनी समय पर समस्याओं को हल करके मीटर आँकड़ों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रही है एवं त्रुटियाँ जब और जहाँ सूचना में आती है तो क्षेत्र ईकाइयों द्वारा उन्हें सुधार किया जाता है। शासन ने आगे बताया कि कम्पनी नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के मामले को आईटीआईए के साथ लगातार उठाती रही है एवं मॉडमों में सिम की स्थापना के लिए सतत् प्रयास कर रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी मोडेमों में सिमों की स्थापना तथा समस्याओं के निराकरण करने में असफल रही जिसके कारण डीटीआर और फीडरों से ऊर्जा आँकड़ों के संचार में कमी हुई इससे मानव दखल रहित ऊर्जा लेखांकन के उद्देश्य असफल हुआ।

ग्राहक संतुष्टि सेवा माडयुल का क्रियान्वयन

2.1.10.4 एसआरएस के अनुसार सीसीएस माड्युल का उद्देश्य ग्राहकों के अनुरोधों/प्रश्नों/समस्याओं को यथासंभव कम से कम समय[12] लेकर तथा इसे उचित स्थान व स्तर में ले जाकर हल करना जिससे ग्राहक सेवा में सुधार हो।

माड्युल के क्रियाकलाप में निम्नांकित कमियाँ पायी गयीः

• लेखापरीक्षा ने पाया कि सीसीएस माड्युल में, शहरों के कार्यालयों के लेखों में रजिस्टर्ड सभी विद्युत समस्याओं की प्रवृष्टि नहीं कि गयी थी तथा 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्रमशः पाँच व 13 शहरों में सीसीएस माड्युल में दर्ज किये गये विद्युत समस्याओं तथा शहरों के लेखों में दर्ज विद्युत समस्याओ के बीच 48312 और 63174 का अन्तर था। यह दर्शाता है कि क्षेत्र स्तर में सीसीएस माड्युल का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं था।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि शहरों के विद्युत सुधार केन्द्रों (एफओसी) पर कम्प्युटर शिक्षित आपरेटरों की अनुलब्धता के कारण सभी शिकायते सीसीएस माड्युल में दर्ज नहीं हो सकी। जिसके कारण अन्तर उत्पन्न हुआ। शासन का उत्तर यह अभिपुष्ट करता है कि कम्पनी सीसीएस माड्युल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रबंध करने में असफल रही।

सभी विद्युत शिकायतों की प्रविष्टि सीसीएस माड्युल में नहीं कि गयी थी। इसके अलावा, माड्युल में उपभोक्ता प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रावधान नहीं किया था।

• एसआरएस के अनुसार, माड्युल में यह देखने के लिए कि शिकायते हल की गयी है या नहीं, उपभोक्ता प्रतिपुष्टि प्रणाली सम्मलित करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीसीएस माड्युल में, शिकायतों के निवारण पर उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं द्वारा बारंबार उसी शिकायत को पुनः दर्ज किये जा रहे थे क्योंकि इनका निराकरण नहीं किया गया था। जबकि ये शिकायतें सीसीएस माड्युल में निराकृत दिखायी जा रही थी। प्रतिपुष्टि प्रणाली के अभाव में, कम्पनी यह सुनिश्चत करने की स्थिति में नहीं थी कि शिकायतों का वास्तविकता में निराकरण कर दिया गया हैं या नहीं।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि केन्द्रीयकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा शिकायतों का 10 प्रतिशत प्रतिपुष्टि उपभोंक्ताओं से प्राप्त की गयी। शासन ने आगे बताया कि क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को एसआरएस में विशेष रूप से उल्लेखित सीसीएस माड्युल के माध्यम से प्रतिपुष्टि लेने में समर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा, शिकायतों के 10 प्रतिशत की प्रतिपुष्टि भी केन्द्रीयकृत सेवा केन्द्र से प्राप्त की जा रही है न कि एफओसी से प्राप्त कि जा रही थी।

• छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के मानक के अनुसार तकनीकी शिकायतों[13] का निवारण चार घण्टों के भीतर किये जाने थे। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के दौरान, चार[14] परियोजना शहरों के तकनीकी

---

12 सीएसईआरसी (विद्युत के वितरण में निष्पादन के मानक) नियमन 2006 की अनुसुची–I के अनुसार, निर्धारित समय जो कि विद्युत में रूकावट की समस्याओं के निराकरण के लिए चार घण्टे था।

13 विद्युत आपूर्ति में विफलता, वोल्टेज उतार–चढ़ाव, ट्रांसफार्मर व लाइन से संबंधित शिकायतों को तकनीकी शिकायतों में सम्मिलित किया जाता है।

14 भाटापारा, नैला–जाँजगीर, धमतरी और महासमुंद।

शिकायते 51 से 100 प्रतिशत की सीमा के बीच तथा 2015–16 के दौरान नौ[15] शहरों में तकनीकी शिकायतें 56.72 से 98.85 प्रतिशत की सीमा के बीच सीएसईआरसी की अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत नहीं किये गये थे। अतः तकनीकी शिकायतों के निवारण करने में विलंब के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के सेवा में कमी हुई जिसके कारण उपभोक्ताओं के असंतोष में वृद्धि हुई।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि तकनीकी शिकायतें सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत किये गये थे, किन्तु इनकी प्रवृष्टि उचित समय पर सीसीएस माड्युल में नहीं कि जा सकी क्योंकि एफओसी पर कम्प्युटर प्रशिक्षित आपरेटर की उपलब्धता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि कम्पनी द्वारा पीएफसी को प्रतिवेदित किया गया है कि सभी तकनीकी शिकायतें सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा उपभोक्ता सर्वेक्षण किये जाने के दौरान यह पाया गया कि 500 में से 305 सर्वेक्षित उपभोक्ता (61 प्रतिशत) अपनी शिकायतों प्रश्नों और अन्य बिलों से संबंधित समस्याओं को सीसीएस माड्युल में दर्ज करने के लिए आनलाइन या टेलीफोन सुविधा का उपयोग सुविधाओं के पर्याप्त जानकारी के अभाव में नहीं कर रहे थे *(अनुलग्नक – 2.1.3)*।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2016) कि कम्पनी ने उपलब्ध सुविधाओं को उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न माध्यमों से प्रचाारित किया जिससे कि उपभोक्ताओं द्वारा आईटी समर्थ सुविधाओं का उपयोग प्रारंभ किया जाये।

इसके अलावा, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग के साथ कम्पनी द्वारा उपभोक्ता अनुभव/संतुष्टि में सुधार के लिए उठाये गये कदम के विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान उन्होने बताया कि कम्पनी ने उपभोक्ता शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए सभी शहरों में एफओसी की स्थापना की है और उपभोक्ता केन्द्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र के सहायता नम्बर 1912 में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल में फीडर ट्रिपिंग्स का अभिलेखित किया जाना

2.1.10.5 अनुरक्षण प्रबंधन (एमएम) माड्युल विभिन्न अनुरक्षण गतिविधियों के बेहतर योजना व समन्वयन, निवारक व आगामी अनुरक्षण के तरीके को अपनाकर ब्रेकडाऊन को कम करना, समय पर निर्णय लेने के लिए अनुरक्षण इतिहास व प्रबंधन को अभिपुष्टि के लेखा के लिए एक प्रणाली का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान शहर कार्यालयों में क्रमशः 30999 व 28713 फीडर ट्रिपिंग्स रिकार्ड किये गये जबकि एमएम माड्युल में इसके विपरीत सिर्फ 996 व 1935 फीडर ट्रिपिंग्स रिकार्ड किये गये। यह दर्शाता है कि क्षेत्र कार्यालयों द्वारा एमएम माड्युल में सभी ट्रिपिंग्स के प्रविष्टियाँ नहीं कि गयी थी। इस प्रकार, एमएम माड्युल का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि क्षेत्र कर्मचारियों को आवश्यक निर्देशों के साथ–साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे कि प्रत्येक रूकावटों/ट्रिपिंग्स की प्रणाली में प्रविष्टि सुनिश्चित हो अतः इससे भविष्य में आँकड़ों की त्रुटियों को रोका जा सके।

---

15 भाटापारा, महासमुंद, मुंगेली, चाम्पा, धमतरी, अम्बिकापुर, कोरबा, नैला–जाँजगीर और रायगढ़।

बिलिंग माड्युल के अधीन वाणिज्यिक शिकायतें

2.1.10.6 बिलिंग माड्युल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनी कुशलतापूर्वक प्रदाय सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को बिल प्रदत्त करें और उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों का निवारण सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित सात दिनों के समय सीमा[16] के अवधि के भीतर करें।

उपरोक्त संबंध में लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ निम्नांकित है:

• सितंबर 2013 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, बिलिंग माड्युल में दर्ज 11543 शिकायतों[17] में से 5478 शिकायतें सात दिनों की निर्धारित समय सीमा में निराकृत कर दिये गयें थे। शेष 6065 शिकायतें (53 प्रतिशत) आठ से 562 दिनों के विलंब से निराकृत की गयी। इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा से परे शिकायतों के निराकृत करने की प्रवृति कमी को दर्शाती है जो कि 2013–14 में 93 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 40 प्रतिशत पर आ गई। इस प्रकार, यद्यपि शिकायत का निराकरण करने में विलंब कम हुआ है फिर भी यह ज्यादा है। शिकायतों का निराकरण करने में विलंब से उपभोक्ता असंतुष्टि में वृद्धि हो सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब के बावजूद, शासन व सीएसईआरसी की ओर से कम्पनी को शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है।

बिलों से संबंधित शिकायतों का निराकरण सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने में कमी हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि कर्मचारियों को शिकायतों का निवारण व बंद करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। शासन ने आगे बताया कि क्षेत्र कर्मचारियों को सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य करने की सलाह नियमित रूप से दी जाती है।

• उपभोक्ता सर्वेक्षण (मई 2016) के दौरान 500 में से 82 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं (16 प्रतिशत) द्वारा यह शिकायत कि गयी कि उनके मीटर की गणना नियमित रूप से नहीं ली जा रहीं है तथा उन्हें ऊर्जा प्रभार औसत उपभोग के आधार पर मिला है। इसके अलावा, 47 उपभोक्ताओं (9 प्रतिशत) द्वारा शिकायत कि गयी कि उन्हें बिजली बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था ***(अनुलग्नक – 2.1.3)***।

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने उक्त विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान बताया कि कम्पनी ने सभी शहरों (अंबिकापुर व जगदलपुर को छोड़कर) में मीटर गणना की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रारंभिक तौर पर स्पाट बिलिंग फोटो के साथ को प्रारंभ (मार्च 2016) किया है।

यह तथ्य विद्यमान है कि स्पाट बिलिंग फोटो के साथ सभी शहरों में जनवरी 2017 तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हुई थी और लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षित 16 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर गणना से संबंधित समस्या थी। इस प्रकार, कम्पनी को उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियमित रूप से मीटरों की गणना तथा सटीक बिलिंग हो।

उपभोक्ता सूचीकरण की पूर्णता

2.1.10.7 दखलरहित स्वचालित तरीके से ऊर्जा लेखांकन के लिए एसआरएस उपभोक्ताओं का सूचीकरण अनुबंधित करता है जो कि घर–घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से उपभोक्ता डाटाबेस तैयार करके किया जाना था। भाग–अ का डीपीआर यह

---

16 सीएसईआरसी (विद्युत वितरण में निष्पादन का मानक) नियमन 2006 की अनुसूची–1 के अनुसार, बिलों से संबंधित शिकायतों के लिए निर्धारित समय सीमा जो कि सात दिन है।

17 बिजली बिल की प्राप्ति न होना, मीटर गणना न होना, भुगतानों को अद्यतन न करना, गलत टैरिफ बिल संग्रहित होना, बंद खराब/जले मीटर, उच्च उपभोग इत्यादि।

प्रावधान करता है कि कम्पनी को आईटीआईए के साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली/प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे कि भविष्य में उपभोक्ता डाटाबेस को नियमित तौर पर वृद्धि/अद्यतन किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2016 तक कम्पनी ने 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 7.52 लाख (79.07 प्रतिशत) उपभोक्ताओं की सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, 1.99 लाख (20.93 प्रतिशत) उपभोक्ताओं के सूचीकरण की कमी रही। इसका कारण नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस के अद्यतन के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया विकसित न किया जाना था। परिणामतः योजना का प्रारंभिक उद्देश्य दखल रहित स्वचालित तरीके से ऊर्जा लेखांकन असफल हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2016) कि शेष उपभोक्ताओं का सूचीकरण दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिये जायेगें। इसके अलावा, इस विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने बताया कि कम्पनी उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत सूचीकरण करने के लिए प्रयास कर रही है।

तथ्य विद्यमान है कि डाटाबेस में नये उपभोक्ताओं के ऑकड़े नियमित तौर पर अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित न होने के कारण उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत सूचिकरण हासिल नहीं किये जा सके।

नये सर्विस कनेक्शन माड्युल की उपयोगिता

2.1.10.8 नये सर्विस कनेक्शन (एनएससी) माड्युल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधाओं का विस्तार करना है। यह उपभोक्ताओं को आनलाइन आवेदन प्राप्त व जमा करने में समर्थ बनाने के साथ आवेदन की स्थिति प्राप्त करने की सुविधा भी देता है। यह व्यवस्था नये कनेक्शन प्रक्रिया में लगने वाले समय को आनलाइन तंत्र के माध्यम से कम करने में मदद करता है।

लेखापरीक्षा ने माड्युल के कार्यप्रणाली में निम्नाकित कमियाँ पायी :

• एनएससी माड्युल में नये कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया[18] आनलाइन प्रणाली के माध्यम से करनी थी। 2015–16 के दौरान कम्पनी द्वारा 72589 नये सर्विस कनेक्शन जारी किये गये। इनमें से 55895 कनेक्शन एनएससी माड्युल के माध्यम से प्रदत्त किये तथा 16694 (23 प्रतिशत) कनेक्शन एनएससी माड्युल के क्रियान्वयन के बाद भी बिना माड्युल दिये गये। जिससे यह दर्शित होता है कि एनएससी माड्युल का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ

• माड्युल उपभोक्ता द्वारा नये सर्विस कनेक्शन के लिए आनलाइन आवेदन का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2013 से मार्च 2016 के दौरान 117204 नये उपभोक्ताओं में से सिर्फ 49 उपभोक्ताओं ने नये सर्विस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। नये कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन न करने का तथ्य की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा किये गये उपभोक्ता सर्वेक्षण से भी होती है ***(अनुलग्नक – 2.1.3)***। यह दर्शित करता है कि नये सर्विस कनेक्शन के लिए उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन सुविधा के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की जरूरत है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि क्षेत्र कार्यालयों को एनएससी के माध्यम से नये सर्विस कनेक्शन देने तथा लोगों को एनएससी माड्युल के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये है।

---

18 जैसे कि आवेदन पत्र स्वीकार करना, ग्राहकों के विवरण स्वीकारना, कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रणाली क्षमता की जॉच, निरीक्षण प्रतिवेदन का बनाना, प्राकलन बनाना तथा सर्विस आदेश बनाना।

भाग–अ व भाग–ब के कार्यों का समन्वयन

2.1.10.9 लेखापरीक्षा ने पाया कि चार शहर मनेन्द्रगढ़, मुंगेली, जगदलपुर व नैला–जाँजगीर के भाग–ब के कार्य[19] पूर्ण होने के बाद इन शहरों को गो–लाइव (भाग–अ) घोषित करने में क्रमशः 56, 80, 100 तथा 336 दिनों का विलंब हुआ। भाग–अ के कार्यों को भाग–ब के कार्य पूर्ण होने से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए था ताकि योजना के भाग–ब के अधीन स्थापित किये गये सब स्टेशन, फीडरों व डीटीआर से मीटर डाटा तथा जीआईएस में सम्पत्तियों को मैप किया जा सके। उपरोक्त शहरों में भाग–अ व भाग–ब के कार्यो में समन्वयन न होने के कारण कम्पनी भाग–अ के लाभों से विलंब की अवधि तक वंचित रही।

शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि कार्यक्षेत्रों की दशाओं के अनुसार कार्य निष्पादित किये गये तथा भविष्य में ऐसा विलंब न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

जोन कार्यालय भवनों का कार्य प्रदान करना

2.1.10.10 कम्पनी ने योजना के अनतर्गत 19 जोन कार्यालय भवन बनाने का निर्णय (सितम्बर 2011 व मार्च 2012) लिया। निविदा शर्तो के अनुसार, निविदा में ए–III श्रेणी[20] या उससे अधिक श्रेणी के ठेकेदार या सरकारी विभाग या उपक्रमों में इस प्रकृति के कार्यो में अनुभव प्राप्त ठेकेदार ही भाग लेने योग्य थे।

(रायगढ़ शहर का अपूर्ण जोन कार्यालय भवन)

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच कार्य[21] अयोग्य ठेकेदारों को प्रदान किये गये जो कि निविदा के उक्त मानदण्ड को परिपूर्ण नहीं कर रहे थे। परिणामतः ऐसे ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दो जोन कार्यालय भवन का निर्माण पाँच से 17 महीनों के विलंब से हुआ तथा दो जोन कार्यालय भवन का निर्माण ठेकेदारों के कार्य निष्पादन में कमी के कारण 31 मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि जोन कार्यालय भवन, रायगढ़ के संबंध में अनुबंध होने के पहले न्यूनतम बोलीकर्ता ए–II श्रेणी में पंजीकृत था तथा अनुबंध निष्पादित होने के पूर्व ए–IV श्रेणी में पंजीकृत हो गया। शेष जोन कार्यालय भवनों के संबंध में ठेकेदारों के अनुभव के आधार पर कार्य उन्हें प्रदान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जोन कार्यालय भवन, रायगढ़ के संबंध में ठेकेदार निविदा करते समय योग्य नहीं था तथा अन्य जोन कार्यालय भवनों के प्रकरण में ठेकेदारों के पास निविदा शर्तों के अनुसार सरकारी विभागों/उपक्रमों में इसी प्रकृति के कार्यों के आवश्यक अनुभव नहीं थे।

---

19 भाग– ब के कार्य मनेन्द्रगढ़, मुंगेली, जगदलपुर तथा नैला–जाँजगीर में क्रमशः 31 दिसम्बर 2013, 25 अक्टूबर 2013, 30 अप्रैल 2014 एवं 30 अप्रैल 2014 को पूर्ण हुए।

20 ए–III श्रेणी का ठेकेदार ₹ 50 लाख तक के कार्यों के लिए योग्य है।

21 रायगढ़–I, रायगढ़–II, दुर्ग, मुंगेली और बिलासपुर के दो मंजिला जोन कार्यालय भवन का निर्माण।

पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं आँकडे अभिग्रहण प्रणाली की स्थापना

2.1.11 स्काडा में बड़े शहरों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) विकेन्द्रीत रूप से नियंत्रण द्वारा रिमोट संचालन के माध्यम से प्रणाली की विश्वसनियता को बढ़ाना सम्मिलित है। स्काडा परियोजना की स्वीकृती (जनवरी 2012) के तीन वर्षों के अन्दर जैसा कि जनवरी 2015 तक दो शहरों[22] में स्थापित करना था इसे बाद में मार्च 2017 तक बढ़ाया गया। कम्पनी को डीपीआर बनाने, परियोजना के निरीक्षण एवं परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एसआईए की नियुक्ति के लिए कम्पनी की सहायता करने के लिए स्काडा सलाहकार (एसडीसी) नियुक्त करना था। स्काडा का भाग–अ स्काडा/डीएमएस के आईटी भाग से संबंधित है। स्काडा का भाग–ब स्काडा/डीएमएस के लिए सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण से संबंधित है। दो शहरों की स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 41.06 करोड़ थी, उसमें से ₹ 12.32 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ (सितम्बर 2012) एवं ₹ 2.59 करोड़ सलाहकार को भुगतान करने के लिए तथा एसआईए को मोबलाइजेशन अग्रिम देने में खर्चा हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 तक परियोजना में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं स्काड़ा परियोजना पर कुल खर्चा का शहरवार वर्गीकरण *अनुलग्नक – 2.1.2* में दिया गया है।

स्काडा कार्य का निष्पादन

2.1.11.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, स्काडा/डीएमएस का क्रियान्वयन एसआईए के द्वारा किया जाना था। कम्पनी ने मेसर्स अलस्टाम टी एण्ड डी, इंडिया लिमिटेड को एसआईए नियुक्त (26 अप्रैल 2013) किया। 11 जुलाई 2014 को अनुबंध निष्पादित किया गया जिसके अनुसार निर्धारित पूर्णता अवधि जनवरी 2016 थी। डीपीआर के अनुसार कम्पनी एसआईए को कार्य करने के लिए स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करायेगी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कम्पनी की ईआईटीसी संकाय द्वारा निविदा की प्रक्रिया में विलंब करने के कारण कम्पनी ने एसआईए की नियुक्ति निर्धारित तिथि से एक वर्ष विलंब से किया। इसके अलावा, कार्य आदेश के अनुसार कार्य आदेश से 14 दिन के अन्दर अर्थात 9 मई 2013 तक अनुबंध निष्पादित करना था। परन्तु एसआईए द्वारा निष्पादन गारंटी विलंब से देने के कारण अनुबंध कार्य आदेश से 14 माह से अधिक समय व्यतित हो जाने के बाद 11 जुलाई 2014 को निष्पादित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप स्काडा के कार्य की निर्धारित पूर्णता अवधि 14 माह से आगे बढ़ गई।
- डीपीआर के अनुसार कम्पनी एसआईए को कार्य करने के लिए स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करायेगी। इन कार्यो को निष्पादित करने के लिए कम्पनी ने 19 मार्च 2013 को निविदा जारी की। बोलीदाताओं द्वारा रूचि न लेने के कारण इसे आठ बार 15 नवम्बर 2013 तक बढ़ाया गया। तदोपरान्त, कम्पनी ने कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य को दो भागों में बाँटनें का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013) एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़[23] करने का कार्य एसटीआरई संकाय को उसके अनुभव एवं कुशलता को ध्यान में रखते हुए दिया गया। उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित अन्य कार्य[24] कम्पनी की ईआईटीसी संकाय द्वारा किया जाना था।

---

22 रायपुर एवं दुर्ग–भिलाई–चरोदा शहर

23 ट्रॉंसफार्मर की स्थापना, डीजीटल रिले पेनल एवं एबी केबल के साथ डीपी स्ट्रक्चर का निर्माण।

24 सर्वेक्षण, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापित करना जाँच एवं रिंग मेन यूनिट तथा फाल्ट पेसेज इंडिकेटर की स्थापना।

यदि कम्पनी इसे प्रारंभिक दौर में ही दो भागों में बाँट देती तो कम्पनी सात माह[25] का समय बचा लेती जो कि संयुक्त निविदा की प्रक्रिया में व्यर्थ किया। कार्यों को दो भागों में बाँटने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश दिया गया (मई 2015 से मई 2016 के दौरान)। ये कार्य प्रगति में हैं।

• डीपीआर के अनुसार कम्पनी को स्वयं की लागत से स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन एसआईए को प्रदान करना था। कम्पनी ने भिलाई का स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन दिसम्बर 2013 में पूर्ण किया परन्तु रायपुर को स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन का निर्माण मार्च 2016 तक नहीं किया गया था। कार्य आदेश के अनुसार, एसआईए को स्काडा हार्डवेयर नियंत्रण केन्द्रों में स्थापित करना था। यद्यपि, एसआईए ने भिलाई के नियंत्रण केंन्द्र भवन में 31 मार्च 2016 तक दो वर्ष व्यतित हो जाने के बाद भी स्काडा हार्डवेयर स्थापित करने का कार्य कम्पनी द्वारा स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना उपलब्ध नहीं कराया जाना बताकर शुरू नहीं किया। इसके अलावा एसआईए के निवेदन पर कम्पनी ने कार्य की पूर्णता अवधि में अगस्त 2017 तक की वृद्धि प्रदान की (फरवरी 2016)।

(भिलाई का स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन बिना स्काडा की स्थापना के)

चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी स्काडा परियोजनाओं की स्थापना में कोई प्रगति नहीं थी।

इस प्रकार, स्काडा परियोजना की स्वीकृति (जनवरी 2012) के चार वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बावजूद कम्पनी परियोजना में कोई प्रगति नहीं कर पाई जिसके फलस्वरूप वितरण प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनियता को बढ़ाने का संभावित उद्देश्य एसआईए की नियुक्ति में विलंब, एसआईए द्वारा कार्य न करने एवं कम्पनी द्वारा स्काडा सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण प्रदान न करने के कारण विफल हुआ।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी भारत सरकार द्वारा मार्च 2017 तक प्रदान की गयी समय वृद्धि तक कार्य को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

भाग–ब: वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य

2.1.12 योजना का भाग–ब में वितरण प्रणाली के नियमित सुदृढ़ीकरण जैसे सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, लाईन की री–कंडक्टरींग, घने क्षेत्रों में ऐरियल बन्च कंडक्टरींग करना, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इनर्जी मीटर को बदलकर दोषपूर्ण रहित इलेक्ट्रानिक मीटर लगाना, केपीसीटर बैंक स्थापित करना आदि सम्मिलित है। योजना का भाग–ब 19 शहरों में ₹ 710.24 करोड़ की स्वीकृत लागत से कार्यान्वित करना था जिसकी निर्धारित पूर्णता तिथि जनवरी 2015 थी जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2017 तक बढ़ाया गया। मार्च 2016 तक ₹ 551.97 करोड़ निधि प्राप्त हुई। जिसमें से ₹ 540.46 करोड़ व्यय हुआ तथा 83.97 प्रतिशत कार्य की भौतिक प्रगति थी जिसें **रेखाचित्र – 2.1.1** में दिखाया गया है।

[25] अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013

रेखाचित्र – 2.1.1
सभी शहरों की मुख्य मदों की भौतिक प्रगति

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

स्वीकृत लागत, प्राप्ति एवं निधि का व्यय का शहरवार वर्गीकरण *अनुलग्नक–2.1.2* दिया गया है।

कार्यों का निष्पादन

2.1.13 कम्पनी के कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई) संकाय द्वारा शहरवार खुली निविदाओं के माध्यम से नियुक्त विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों को वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य प्रदान किये गये। कम्पनी के संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता, जो कि परियोजना प्रभारी है, योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करवाने एवं अपने अधिकार क्षेत्र में संपादित कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर 19 शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य का आदेश दिए (मई 2012 से मार्च 2013)। मार्च 2016 की समाप्ति तक केवल 15 शहर पूर्ण[26] हुए। परियोजनाओं के निष्पादन में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

'गो– लाईव' शहरों की एटीएण्डसी हानियाँ

2.1.13.1 आर–एपीडीआरपी का प्राथमिक उद्देश्य एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना है एवं उसे इस स्तर पर बनाये रखना है। योजना के प्रारंभ में 2009–10 में 20 परियोजना शहरों की एटीएण्डसी हानि 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के मध्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना में सम्मिलित शहरों में 2014–15 एवं 2015–16

[26] समापन प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

की अवधि के दौरान एटीएण्डसी हानि 2.88 एवं 51.28 प्रतिशत के मध्य थी जिसे **रेखाचित्र – 2.1.2** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 2.1.2

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान शहरवार एटीएण्डसी हानियाँ

उपरोक्त से लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

कम्पनी आर–एपीडीआरपी के प्रारम्भिक उद्देश्य गो–लाइव शहरों में एटीएण्डसी हानियों को 15 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य तक लाने में विफल रही।

• वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान 16 एवं 20 गो–लाईव शहरों में से केवल तीन[27] (19 प्रतिशत) एवं चार[28] (20 प्रतिशत) शहर क्रमशः अच्छे प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य के क्रियान्वयन, अच्छी राजस्व वसूली एवं निरीक्षण के कारण लक्षित 15 प्रतिशत एटीएण्डसी हानि को प्राप्त कर सके। अन्य शहरों के निराशजनक निष्पादन का कारण निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादन, बिजली चोरी की उच्चदर एवं बाकीदारी उपभोक्ता था।

• पाँच शहरों[29] की उपलब्धि लक्ष्य से बहुत कम थी एवं उनका एटीएण्डसी हानि का प्रतिशत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान 32.81 एवं 51.28 के मध्य था।

• कम्पनी कवर्धा, डोंगरगढ़, मनेन्द्रगढ़, भाटापारा एवं अम्बिकापुर शहरों में प्राप्त किये गये एटीएण्डसी हानि को उसी स्तर पर बनाये रखने में असफल रही जो कि 2014–15 में क्रमशः 27.10, 11.38, 27.66, 17.39 एवं 36.36 प्रतिशत थी जबकि 2015–16 में बढ़कर 34.60, 18.37, 35.31, 18.07 एवं 37.12 प्रतिशत हो गयी।

---

27 डोगंरगढ़, धमतरी एवं चिरमिरी।

28 दल्ली राजहरा, दुर्ग–भिलाई–चरोदा, रायपुर एवं चिरमिरी।

29 चाम्पा, अम्बिकापुर, नैला–जाँजगीर, कोरबा एवं मुंगेली।

• वर्ष 2015–16 के दौरान 16 शहरों[30] की एटीएण्डसी हानियाँ 15 प्रतिशत के बेंचमार्क स्तर से अधिक थी जो कि 213.78 मिलियन यूनिट थी जिसके कारण ₹ 66.06 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी गो– लाईव शहरों में एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत के लक्षित स्तर को कायम रखने के आर–एपीडीआरपी के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

निर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2016) के दौरान शासन ने कहा कि एटीएण्डसी हानि का वक्रपथ राज्य में घटते क्रम में है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पाँच शहरों में एटीएण्डसी हानि 2014–15 की तुलना में 2015–16 में बढ़ते क्रम में है। इसके अलावा 20 गो–लाईव शहरों में से 16 शहरों की एटीएण्डसी हानि 15 प्रतिशत के बेन्चमार्क स्तर से अधिक थी।

इसके अलावा, एटीएण्डसी हानि को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने कहा कि सभी शहर 15 प्रतिशत के एटीएण्डसी हानि का लक्ष्य 2018–19 तक प्राप्त करेंगें। उन्होंन यह भी कहा कि सभी शहरों में चोरी को रोकने के लिए एरियल बन्च केबल लगाये जा रहे हैं।

पूर्णता प्रमाण पत्र का मुद्दा

2.1.13.2 कम्पनी ने कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई), अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को योजना के भाग–ब कार्य को करवाने के लिए क्रमशः नोडल अधिकारी, परियोजना प्रभारी एवं सहायक परियोजना प्रभारी नियुक्त किया। उनकी मुख्य जिम्मेदारी कार्य आदेश की नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य को पूर्ण करवाने को सुनिश्चित करना था।

(कार्य आदेश के प्रावधानों के अनुसार अम्बिकापुर शहर में सर्विस केबल स्थापित नहीं किया गया)

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने अभी तक (मार्च 2016) अम्बिकापुर शहर का भाग–ब का कार्य पूर्ण[31] नहीं किया है, यद्यपि, कम्पनी के अधीक्षण अभियंता ने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया (31 मार्च 2014) एवं कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई) ने इसे पीएफसी को सूचित किया। इस प्रकार पूर्णता प्रमाणपत्र बिना कार्य पूर्ण किये जारी किया गया एवं पीएफसी को गलत जानकारी दी गई। अपूर्ण कार्य के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करते हुए ठेकेदार को शेष कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया

30 मार्च 2015 तक गो–लाईव घोषित किये गये।

31 डीटीआर बाक्स एवं सर्विस केबल स्थापित नहीं किया एवं एबी केबल को उर्जित नहीं किया गया।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कुछ व्यावहारिक कारणों से कुछ डीटीआर एवं लाईन उर्जित नहीं की जा सकी एवं कमियों को कम्पनी ने सुधार लिया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपूर्ण कार्य के कारण डीटीआर एवं लाईन उर्जित नहीं की गई। बहुत से स्थानों में एबी केबल, वितरण बाक्स एवं सर्विस केवल स्थापित नहीं किया गया।

निगरानी समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कार्य का निष्पादन

2.1.13.3 निगरानी समिति के निर्णय (अगस्त 2012) के अनुसार बीओक्यू में संशोधन के कारण लागत में परिवर्तन स्वीकृत डीपीआर लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मनेन्द्रगढ़ एवं मुंगेली शहर में कार्य की वास्तविक लागत स्वीकृत डीपीआर लागत ₹ 5.38 करोड़ एवं ₹ 5.15 करोड़ के विरूद्ध क्रमशः ₹ 5.84 करोड़ एवं ₹ 5.98 करोड़ थी। मुंगेली शहर के लिए 19.34 प्रतिशत एवं मनेन्द्रगढ़ शहर के लिए 23.97 प्रतिशत लागत में वृद्धि का मुख्य कारण कार्य निष्पादन के दौरान कार्य के क्षेत्र में वृद्धि था जो प्रदर्शित करता है कि डीपीआर वास्तविक आधार पर नहीं बनाई गई। निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित 10 प्रतिशत की परिवर्तन सीमा से अधिक लागत को कम्पनी द्वारा अपनी निधि से फाइनेंस करना पड़ता है एवं इसका योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, वास्तविक आधार पर डीपीआर नहीं बनाने के कारण कम्पनी को अतिरिक्त लागत ₹ 1.13 करोड़ वहन करना होगा।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि 2010–11 में उपलब्ध कार्य एवं कार्य स्थल की स्थिति के आधार पर डीपीआर बनाया गया एवं वास्तविक कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य कराया गया। शासन ने पुनः कहा कि इसका प्रस्ताव पीएफसी के माध्यम से निगरानी समिति के समक्ष रखा गया (सितम्बर 2015) है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि डीपीआर लागत से केवल 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक लागत में परिवर्तन स्वीकार्य था।

निविदाओं का अन्तिमीकरण

2.1.13.4 निगरानी समिति से अनुमोदन के बाद कम्पनी ने भाग–ब के कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशा निर्देश एवं भाग–ब की डीपीआर में टर्नकी निविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया वहीं भाग–अ एवं स्काडा की अनुमोदित डीपीआर में निष्पादन करने वाली एजेंसी की नियुक्ति के लिए तीन माह का समय प्रदान किया गया। किसी समय सीमा के अभाव में कम्पनी को भाग–ब की निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए योजना की भाग–अ के समान तीन माह का समय अपनाना चाहिए था। यथापि, निविदा को 21 एवं 164 दिन के (निविदा को अन्तिमरूप देने के लिए तीन माह का समय लेते हुए) विलम्ब से अन्तिमरूप दिया गया जिसके कारण सम्पूर्ण परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि भविष्य की निविदाओं में कम्पनी लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को ध्यान में रखेगी तथा निविदा को अन्तिमरूप देने में विलम्ब को कम करने के लिए समय सारणी विकसित करेगी या उसका पालन करेगी।

कार्यों की पूर्णता

2.1.13.5 कार्य आदेशों के अनुसार, कार्य आदेश से दिनांक 12/18 माह के अंदर भाग–ब कार्य पूर्ण करना था। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कार्य की प्रगति का विवरण *अनुलग्नक – 2.1.4* में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 शहरों में से केवल दो शहरों का कार्य समय पर पूर्ण हुआ एवं 13 शहरों का कार्य दो से 13 माह के विलम्ब से पूर्ण हुआ। शेष चार शहरों का कार्य मार्च 2016 तक 28 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण रिंग फेंसिंग को पूर्ण करने में विलम्ब, कार्य के क्षेत्र में बार–बार परिवर्तन, सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब, 33/11 केव्ही लाईनों के सर्वेक्षण में विलम्ब, जन अवरोध, कार्य करने के लिए विद्युत शटडाउन समय पर न देने, भारी वर्षा एवं ठेकेदारों का निम्न निष्पादन था। यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी ने ना ही कार्य की ठीक से योजना बनाई एवं ना ही ठेकेदारों को आधारभूत अद्योसंरचना प्रदान की।

शासन ने विलम्ब के कारणों को उचित बताते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि उपरोक्त वर्णित समस्यायें पूरे भारत में व्याप्त है एवं तदानुसार ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने पूर्णता अवधि को जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक बढ़ाया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कार्य को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक ज्यादा समय लिया एवं परिहार्य विलम्ब को नियंत्रित करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ एवं योजना से मिलने वाले लाभ में भी विलम्ब हुआ।

रायगढ़ शहर का कार्य आदेश

विलम्ब से निविदा को अन्तिम रूप देने के कारण प्रस्ताव कि वैद्यता अवधि समाप्त हुई एवं तदोपरांत उच्च दर पर नई निविदा प्रदान करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य योग्य वित्तीय भार पड़ा।

2.1.13.6 निविदा का नियम एवं शर्त के अनुसार सफल बोलीदाता को स्वीकृती पत्र की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निष्पादन सुरक्षा जमा करना था। इसके अलावा, सफल बोलीदाता के ऐसा करने में विफल होने पर कम्पनी अगले निम्न बोलीदाता को ठेका प्रदान कर सकती है। कम्पनी ने रायगढ़ शहर के प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (20 जुलाई 2011)। निविदा को अन्तिमरूप दिया गया एवं एल–1 निविदाकार मेसर्स अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) को ₹ 30.64 करोड़ के मूल्य का स्वीकृती पत्र प्रेषित किया (23 मार्च 2012) गया। यद्यपि ठेकेदार ने निर्धारित समय में निष्पादन सुरक्षा जमा नहीं की एवं कम्पनी ने इसके लिए नवीन निविदा जारी (27 अगस्त 2012) की। नये ठेकेदार का ₹ 34.86 करोड़ में कार्य का आदेश दिया (7 मार्च 2013) गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने मूल निविदा को अन्तिमरूप देने में आठ माह का अत्यधिक लम्बा समय लिया तदोपरान्त, चयनित बोलीदाता द्वारा निष्पादन सुरक्षा जमा न करने पर एल–2 बोलीदाता को दिया गया प्रति प्रस्ताव उनके द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया क्योंकि उस समय तक प्रस्ताव की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी यदि कम्पनी निविदा को अन्तिमरूप वैधता अवधि के बहुत पहले कर लेती तो एल–1 बोलीदाता के विफल होने पर कम्पनी एल–2 बोलादाता को उनकी दी गई दर ₹ 33.68 करोड़ दर पर कार्य आदेश दे सकती थी एवं ₹ 1.18 करोड़ बचा सकती थी। जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य योग्य वित्तीय भार पड़ा।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विलंब बहुत अधिक वित्तीय बोली की संवीक्षा के कारण हुआ एवं समय पर निविदा को अन्तिमरूप देने के लेखापरीक्षा की अनुशंसा का भविष्य की निविदा में पालन किया जायेगा। शासन ने पुनः कहा कि एल–2 बोलीदाता मेसर्स एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्रति प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल्य बोली की वैद्यता अवधि 26 मार्च 2012 से कम्पनी अच्छी तरह अवगत थी। इसलिए, कम्पनी को निविदा का अन्तिमिकरण समय सीमा में करना चाहिए जिससे कि मूल्य बोली की वैद्यता अवधि समाप्त होने पर बोलीदाता द्वारा निविदा को अस्वीकार्य करने की स्थिति को रोका जा सके। यद्यपि कम्पनी ने निविदा के अन्तिमीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की एवं निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ जिसके कारण मूल्य बोली की वैद्यता अवधि समाप्त हुई तथा तदोपरान्त एल–2 बोलीदाता ने प्रति प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार किया।

भाग–ब कार्य का क्रियान्वयन

2.1.13.7 अभिलेखों की संवीक्षा में कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीः

• निविदा की नियम एवं शर्तो के अनुसार यदि त्रुटि दायित्व की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री/निष्पादित किये गये कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ठेकेदार त्रुटिपूर्ण सामग्री/कार्य में तत्परता से समुचित सुधार कार्य करेगा या सामग्री को बदलेगी। कोरबा शहर में मिनियेचर सक्रिट ब्रेकर (एमसीबी) की गुणवत्ता निम्न थी एवं डीटीआर में स्थापित अधिकतर एमसीबी विफल हो गये थे या जल गये थे। यद्यपि ठेकेदार ने इन्हें बदलने के बजाय ग्रीप स्थापित कर दिया। इस प्रकार विफल एमसीबी को चलाने के लिए ग्रीप का उपयोग किया जो कि ठेके की शर्त का उल्लंघन था एवं सुरक्षा के साथ समझौता भी किया गया।

• नैला–जाँजगीर, चाम्पा, महासमुन्द अम्बिकापुर एवं राजनान्दगाँव शहर में सब स्टेशन या लाईन को उर्जित करने के लिए विद्युत इंस्पेक्टर से अनुमति नहीं ली गई जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं आपूर्ति से संबंधित मामले) विनियमन 2010 का उल्लंघन था।

आन्तरिक नियंत्रण, निगरानी एवं प्रशिक्षण

2.1.14 निगरानी गुणवत्ता आश्वस्त प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। योजना एसएलडीआरसी द्वारा निगरानी, निर्धारित प्रपत्र में पीफसी को मासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा करना एवं राज्य स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा निगरानी का रचनातंत्र प्रदान करती है। इसके अलावा एक अन्य पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था योजना के मूल्यांकन के लिए भी थी। निगरानी रचनातंत्र की समीक्षा से निम्नलिखित पाया गयाः

माईलस्टोन/लक्ष्य की निगरानी एवं एसएलडीआरसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन

एसएलडीआरसी योजना की शर्तो का अनुपालन एवं योजना के माईल स्टोन की प्राप्ति के निरीक्षण में विफल रही।

2.1.14.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य द्वारा एसएलडीआरसी[32] का गठन परियोजना प्रस्ताव की अनुशंसा, योजना की शर्तो के पालन की निगरानी एवं माईल स्टोन की प्राप्ति के लिए की गई थी। तदानुसार, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, न एसएलडीआरसी गठित (अगस्त 2009) की एवं निर्देशित किया कि प्रत्येक दो माह में एक बार एसएलडीआरसी की बैठक होनी चाहिए।

सितम्बर 2009 से मार्च 2016 के दौरान एसएलडीआरसी की 39 बैठकों के स्थान पर सिर्फ आठ बैठक ही आयोजित हुई तथा 6 जनवरी 2012 के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। नियमित रूप से बैठक के अभाव में एसएलडीआरसी ने योजना के माईलस्टोन एवं लक्ष्य तथा शर्तों के अनुपालन के अभाव के कारण निष्पादन में कमी, ठेकेदारों द्वारा असंतोषजनक निष्पादन एवं कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने पर आगे की कार्यवाही का अभाव था।

---

[32] मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभिन्न उच्च स्तरों पर समीक्षा बैठक के निरंतरता को देखते हुए एसएलडीआरसी द्वारा अलग से प्रगति की समीक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं की। यद्यपि कम्पनी लेखापरीक्षा की अनुशंसा का भविष्य में पालन करेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसएलडीआरसी के दिशा निर्देश के अनुसार योजना की शर्तो का अनुपालन एवं माईल स्टोन की प्राप्ति को निगरानी के लिए प्रत्येक दो माह में एक बैठक आयोजित करना आवश्यक था। यद्यपि, कम्पनी इसका अनुपालन करने में विफल हुई।

निगरानी प्रणाली

2.1.14.2 योजना की निगरानी में पाई गयी कमी को नीचे दर्शाया गया है :

• कम्पनी के अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तर पर साप्ताहिक/नियमित आधार पर परियोजना की निगरानी करना था। यद्यपि कम्पनी ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन/अभिलेख संधारित नहीं किया। इसके अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि जिम्मेदार अधिकारी ने कुशलतापूर्वक परियोजना की निगरानी की एवं निर्धारित समय में परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया।

• योजना की विशेष निगरानी के लिए ऊर्जा मंत्रालय राज्य स्तरीय टास्कफोर्स का गठन (14 अगस्त 2013) किया। टास्कफोर्स को सम्बन्धित राज्य में महीनें में एक बार भ्रमण करना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने टास्कफोर्स के भ्रमण, उनके द्वारा दिये गये सुझाव एवं उन सुझाव पर की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज संधारित नहीं किया। इसलिए, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि टास्कफोर्स के गठन का संभावित उद्देश्य को पाया गया।

• कम्पनी के पास आवधिक विवरण एवं निष्पादन प्रतिवेदन जैसा कोई रचनातंत्र नहीं था जिसके द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जैसा कि प्रगति की स्थिति, शर्तो का अनुपालन, लक्ष्य की प्राप्ति की प्रगति एवं योजना की प्रगति को आवधिक रूप से संचालक मण्डल की जानकारी में लाया जा सके। ऐसे प्रणाली का अभाव, विशेषरूप से इतने महत्वपूर्ण परियोजना के लिए, कम्पनी की तरफ से एक गंभीर कमी है।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी कार्य की प्रगति की निगरानी करती है एवं आश्वस्त किया कि भविष्य में निगरानी के प्रणाली में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी को योजना की निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कम्पनी/शासन द्वारा बनाये गये दिशा निर्देश नियम एवं विनियमन के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इस सम्बंध में, समीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि आर–एपीडीआरपी क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक–एसटीआरई एवं मुख्य अभियंता–ईआईटीसी, नोडल आफिस का आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया।

भाग–ब की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सम्पत्तियों के भौतिक रूप से उपस्थिति को सुनिश्चित करता है एवं यह आश्वस्त करता है कि इसका लेखांकन उचित ढंग से किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि भाग–अ का भौतिक सत्यापन किया गया वहीं 2012–13 से 2015–16 की अवधि के दौरान योजना के भाग–ब के अधीन स्थापित हुए सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

शासन ने कहा कि (नवम्बर 2016) कि ठेकेदारों के बिलों को अनुमोदित करते समय संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों के बिलों का अनुमोदन के बाद सम्पत्ति की भौतिक उपस्थिति एवं उनका समुचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अवधि में स्थापित सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को प्रशिक्षण

2.1.14.3 भारत सरकार की निगरानी समिति के 12 वीं बैठक के अनुसार, योजना के अन्तर्गत तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को विद्युत वितरण में छः माह का प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। यह कम्पनी का उत्तरदायित्व है कि वह पंजीयन करवाये तथा अध्ययन शुल्क का भुगतान करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना में उल्लेखित होने के बावजुद भी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण प्रदत्त (मार्च 2016) नही किया गया। परिणामस्वरुप, योजना के सम्माहित लाभ से तकनीकी कर्मी/लाइनमेन वंचित हुए।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को छः माह का प्रमाणपत्र प्रशिक्षण नही दिया गया क्योंकि कर्मचारीयों को छः माह के लिए खाली रखना पडता और प्रशिक्षण शुल्क को कर्मचारीयों द्वारा दिया जाना था जो कि बाद में उन्हे उक्त प्रशिक्षण में सफल होने के उपरान्त लौटा दिया जाता।

उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि उक्त प्रशिक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया जाना था और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान न करने के परिणामस्वरुप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लघंन हुआ।

विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता तथा विधिक कार्यवाही

2.1.14.4 विद्युत चोरी रोकने तथा इसके द्वारा वाणिज्यिक हानियाँ को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सतर्कता व विधिक कार्यवाही है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत चोरियों के प्रकरणों में शामिल राशि बढ़ती हुई प्रवृति में दिख रही है जो कि ₹ 7.56 करोड़ (2009–10) से 338 प्रतिशत बढ़कर ₹ 25.58 करोड़ (2014–15) हो गयी जिसे *रेखाचित्र – 2.1.3* में देखा जा सकता है।

रेखाचित्र – 2.1.3

चोरी के प्रकरणों की संख्या तथा इसमें शामिल राशि

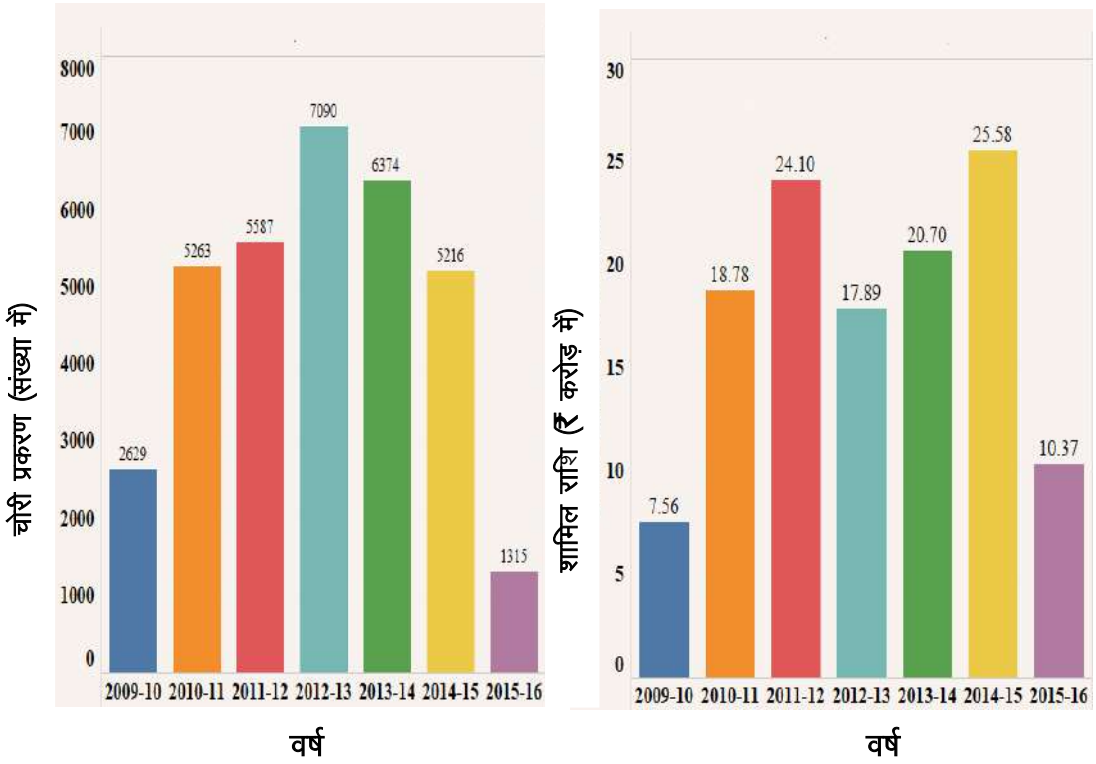

यह दर्शित करता है कि विद्यमान प्रणाली विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रभावी नही था। इसके अलावा, 2009–10 से 2015–16 की अवधि के दौरान 33474 चोरी/लघु चोरी के प्रकरणों में सिर्फ 2149 प्रकरणों में प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज कि गयी थी। इन 2149 दर्ज प्रकरणों के विरुद्व में सिर्फ 393 प्रकरणों[33] (18.29 प्रतिशत) में ही दोषसिद्वि की गयी।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि विद्युत चोरी को कम करने के लिए कम्पनी ने विभिन्न कदम उठाये है। इसके अलावा शासन ने बताया कि पंजीकृत प्रकरणों की लिखित सूचना पुलिस को दी जाती है तथा 2009–16 के दौरान कम्पनी द्वारा कुल 21235 प्रकरणों को एफआईआर के रुप में पंजीबद्व करवाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि 2009–10 से 2014–15 के दौरान विद्युत चोरी के प्रकरण बढ़ती हुई प्रवृत्ति में है। इसके अलावा एफआईआर के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक तौर पर गलत है क्योंकि वर्ष 2009–10 से 2015–16 के दौरान सिर्फ 2149 प्रकरण एफआईआर के रुप में दर्ज हुए।

सतर्कता प्रभाग के लिए लक्ष्यों का निर्धारण

2.1.14.5 सतर्कता प्रभाग के द्वारा निरीक्षण के लक्ष्यों व उनकी प्राप्ति की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा की निम्नांकित आपत्तियाँ हैः

[33] कुल 33474 चोरी/अनियमित प्रकरणों का 1.17 प्रतिशत

- वर्ष 2009–10 से 2015–16 के दौरान, निरीक्षण के लक्ष्यो की तुलना में उपलब्धि 76.36 प्रतिशत से 116.24 प्रतिशत के बीच रही। लेखापरीक्षा ने पाया कि सतर्कता प्रभाग ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि पिछले वर्षो[34] की तुलना में कम लक्ष्य निर्धारण करने के कारण वर्ष 2014–15 व 2015–16 में लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये।

- सतर्कता प्रभाग के द्वारा 2009–10 से 2015–16 में राजस्व संग्रह के लक्ष्यों के प्राप्ति की सीमा 114.24 और 452.48 के बीच थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 और 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष[35] संग्रहित राजस्व की तुलना में कम लक्ष्य निर्धारित किये गये। यह दर्शित करता है कि सतर्कता प्रभाग का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था यद्यपि चोरी के प्रकरणों में वृद्धि की प्रवृति थी जैसा कि कंडिका 2.1.14.4 में चर्चा कि गयी है।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण उपलब्ध संसाधन एवं मानव शक्ति के आधार पर किया जाता है। शासन ने यह भी बताया कि कम्पनी ने पहले से ही 2016–17 के लिए लक्ष्यों को बढ़ा दिया है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी चालू वर्ष के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के समय पर पिछले वर्ष की वास्तविक उपलब्धि को ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा, 2016–17 के लिए लक्ष्यों को बढाने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पिछले वर्षो के लक्ष्यों को बिना किसी सही औचित्य के कम कर दिया गया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निष्कर्श निकाला किः

- **₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ) के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहरों ने हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई है किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नही हो सका है। एटीएण्डसी हानियाँ के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यो के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चुक उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्रारंभिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।**

- **आईटी समर्थ प्रणाली (योजना का भाग–अ) के अन्तर्गत, कम्पनी ने अगस्त 2015 तक सभी शहरों को गो–लाइव घोषित कर दिया। जबकि, योजना के अन्तर्गत 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नही किया गया; अनुरक्षण प्रबंधन माडयुल के द्वारा सभी फीडर**

---

[34] 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः 50398 व 54610 निरीक्षण किये गये। जबकि 2014–15 व 2015–16 में 49000 व 36100 निरीक्षण निर्धारित किये गये।

[35] 2013–14 और 2014–15 में संग्रहित राजस्व क्रमशः ₹ 132.80 करोड़ व ₹ 55.45 करोड़ थे जबकि 2014–15 व 2015–16 में राजस्व संग्रहण के लिए लक्ष्य क्रमशः ₹ 30.05 करोड़ व ₹ 25.89 करोड़ निर्धारित किये गये थे।

ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नही किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरुप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन माडयुल के लिए नही किया जा रहा था। वितरण ट्रांसफार्मर और फीडरों में स्थापित मोडेमों के सिर्फ 31 प्रतिशत मोडेम ही सफलतापूर्वक ऊर्जा आँकडों का प्रेषण कर रहे थे जिससे योजना का उद्देश्य मानव दखल के बिना ऊर्जा लेखांकन एंव अंकेक्षण विफल हुआ।

- कम्पनी नियमित तौर पर उपभोक्ता आँकडों को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में विफल रही।

- स्काडा कार्यान्वयन संस्था (एसआईए) के नियुक्ति में, एसआईए द्वारा कार्यो के क्रियान्वयन में सुस्ती और कम्पनी द्वारा स्काडा को क्रियान्वयन करने आधारभुत ढाँचा प्रदान न करने के कारण चार वर्ष से भी अधिक समय व्यत्तित होने के बाद भी स्काडा के क्रियान्वयन में कोई भी प्रगति नही थी। इस प्रकार, कम्पनी दुरवर्ती संचालन के माध्यम से प्रणाली की विश्वसनीयता को सुधार करने में विफल रही।

- कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ को योजना के खाते के स्थान पर अपने ओवर ड्राप्ट खाते में जमा किया जिसके परिणाम स्वरुप योजना को ₹ 1.70 करोड़ के ब्याज आय की हानि हुई। तत्काल आवश्यकता के बिना ही निधियों का आहरण किया गया जिसके परिणामस्वरुप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार हुआ।

- एसएलडीआरसी और कम्पनी योजना के शर्तों के अनुपालन तथा योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी करने में विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी के नोडल अधिकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहे जैसा कि इनके पास निगरानी/निरीक्षण के कोई भी प्रतिवेदन उपलब्ध नही थे।

अनुशंसायें

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा किया किः

- कम्पनी को आधारभुत संरचना में कमीयों को दुर करते हुए तथा विद्युत की चोरी/चुककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत एटीएण्डसी हानि के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करने चाहिए।

- कम्पनी को योजना के अनुसार, मानवदखल रहित ऊर्जा लेखांकन व अंकेक्षण के आँकडो को तात्कालिक रुप से प्राप्त कर प्रणाली की कमीयों को दूर करने चाहिए। कम्पनी को नियमित तौर पर प्रणाली में उपभोक्ताओं के आकड़ों को अद्यतन करने के लिए एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

- कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्काडा के कार्यो का क्रियान्वयन आगे बिना किसी विलंब के योजना के बढ़ायी हुई समय अवधि के भीतर परियोजना को पूर्ण कर लिया जाये।

- कम्पनी को योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को पूर्णरुप से पालन करना चाहिए।

योजना की निधियों को योजना के बैंक खाते में ही जमा करनी चाहिए और ऋण राशियों का आहरण आवश्यकता के अनुरुप ही किया जाये।

- योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के निगरानी के लिए एसएलडीआरसी को नियमित बैठक आयोजित करनी चाहिए। कम्पनी के नोडल अधिकारीओं द्वारा भी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रुप से करनी चाहिए तथा इन निगरानीयों का लेखा भी रखना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि कमीयों के लिए सुधारात्मक कदम उठा लिये गये है।

2.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं दोहन, खनिजो के उत्पादन में वृद्धि, खनिज आधारित उद्योगो के स्थापना तथा प्रोत्साहन, राज्य में खनन के नये क्षेत्रों की खोज के लिए 07 जून 2001 को हुआ। छत्तीसगढ़ में 18 खनिज पाए जाते है जिनमें से कम्पनी की गतिविधियों मुख्यतः चार खनिजों अर्थात बॉक्साईट, कोयला, लौह अयस्क एवं टिन अयस्क तक ही सीमित थी। छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के निर्णय के अनुसार कम्पनी गौण खनिजो[36] का व्यवसाय नहीं करती है।

कम्पनी के खनन गतिविधियों की लेखापरीक्षा का निष्पादन (मई 2016 एवं जून 2016) वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए यह निर्धारण करने के लिए किया गया कि क्या खदानों का विकास एवं खनन गतिविधियों का निष्पादन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावकारी रूप से किया गया, खदानों के संचालन के ठेकों का दिया जाना एवं क्रियान्वयन मितव्ययी एवं कुशल रूप से हुआ तथा खदानों के संचालन के दौरान पर्यावरणीय एवं अन्य विनियमनों का पालन किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच कम्पनी के रायपुर स्थित मुख्य कार्यालय, अंबिकापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं दंतेवाड़ा स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय में की गई। जिला कबीरधाम स्थित दलदली बॉक्साईट खदान का संयुक्त निरीक्षण[37] भी किया गया।

प्रवेश सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2016 में अवर सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के प्रबंध संचालक (एमड़ी) के साथ किया गया जिसके दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को कम्पनी एवं छत्तीसगढ़ शासन को जुलाई 2016 में सूचित किया गया एवं 11 नवंबर 2016 को सचिव, खनिज साधन विभाग, जीओसीजी के साथ आयोजित निकास सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। निकास सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा व्यक्त उत्तर तथा विचारों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंतिमीकरण के समय ध्यान में रखा गया है।

खनिजों का खनन एवं विपणन

2.2.2 कोयले के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में विस्तृत अन्वेषण के योग्य खनिज धारित क्षेत्रों की क्षेत्रीय पैमाने पर पहचान करने के लिए कम्पनी प्रारंभिक अध्ययन करती है। प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात् खनिज भंडारों की खोज के लिए पूर्वेक्षण किया जाता है। इसके पश्चात् कम्पनी खनिपट्टे के लिये छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन करती है, जिसके अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ शासन भारत सरकार (जीओआई) से अनुशंसा करती है। भारत सरकार से अनुमोदन पश्चात भारतीय खान ब्यूरों

---

36 गौण खनिज खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) में परिभाषित हैं।

37 संयुक्त निरीक्षण लेखापरीक्षा दल द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों के साथ किया गया।

(आईबीएम)[38] से माईनिंग प्लान का अनुमोदन[39] करवाया जाता है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, (एमओईएफ) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात् खनिपट्टे का निष्पादन छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के मध्य किया जाता है जिसकी अवधि 20 से 30 वर्ष तक होती है। जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमाति पश्चात् खनन गतिविधियाँ संचालित कि जाती हैं। कोयले के प्रकरण में कम्पनी को कोयला ब्लॉक्स का आबंटन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसके पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के साथ खनिपट्टे का निष्पादन किया जाता है। कम्पनी उत्खनित खनिजों पर रॉयल्टी तथा अन्य आरोपित राशियाँ[40] जीओसीजी को भुगतान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी स्वयं खनिजों का खनन एवं विपणन नहीं करती थी तथा इसके लिए ठकेदारों को कार्यादेश देती थी। इसके अतिरिक्त, फीसिबिलिटी प्रतिवेदन, पूर्वेक्षण तथा संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने जैसी खनन पूर्व गतिविधियाँ भी कम्पनी द्वारा आऊटसोर्स की जाती थी।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी की कुल जनशक्ति 180 से 196 के बीच थी तथा खनिजों के खनन एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों के लिए तकनीकि जनशक्ति का प्रतिशत 50 से 52 के मध्य था। 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी का प्रशासनिक एवं कर्मचारी लाभगत लागत ₹ 5.67 करोड़, ₹ 6.39 करोड़, ₹ 8.56 करोड़, ₹ 6.24 करोड़, तथा ₹ 6.65 करोड़ था जो कि संबंधित वर्षों में कम्पनी के राजस्व का 38, 50, 76, 38 तथा 70 प्रतिशत था।

अतः अपने राजस्व का महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक एवं कर्मचारी लाभगत लागत पर व्यय करने के बावजूद खनिजों के खनन एवं विपणन का महत्त्वपूर्ण कार्य भी कम्पनी द्वारा बाह्य एजेंसियों से करवाया जा रहा था। शासन/कम्पनी ने खनन एवं विपणन गतिविधियों को आऊटसोर्सिंग द्वारा तथा कम्पनी के द्वारा करवाने के लिए लागत–लाभ विश्लेषण भी नहीं किया।

2011–12 से 2015–16 के दौरान, कम्पनी ने निजि ठेकेदारों द्वारा बाक्साईट का खनन एवं विपणन तथा टिन अयस्क का व्यापार (क्रय एवं विक्रय) किया। जबकि, कोयला, लौह अयस्क तथा टिन अयस्क के मामलों में आगामी कंडिकाओं में बताए गए कारणों से कोई भी खनन नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा 2011–12 से 2015–16 तक पाँच वर्षों में खनन किए गए बॉक्साइट तथा विक्रय किए गए टिन अयस्क की मात्रा एवं मूल्य **रेखाचित्र – 2.2.1** में दिए गए हैं।

---

38 भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खदानों के नियामक निरीक्षण तथा माइनिंग प्लान के अनुमोदन द्वारा देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास की उन्नति के लिए एक नियामक संस्था है।

39 कोयला ब्लॉकों के मामले में माइनिंग प्लान का अनुमोदन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता हैं।

40 अधोसंरचना विकास उपकर, विकास एवं पर्यावरण उपकर, पंचायत कर, जिला खनिज संस्थान तथा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के लिए अंशदान इत्यादि।

रेखा चित्र – 2.2.1 कम्पनी द्वारा खनन/विक्रय किए गए खनिजों का विवरण

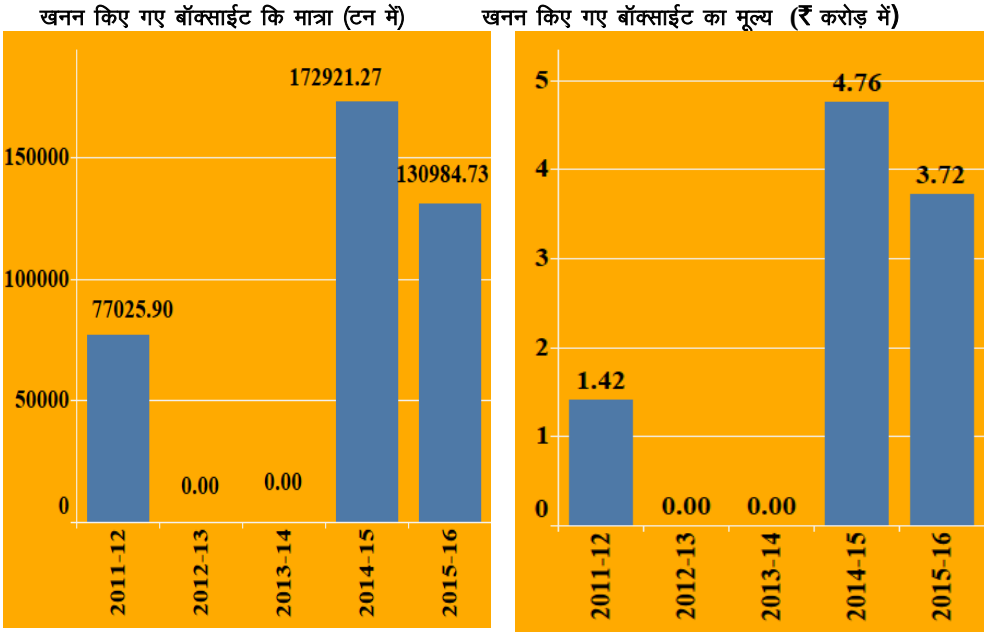

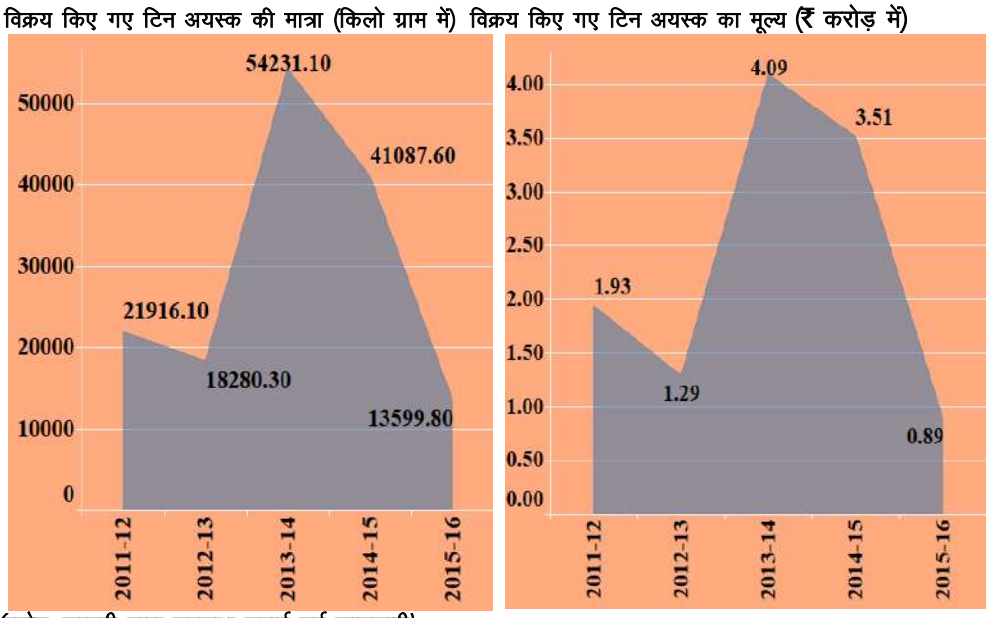

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान कम्पनी के स्वामित्व में रही 15 में से किसी भी खदान में बॉक्साईट का खनन नहीं किया गया। जिसका कारण आईबीएम द्वारा माइनिंग स्कीमों का अनुमोदन[41] ना होना, कार्यानुमति प्राप्त ना होना,[42] खनन पूर्व गतिविधियों की अवधि[43] का प्रचलन में रहना, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ना होना[44],

41 बरिमा I एवं बरिमा II खदानों की माइनिंग स्कीमें आईबीएम के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत माइनिंग स्कीमों में त्रुटियों के कारण अनुमोदित नहीं हो पाई।

42 पण्डरापाठ I, पण्डरापाठ II, केसरा II, केसरा III, केसरा IV तथा नागाढ़ाढ़

43 दलदली

44 बरिमा VI

निविदा आमंत्रित ना करना[45] तथा खानों के संचालन के लिए निविदाओं में बोलीदाताओं का भाग[46] ना लेना था।

वित्तीय प्रदर्शन

2.2.3 2015–16 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन ***अनुलग्नक – 2.2.1*** में दिया गया है। कम्पनी का राजस्व 2011–12 में ₹ 14.79 करोड़ से घट कर 2012–13 में ₹ 12.84 करोड़ एवं 2013–14 में ₹ 11.33 करोड़ हो गया जिसका प्रमुख कारण 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान बॉक्साईट खदानों का संचालन ना होना था। यद्यपि 2014–15 में बॉक्साईट खादानों का संचालन पुनः शुरू होने से राजस्व बढ़कर ₹ 16.58 करोड़ हो गया वह 2015–16 में संचालन से राजस्व एवं ब्याज से आय में गिरावट के कारण फिर घटकर ₹ 9.56 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2014–15 में कम्पनी का लाभ क्रमशः ₹ 3.74 करोड़, ₹ 2.93 करोड़ एवं ₹ 2.26 करोड़ था। कम्पनी ने वर्ष 2013–14 में ₹ 1.19 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 1.51 करोड़ की प्राविधिक[47] हानि वहन की। 2013–14 में हानि का कारण मुख्यतः कर्मचारी लाभगत व्यय में वृद्धि होना एवं वर्ष 2015–16 में संचालन से राजस्व एवं ब्याज से आय में कमी होना था। 2011–12 से 2015–16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से कम्पनी का राजस्व **रेखाचित्र – 2.2.2** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 2.2.2
विभिन्न स्त्रोतों से आय (₹ लाख में)

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

45 बरिमा III, बरिमा IV, बरिमा V तथा केसरा I

46 नर्मदापुर

47 वर्ष 2015–16 के कम्पनी के वार्षिक लेखे नवंबर 2016 तक अंतिमिकृत नही हुए थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

कोयला का खनन

2.2.4 कोयला विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा स्त्रोत हैं एवं इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक आगत है। भारत में करीब 76 प्रतिशत कोयला उत्पादन विद्युत क्षेत्र में उपभोग किया जाता है। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम की ईयर बुक 2014 के आँकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 की स्थिती में छत्तीसगढ़ राज्य में ही देश में उपलब्ध कुल भण्डार (301564.45 मिलियन टन) में से 17.42 प्रतिशत (52532.92 मिलियन टन) कोयला भण्डार थे।

कोयला ब्लॉकों में खनन संचालन

2.2.4.1 अगस्त 2003 से नवम्बर 2013 के दौरान कम्पनी को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (एमओसी) द्वारा छः कोयला ब्लॉक्स[48] आबंटित किए गए। विस्तृत अन्वेषन एवं खनन, कम्पनी अथवा कम्पनी की सहभागिता से निर्मित पृथक शासकीय कम्पनी जो कोयले के खनन के योग्य हो, के द्वारा किया जाना था।

आबंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिये कम्पनी को आबंटन के डेढ़ माह के अंदर कोल इण्डिया लिमिटेड/सेंट्रल माईन प्लानिंग एवं डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड/ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से ज्यूलॉजिकल आँकडें आवश्यक अन्वेषण लागत का भुगतान कर क्रय करना था। गैर अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के संबंध में कम्पनी को आबंटन के तीन माह के अंदर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना था एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के जारी होने के दो वर्ष के अंदर अन्वेषण कार्य पूर्ण करना था एवं ज्यूलॉजिकल प्रतिवेदन (जीआर) बनाना था।

कम्पनी कोयला ब्लॉकों का विकास करने तथा इन ब्लॉको में खनन प्रारंभ करने में असफल रही यद्यपि कम्पनी ने उत्पान प्रारंभ करने के माइल स्टोन को प्राप्त करने में करिब दो वर्ष से सात वर्षों से अधिक की चूक की तथा इन कोयला ब्लॉकों पर ₹ 339.24 करोड़ की राशि व्यय की।

इसके अलावा, एमओसी द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कम्पनी को आबंटन के छः माह के अंदर माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर एमओसी का अनुमोदन लेना था, आबंटन की तिथी से 12 माह के अंदर एमओईएफ से वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करना था एवं कोयला ब्लॉको में से उत्पादन आबंटन से 54 माह के अंदर प्रारंभ करना था। माइलस्टोन को प्राप्त न करने पर कोयला ब्लॉको का आबंटन रद्द हो जाने योग्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, कम्पनी आबंटित कोयला ब्लॉको का विकास करने एवं उनमें खनन प्रारंभ करने में विफल रही जिसका मुख्य कारण जीआर के क्रय/निर्माण एवं विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माईनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू–अर्जन आदि के लिए आवेदन करने में विलंब था। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय दिनांक 24 सितंबर 2014 के द्वारा निर्धारित किया कि कोयला ब्लॉकों के आबंटन एकपक्षीय तथा गैरकानूनी थे एवं कम्पनी को आबंटित पाँच कोयला ब्लॉकों (केरवा कोयला ब्लॉक को छोड़कर) का आबंटन निरस्त कर दिया। जबकि, कम्पनी ने इन पाँच[49] कोयला ब्लॉकों के विकास पर पहले ही ₹ 339.24 करोड़ व्यय कर दिए थे।

कम्पनी कोयला ब्लॉकों का विकास करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार इन ब्लॉकों में खनन प्रारंभ करने में विफल रही तथा विलंब की अवधि करीब दो वर्ष (शंकरपुर–भटगाँव कोयला ब्लॉक) से सात वर्ष से अधिक (तारा कोयला ब्लॉक) के मध्य रही जैसा की **तालिका – 2.2.1** में दिया गया है।

---

48 तारा (14 अगस्त 2003), गारे पेलमा सेक्टर–I (2 अगस्त 2006) सोनडिहा (25 जुलाई 2007), शंकरपुर–भटगॉव (25 जुलाई 2007), चेन्दीपदा (25 जुलाई 2007) एवं केरवा (7 नवंबर 2013)।

49 तारा, शंकरपुर –भटगाँव, गारे पेलमा सेक्टर –I, सोनडिहा तथा चेन्दीपदा कोयला ब्लॉक।

तालिका – 2.2.1: उत्पादन की निर्धारित तिथि से विचलन

कोयला ब्लॉक का नाम	आबंटन की तिथि	उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि	आबंटन रदद् होने की तिथि पर विचलन
तारा	14 अगस्त 2003	14 फरवरी 2007	7 वर्ष 6 माह
गारे–पेलमा	2 अगस्त 2006	2 फरवरी 2011	3 वर्ष 6 माह
चेन्दीपदा	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	3 वर्ष 7 माह
शंकरपुर–भटगाँव	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	1 वर्ष 10 माह
सोनडिहा	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	3 वर्ष 7 माह

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़ें)

यदि इन कोयला ब्लॉकों में निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार उत्पादन प्रारंभ हुआ होता, तो कम्पनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किए गए व्यय की वसूली इन कोयला ब्लॉकों के संचालन से उत्पन्न राजस्व से हो जाती। कम्पनी द्वारा इन ब्लॉकों पर किया गया ₹ 339.24 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय इन ब्लॉकों के आबंटन के निरस्तीकरण पर व्यर्थ हो गया। जबकि, 2013 में आबंटित केरवा कोयला ब्लॉक से उत्पादन प्रारंभ करने के लिए निर्धारित माइलस्टोन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कोयला ब्लॉकों का विकास लगातार एमओसी की निगरानी में था। इन कोयला ब्लॉकों के विकास में विलंब का कारण या तो प्रक्रिया में विलंब था या फिर कम्पनी के नियंत्रण के बाहर थे। इसके अलावा, गारे पेलमा सेक्टर–I कोयला ब्लॉक पर किया गया व्यय नये आबंटिती से प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार, भविष्य में शेष राशि जब कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जाएगा वसूल कर ली जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओसी ने कोयला ब्लॉकों के विकास की धीमी गति के लिए कम्पनी को तारा (3 जनवरी 2014), शंकरपुर–भटगाँव (30 अप्रैल 2012), सोनडिहा (14 जून 2013) एवं चेन्दीपदा (4 मई 2012) कोयला ब्लॉकों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था एवं निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने में विफलता के कारण शंकरपुर–भटागाँव, सोनडिहा एवं चेन्दीपदा कोयला ब्लॉकों के मामले में बीजी राजसात करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा, नए आबंटिती से व्यय की वसूली पर शासन का कथन भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उनसे व्यय की वसूली हो भी जाती है फिर भी निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार खनन प्रारंभ करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि हुई है।

बॉक्साईट का खनन

2.2.5 बॉक्साईट एल्यूमिनियम का एक महत्त्वपूर्ण अयस्क है जो कि आधुनिक उद्योग में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण गैर–लौहमय धातुओं में से एक है। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के अनुसार अप्रैल 2010 की स्थिती में छत्तीसगढ़ राज्य में ही 74.499 मिलियम टन के बॉक्साईट भण्डार थे जो कि देश में उपलब्ध कुल भण्डार 592.938 मिलियन टन के 12.56 प्रतिशत से भी अधिक था।

केसरा –II, III, IV, बरिमा VI एवं नागाढांढ़ खदानों में बॉक्साईट का खनन एवं विपणन

2.2.5.1 कम्पनी ने आरके ट्रांस्पोर्ट कम्पनी (ठेकेदार) के साथ बरिमा VI केसरा II, III, IV एवं नागाढांढ़ बॉक्साईट खदानों में पाँच वर्षों[50] की अवधि अर्थात जनवरी 2009 से

50 खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु एक वर्ष को छोड़कर।

दिसंबर 2013 तक के लिए बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध निष्पादित (18 जनवरी 2008) किया। इस संबंध में निम्नलिखित पाया गया।

अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के मूल्य का संग्रहण

कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढाया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

2.2.5.2 अनुबंध की कंडिका 2.2 एवं कंडिका 15.6 (अ) के अनुसार ठेकेदार को खनन के पूर्व की गतिविधियाँ[51] अनुबंध के दिनांक से एक वर्ष के अंदर अर्थात् जनवरी 2009 तक पूर्ण करनी थी। इसके पश्चात् ठेकेदार 12500 टन की मासिक निर्धारित मात्रा के लिए मासिक किश्त के भुगतान हेतु बाध्य था। इसके अलावा, कंडिका 19.4 के अनुसार यदि ठेकेदार कम्पनी के संतुष्टी के अनुरूप कार्य निष्पादित करने में विफल रहता है तो, एमडी के पास यह अधिकार होगा कि वह 60 दिन के नोटिस के बाद ठेके को निरस्त कर अन्य ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवा सकता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा वहन की गई हानि, यदि कोई हो, की वसूली ठेकेदार के बकाया बिलों एवं बैंक गारंटी (बीजी) से की जाएगी।

लेखापारीक्षा ने यह पाया कि ठेकेदार एक वर्ष की अवधि के अंदर खनन पूर्व गतिविधियाँ पूर्ण नहीं कर पाया। जबकि, कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि पहले तो 31 जुलाई 2009 तक बढ़ाई (19 जून 2009) तथा बाद में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि तक बढ़ाई। यद्यपि, नागाढांढ एवं केसरा (केसरा– II, III एवं IV) खदानों के लिए ठेकेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति[52] क्रमशः 3 अगस्त 2011 एवं 13 दिसंबर 2011 को प्राप्त की गई परन्तु जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमति प्राप्त नहीं की जा सकी।

कम्पनी ने अनुबंध के नियम व शर्तों[53] का पालन नहीं करने के लिए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी (2 जनवरी 2015) किया। प्रत्युत्तर में ठेकेदार ने कहा (17 जनवरी 2015) कि चूँकि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमति प्राप्त करने में विलंब शासन की ओर से विलंब की वजह से हुआ था, इसलिए वर्तमान मामले में अनुबंध की फोर्स मेज्योर कंडिका (कंडिका 19) लागू होगी। कम्पनी ने विधि प्रशिक्षु से विधिक सलाह माँगी जिसने यह मत दिया कि चूँकि ठेकेदार उत्पादन प्रारंभ करने या मासिक निर्धारित मात्रा की मासिक किश्त के भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अनुबंध की कंडिका 2.2 के अनुसार ठेका निरस्त किया जा सकता है।

कम्पनी ने ठेका निरस्त किया (23 जनवरी 2016) एवं कहा कि कम्पनी को हुई हानि की वसूली बीजी के नगदीकरण के माध्यम से की जाएगी। जबकि, ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई बीजी की अवधि, पहले ही 12 अप्रैल 2015 को समाप्त हो चुकी थी।

ठेकेदार ने निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष समादेश याचिका दायर की (2 फरवरी 2016) जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी को ठेका निरस्त करने हेतु नवीन तर्कसंगत् एवं सशब्द आदेश पारित करने के लिए आदेशित (4 अप्रैल 2016) किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने एक सशब्द आदेश पारित करते हुए (4 जून 2016) कहा कि खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि बॉक्साईट की मासिक निर्धारित मात्रा के भुगतान की शर्त में छूट दिए बिना

---

51 संशोधित माइनिंग प्लान बनाना तथा अनुमोदित कराना, पर्यावरणीय स्वीकृति, निजि भूमि का अर्जन तथा खनन गतिविधियाँ प्रारम्भ कर संचालित करने से संबधित कोई अन्य कार्य।

52 बरिमा VI खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जनवरी 2016 में प्राप्त की गई।

53 कंडिका 1– एक वर्ष के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना, कंडिका 2– मासिक निर्धारित मात्रा के अनुसार भुगतान करना, कंडिका 15.4– मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना, कंडिका 15.6– कंडिका 1 में वर्णित खनन गतिविधियों को पूर्ण करना तथा कंडिका 16–ठेके की अवधि।

बढ़ाई गई थी तथा परिणामस्वरूप ठेकेदार निर्धारित मात्रा के भुगतान के लिए बाध्य था। जबकि ठेकेदार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार अनुबंधात्मक प्रावधानों के अनुसार निगरानी करने एवं समय पर कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता के कारण खनन संचालन मार्च 2016 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2009 से दिसंबर 2013 तक ₹ 9.30 करोड़[54] की हानि हुई।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में ठेकेदार की विफलता के परिणामस्वरूप 23 जनवरी 2016 को ठेका निरस्त कर दिया गया। बीजी की वैद्यता की अवधि बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए परन्तु ठेकेदार ने उसे नहीं बढ़ाया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यदि कम्पनी ने समय पर ठेका निरस्त कर अन्य ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवाया होता, तो वह महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित कर पाता। अपितु, कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को अब तक (नवंबर 2016) कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ मूल्य की बिजी को समाप्त होने दिया गया जिसे अन्यथा नगदीकरण कर हानि को कम किया जा सकता था।

ठेकेदार की ओर से कम्पनी द्वारा फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान

2.2.5.3 अनुबंध (18 जनवरी 2008) की कंडिका 1.1 यह प्रावधानित करती थी कि भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कम्पनी के माध्यम से ठेकेदार द्वारा किया जाएगा एवं कम्पनी को भू–अर्जन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में ठेकेदार सहायता करेगा। अनुबन्ध की कंडिका 13.1 यह भी प्रावधानित करती थी कि निजि भूमि के अर्जन की लागत भी ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

कम्पनी ने अनुबंधात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार से वसूली किये बिना फसल क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 6.76 करोड़ जमा किए।

भू–अर्जन अधिकारी, जिला सरगुजा ने 52 भूविस्थापितों के लिए फसल क्षतिपूर्ति आदेश पारित (25 मार्च 2015) किया एवं कम्पनी को ₹ 6.76[55] करोड़ की राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया। यह राशि अनुबन्ध की कंडिका 1.1 एवं 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय थी। जबकि, कम्पनी ने यह राशि बिना ठेकेदार से वसूल किए जिलाधीश एवं भू–अर्जन अधिकारी, जिला सरगुजा को जमा[56] करवा दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ तथा ठेकेदार को उस सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया गया। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि दलदली खदान के मामले में फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान (15 मई 2014) अनुबन्ध की कंडिका 2.10 के अनुसार ठेकेदार द्वारा किया गया था।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि ठेकेदार की ओर से रूचि में कमी को देखते हुए तथा माइनिंग लीज को व्यपगत होने से बचाने के लिए फसल क्षतिपूर्ति की राशि कम्पनी द्वारा जमा कराई गई। अनुबंध 23 जनवरी 2016 को निरस्त कर दिया गया एवं ठेकेदार को कोई भी लाभ नहीं पहुँचाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेके के अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से यह कहती हैं कि भू–अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। कम्पनी ने ठेका निरस्त (23 जनवरी 2016) कर दिया एवं कहा कि कम्पनी को हुई हानि की वसूली बीजी के

---

54 150000 टन प्रति वर्ष X 124 प्रति टन (रॉयल्टी तथा कर छोड़कार) X 5 वर्ष (जनवरी 2009 से दिसबंर 2013)

55 फसल क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 6.04 करोड़ तथा प्रशासनिक फीस के लिए ₹ 0.72 करोड़।

56 4 दिसंबर 2015 को ₹ 6.04 करोड़ तथा 14 मार्च 2016 को ₹ 0.72 करोड़।

नगदीकरण तथा अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से की जाएगी। जबकि बीजी पहले ही अप्रैल 2015 में समाप्त हो चुकी थी।

बरिमा –I से V एवं केसरा –I खदानों में बॉक्साईट का खनन एवं विपणन

2.2.5.4 कम्पनी ने बरिमा -I से V एवं केसरा–I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु मुक्त निविदा आमंत्रित (नवंबर 2006) की। उच्चतम बोलीदाता अर्थात बालको के साथ ₹ 160 प्रति टन की दर से प्रतिवर्ष 1.20 लाख टन[57] बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया गया। अनुबंध 16 फरवरी 2007 से 15 फरवरी 2010 तक तीन वर्षों के लिए वैध था जिसे आगे 15 फरवरी 2012 तक बढ़ाया गया।

इस संबंध में निम्नलिखत अनियमित्ताएँ पाई गयीः

बैंक गारंटी का नगदीकरण

2.2.5.5 अनुबंध की कंडिका 17.6 के अनुसार महीने में हुए वास्तविक उत्पादन को ध्यान में ना रखते हुए ठेकेदार को मासिक अनुबंधित मात्रा के मूल्य का अग्रिम भुगतान करना होगा। बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान ना होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा कार्य बंद करवा दिया जाएगा तथा यदि ठेकेदार कार्य बंद होने के सात दिवस के अंदर बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान करने में असफल रहता है तो कम्पनी सुरक्षा निधि (एसडी) राजसात कर लेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2010 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान बालको ने चार लाख टन की अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध कुल 3.03 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप 0.97 लाख टन का कम उत्पादन हुआ। अतः कंडिका 17.6 के अनुसार कम्पनी को कम उत्पादन के लिए ₹ 1.56 करोड़[58] की राशि वसूल करनी थी। जबकि, बकाया देय ₹ 1.60 करोड़ (अन्य देय ₹ 4.03 लाख को शामिल करते हुए) के विरूद्ध कम्पनी ने पिछले बिलों में आधिक्य भुगतान से ₹ 62.29 लाख समायोजित किए (अगस्त 2012) एवं ₹ 75 लाख[59] की एसडी/अमानत राशि (ईएमडी) राजसात की तथा शेष राशि ₹ 22.36 लाख बकाया रही।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि बालको सितंबर 2011 से मासिक किश्तों के भुगतानों में चूक कर रहा था एवं दिसंबर 2011 से कार्य बंद कर दिया। कम्पनी ने अनुबंध के कंडिका 17.6 के अनुसार उसके पास रखी हुई ₹ 75 लाख की बीजी का नगदीकरण नहीं किया तथा बीजी को 15 फरवरी 2012 को समाप्त होने दिया। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार कम्पनी के कंट्रोलर (वित्त) की यह जिम्मेदारी थी कि वह बकाया देय की वसूली करे। अतः बीजी के नगदीकरण द्वारा बकाया देय की वसूली की कार्यवाही करने में कंट्रोलर (वित्त) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 22.36 लाख के देय बकाया रहे।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि विभिन्न स्त्रोतों से समायोजन पश्चात् ₹ 22.36 लाख बकाया थे तथा ठेकेदार ने माननीय उच्च न्यायलय, बिलासपुर में विवाचक की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर (7 जनवरी 2013) कर दिया। तदानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11 जून 2013 के द्वारा एक विवाचक को नियुक्त किया। वर्तमान में मामला विवाचन में लंबित है।

---

57 16 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2012 तक दो लाख टन प्रतिवर्ष।

58 ₹ 1,55,61,728 (97260.80 टन x ₹ 160 प्रति टन)।

59 ₹ 25 लाख उक्त ठेके के लिए एसडी तथा ₹ 50 लाख सरगुजा एवं कबीरधाम जिलों में अन्य ठेकों के संबंध में जमा कराई गई ईएमडी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के शर्तों के अनुसार यदि कार्य बंद होने के सात दिवस के अंदर बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान करने में ठेकेदार असफल रहता है तो कम्पनी एसडी राजसात कर सकती है। तदानुसार, कम्पनी को कार्य बंद होने के पश्चात दिसंबर 2011 में ही बीजी का नगदीकरण कर लेना चाहिए था।

पूर्व ठेके में निराशाजनक निष्पादन के बाद भी बालको को नवीन ठेका प्रदान किया जाना

2.2.5.6 ठेकेदार मेसर्स बालको ने पिछले ठेके (16 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2012 तक प्रभावी) में सितंबर 2011 से दिसंबर 2011 तक मासिक किश्त का भुगतान नहीं किया तथा 4 दिसंबर 2011 से खनन कार्य बंद कर दिया। इसके बावजूद कम्पनी ने पुनः बरिमा -I से IV तथा केसरा -I बॉक्साईट खदानों में खनन एवं विपणन का ठेका बालको को प्रदान (8 सिंतबर 2014) कर दिया, जिसने अक्टूबर 2014 से अगस्त 2015 तक 2.37 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया। तत्पश्चात बालको ने पुनः सिंतबर 2015 से खनन कार्य छोड़ दिया तथा फरवरी 2016 में ठेका निरस्त कर दिया गया। अतः ठेकेदार के चयन में कम्पनी के विवेकहीन निर्णय के कारण खनन क्रियाएँ पूर्ण नहीं हो सकी।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि व्यापक प्रचार द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें दो बोलीदाताओं ने भाग लिया तथा बालको ने उच्चतम दर उद्धरित की। बॉक्साईट की सीमित माँग होने के कारण कम्पनी के पास निविदा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को चूक करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए निविदा विनिर्देशों में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करना चाहिए था।

बरिमा - I से IV तथा केसरा – I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का ठेका

2.2.5.7 कम्पनी ने ₹ 275 प्रति टन की दर से बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन के लिए बालको के साथ अनुबंध निष्पादित (8 सितंबर 2014) किया। इस संबंध में निम्नलिखित अनियमित्ताएँ पाई गईं।

कम्पनी द्वारा निर्धारित ₹ 365 प्रति टन की न्यूनतम दर की तुलना में ₹ 275 प्रति टन की निम्नत्तर दर पर निविदा अंतिमीकृत करने के फलस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का कार्य दिया जाना

2.2.5.8 कम्पनी ने बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु निविदा आमंत्रित करने के पूर्व बोलीदाता द्वारा देय बॉक्साईट की न्यूनतम दर पिछली निविदा में अंतिमीकृत दर, कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स तथा खदानों के परिचालन व्यय को ध्यान में रखकर ₹ 365 प्रति टन[60] निर्धारित (मार्च 2014) की। इसके अतिरिक्त बॉक्साईट की न्यूनतम दर जीओआई द्वारा अधिसूचित कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाना था।

उपरोक्त कार्य की निविदा के प्रत्युत्तर में (16 जून 2014) केवल दो बोलियॉ[61] प्राप्त हुई जिनका मूल्यांकन (अगस्त 2014) निविदा समिति द्वारा किया गया एवं 8 अगस्त 2014 को मूल्य बोली खोली गई। बालको ने ₹ 275 प्रति टन की उच्चतम बोली उद्धरित की जिसे स्वीकार कर तीन वर्षों हेतु अनुबंध निष्पादित (8 सितंबर 2014) किया गया।

---

60 पिछली निविदा में अंतिमिकृत बॉक्साईट की दर ₹ 260 प्रति टन x ₹ 939 वर्ष 2013–14 के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स/₹ 785 वर्ष 2011–12 के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स + ₹ 54.42 संचालनात्मक व्यय।

61 आईआरसी नेचरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड तथा बालको।

अक्टूबर 2014 से अगस्त 2015 के दौरान बालको ने 2.37 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बालको द्वारा उद्धरित दर (₹ 275 प्रति टन) निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा निर्धारित ₹ 365 प्रति टन की न्यूनतम दर से कहीं कम थी। अतः कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से निम्नतर दर स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई (2.37 लाख टन x ₹ 90 अर्थात ₹ 365– ₹ 275)। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में कोई भी दर वृद्धि उपबंध शामिल नहीं किया गया था जैसा कि जिला कबीरधाम में दलदली बॉक्साईट खदान के मामले में किया गया था। जिससे कम्पनी को ₹ 11.96 लाख की और हानि हुई। इसके अतिरिक्त चूँकि बॉक्साईट का उपयोग भी ठेकेदार द्वारा कैपटिव उपभोग हेतु किया जाता है, सांठगांठ के प्रश्न को नकारा नही जा सकता।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि निविदा के नियम व शर्तें संचालक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किए गए थे, तदानुसार बिना आधार मूल्य के निविदा आमंत्रित की गई। निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् सर्वाधिक दर उद्धरित करने वाले बोलीदाता अर्थात बालको को सफल बोलीदाता घोषित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने निविदा आमंत्रित करने के पूर्व स्वयं बॉक्साईट की न्यूनतम दर ₹ 365 निर्धारित की थी, जबकि, कम्पनी ने इस दर पर विचार नहीं किया एवं निविदा का अंतिमीकरण ₹ 275 प्रति टन की निम्नत्तर दर पर किया।

बालको से ₹ 66.67 लाख की वसूली करने में विफलता

2.2.5.9 बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध दिनांक 8 सितंबर 2014 के उपबंध 19.2 के अनुसार, ठेकेदार बालको को मासिक अनुबंधित मात्रा के मूल्य का अग्रिम भुगतान महीने में हुए वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखे बिना करना था। अनुबंध का उपबंध 19.3 यह प्रावधानित करता है कि यदि माह की सातवी तारीख तक मासिक किश्त का भुगतान नहीं होता है, तो कम्पनी द्वारा कार्य बंद किया जा सकता है तथा यदि बकाया राशि का भुगतान कार्य बंद होने के 15 दिवस के अंदर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज के साथ नहीं होता है तो अनुबंध निरस्त किया जाएगा एवं एसडी राजसात की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने मासिक किस्तों का भुगतान सितंबर 2015 से नहीं किया तथा कम्पनी ने 11 सितंबर 2015 को खनन कार्य बंद करवा दिया। कम्पनी ने ₹ 50 लाख की बीजी का नगदीकरण (2 दिसंबर 2015) किया, जबकि, इस समय तक बकाया देय ₹ 1.17 करोड़ तक पहुँच गया। 11 फरवरी 2016 को ठेका निरस्त कर दिया। यदि कम्पनी ने अनुबंध के उपबंध 19.3 के अनुसार कार्य बंद होने के 15 दिवस बाद अर्थात 26 सितंबर 2016 को बीजी का नगदीकरण किया होता तो उस दिन तक कुल बकाया राशि ₹ 38.92 लाख की वसूली हो गई होती। अतः कम्पनी द्वारा ठेका निरस्त करने तथा बीजी के नगदीकरण में विलंब के कारण, ठेकेदार से ₹ 66.67 लाख[62] की वसूली नही हो सकी (नवबंर 2016)।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि सितंबर 2015 से नवंबर 2015 तक ठेकेदार द्वारा खदानों का संचालन नहीं किया गया एवं ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख की बीजी राजसात की गई। इस प्रकार, कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी कार्य बंद होने के 15 दिवस के अंदर ठेका निरस्त करने तथा एसडी राजसात करने में असफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप बकाया

[62] ₹ 1.17 करोड़ – ₹ 35.00 लाख बीजी – ₹ 15.00 लाख ईएमडी।

देय ₹ 1.17 करोड़ तक बढ़ गए। इसके अलावा, कम्पनी ने इन खदानो के संचालन के लिए ₹ 39.84 लाख के प्रारम्भिक व्यय एवं ₹ 50.40 लाख के अन्य उपरिव्यय वहन किए जो कि अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के निर्धारित मात्रा के भुगतान की वसूली करने में विफलता के कारण वसूल नहीं किया जा सका।

दलदली खदान के लिए अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के मूल्य का संग्रहण

2.2.5.10 माइनिंग प्लान (8 दिसंबर 2008) तथा संशोधित माइनिंग प्लान (11 अक्टूबर 2012) के अनुसार दलदली खदान में 3.44 लाख टन बॉक्साईट के अनुमानित खनन योग्य भण्डार थे तथा पाँच वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन मात्रा ***अनुलग्नक – 2.2.2*** में बताए गये हैं।

दलदली खदान में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का ठेका बाघमार बॉक्साईट इंडस्ट्रीस एण्ड ए एस एसोसिएट्स (ठेकेदार) को ₹ 220 प्रति टन की दर पर दिया (2 फरवरी 2012) गया। अनुबंध (23 मार्च 2012) के अनुसार ठेकेदार को माइनिंग प्लान के आधार पर (उपबंध 6.2.2 तथा 6.2.5) अवधारित मासिक निर्धारित मात्रा के लिए मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना था। इसके अलावा, उपबंध 6.2.7 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा का उत्पादन एवं विपणन करने में असफल रहता है, तो वह निर्धारित मात्रा के मूल्य के भुगतान के लिए बाध्य होगा।

(जिला कबीरधाम के दलदली खदान में बॉक्साईट खनन)

कम्पनी अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से बॉक्साईट का मूल्य एकत्र करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.89 करोड़ की हानि हुई।

ठेकेदार ने जुलाई 2014 से खनन कार्य प्रारंभ किया तथा मार्च 2016 तक 1.08 लाख टन की निर्धारित मात्रा के विरूद्ध 0.67 लाख टन मात्रा का उत्पादन किया। ठेकेदार ने जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक निर्धारित मात्रा का भुगतान किया तथा बॉक्साईट की कम उपलब्धता बताते हुए निर्धारित मात्रा के स्थान पर वास्तविक मात्रा के भुगतान हेतु अनुमति माँगी (23 सितंबर 2014)। कम्पनी ने खदान में खनिज भण्डारों के निर्धारण हेतु एक समिति गठित (28 अक्टूबर 2014) की। समिति की अनुशंसाओं (6 दिसंबर 2014) के आधार पर बीओडी ने बॉक्साईट की वास्तविक उपलब्धता का निर्धारण कर माइनिंग प्लान को संशोधित करने के बाद तदानुसार भुगतान लेने का निर्णय (27 जनवरी 2015) लिया। इसके अलावा माइनिंग प्लान के संशोधित होने तक, ठेकेदार से एक निश्चित मात्रा हेतु भुगतान लेना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा के लिए देय ₹ 3.08 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान किया। अतः ठेकेदार को माइनिंग प्लान तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा से निम्नत्तर मात्रा के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने के कारण कम्पनी

को ₹ 1.73 करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 के दौरान ठेकेदार ने 21 मासिक किश्तों का एक से 20 दिवस के विलंब से भुगतान किए। ठेकेदार द्वारा कम/विलंब से भुगतान करने के कारण कम्पनी को ₹ 16.11 लाख ब्याज की हानि हुई। विलंब से भुगतान का मामला ना ही माफ किया/टाला गया और ना ही उसे बीओडी के संज्ञान में लाया गया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार करने तथा माइनिंग प्लान में संशोधन से संबंधित मामला विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जीओसीजी को विधिक सलाह हेतु भेजा गया है। इसके अलावा, खदान की निरंतरता बनाए रखने के लिए ठेकेदार को एक निश्चित मासिक मात्रा के लिए भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर खनन कार्य किया जा रहा है। विधिक सलाह पर विचार करने के बाद ही आगे कोई कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आज तक (नवबंर 2016) आईबीएम को अनुमोदन हेतु कोई भी संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया है तथा माइनिंग प्लान एवं अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को निम्नतर मात्रा के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, आईबीएम द्वारा पूर्व में अनुमोदित दोनो माइनिंग प्लान (दिसंबर 2008 तथा अक्टूबर 2012) के अनुसार बॉक्साईट भण्डार 3.44 लाख टन थे जिसके आधार पर अनुबंध में मासिक निर्धारित मात्रा निश्चित की गई थी, यद्यपि बीओडी ने इस तथ्य की अनदेखी की।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास तथा जिला खनिज संस्थान निधि में ₹ 95.57 लाख के संवैधानिक देय का जमा

2.2.5.11 खान मंत्रालय, जीओआई ने खान एवं खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 (नियम) अधिसूचित (17 सितंबर 2015) किए जो 12 जनवरी 2015 से प्रभावी थे। नियम के अनुसार प्रत्येक माइनिंग लीज धारक को 12 जनवरी 2015 से पहले प्रदान किए गए माइनिंग लीज के संबंध में भुगतान किए गए रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर से तथा 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद प्रदान किए गए माइनिंग लीज के संबंध में भुगतान किए गए रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर से जिला खनिज संस्थान निधि (डीएमएफ) में जमा करना होगा। इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन, अधिनियम, 2015 जिसे जीओआई ने मार्च 2015 में अधिसूचित किया था, के अनुसार रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि[63] (एनएमईटी) में जो 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था भी देय था। डीएएमफ का उद्देश्य खनन संबंधी क्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लाभ के लिए कार्य करना था तथा एनएमईटी निधि का उपयोग खनिजों के क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण के लिए किया जाना था।

बालको (बरिमा-I से IV तथा केसरा- I खदानों के संचालन हेतु) तथा बाघमार बॉक्साईट इंडस्ट्रीस एण्ड ए एस एसोसिएट्स (दलदली खदान के संचालन के लिए) के साथ हुए अनुबंध के अनुसार संवैधानिक अधिरोपित राशि तथा करों को जमा करने तथा ठेकेदार से उनकी वसूली की जिम्मेदारी कम्पनी की थी। जबकि, कम्पनी जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक किए गए बॉक्साईट खनन के लिए डीएमएफ तथा एनएमईटी की संवैधानिक देय राशि का भुगतान करने तथा ठेकेदार से उसकी वसूली करने मे असफल रही।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओसीजी ने बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों (जनवरी 2015 से अगस्त 2015) तथा दलदली खदान (जनवरी 2015 तथा दिसंबर 2015 के मध्य) में बॉक्साईट के खनन के संबध में कम्पनी को डीएमएफ तथा एनएमईटी के लिए

---

63 राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की स्थापना 14 अगस्त 2015 को हुई थी।

क्रमशः ₹ 94.91 लाख तथा ₹ 6.32 लाख जमा करने हेतु निर्देश (दिसंबर 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2016 एवं अप्रैल 2016) दिए।

जबकि, कम्पनी ने डीएमएफ के लिए ₹ 5.23 लाख तथा एनएमईटी के लिए ₹ 0.43 लाख ही जमा किए तथा दलदली खदान के ठेकेदार से उसकी वसूली की। कम्पनी ने जीओसीजी के निर्देश के बाद भी ना तो डीएमएफ के लिए ₹ 89.68 लाख एवं एनएमईटी के लिए ₹ 5.89 लाख जमा किए और ना ही ठेकेदारों से उसकी वसूली की।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी ने दलदली खदान के संबंध में डीएमएफ तथा एनएमईटी का भुगतान क्रमशः सितंबर 2015 तथा अगस्त 2015 से किया तथा ठेकेदार से उसकी वसूली की। जबकि बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों के संबंध में कोई भी भुगतान नहीं किया गया क्योंकि ये खदानें सितंबर 2015 से प्रचलन में नहीं थीं। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दलदली खदान के संबंध में 12 जनवरी 2015 से 15 सितंबर 2015 तक की अवधि के लिए डीएमएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी डीएमएफ तथा एनएमईटी के संवैधानिक देय का भुगतान करने में असफल रही, जिससे इन निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

बॉक्साईट पर रॉयल्टी का भुगतान

2.2.5.12 प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बरिमा तथा केसरा बॉक्साईट खदानों के संबंध में कम्पनी पूर्व माह के उत्पादन/ट्रांसिट पासों के अनुसार परिवहन की गई मात्रा के आधार पर अंबिकापुर कलोक्टोरेट के खनन शाखा में रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान करती है। कम्पनी को रॉयल्टी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध ट्रांसिट पास जारी किए जाते थे। *अनुलग्नक– 2.2.3* में दिए गए 31 मार्च 2016 को समाप्त पाँच वर्षों के लिए रॉयल्टी के विवरण से यह पता चलता है कि कम्पनी द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी हर बार देय रॉयल्टी से अधिक थी एवं यद्यपि 2012–13, 2013–14 तथा 2015–16 (अगस्त 2015 के बाद) में खनन कार्य नहीं किया गया था, कम्पनी ने खनन विभाग से आधिक्य रॉयल्टी की वापसी हेतु माँग नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 22.16 लाख की निधि अवरूद्ध रही।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि भविष्य में बॉक्साईट खदानों के प्रारंभ होने पर आधिक्य जमा की गई रॉयल्टी समायोजित की जाएगी।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि रॉयल्टी का भुगतान वास्तविक देय रॉयल्टी के उचित निर्धारण किए बिना किया गया जिससे कम्पनी की निधि अवरूद्ध रही।

लौह अयस्क का खनन

2.2.6 लौह अयस्क खनन का, जो लौह एवं इस्पात उद्योग का एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है, देश में की जा रही खनन गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान हैं। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के आँकडों के अनुसार 1 अप्रैल 2010 में देश में उपलब्ध कुल भंडार (8093.55 मिलियन टन) में से 11.12 प्रतिशत (900.11 मिलियन टन) केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है।

लौह अयस्क निक्षेप के विकास तथा दोहन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ हुआ समझौता ज्ञापन

2.2.6.1 छत्तीसगढ़ शासन ने कबीरधाम जिले में सहसपुर–लोहारा क्षेत्र (एकलामा लौह अयस्क निक्षेप) के आसपास 1909.04 हेक्टर क्षेत्र में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण हेतु कम्पनी

को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान (23 मार्च 2011) किया। भूगर्भ तथा खनन संचालनालय, छत्तीसगढ़ के प्राक्कलन के अनुसार एकलामा लौह अयस्क निक्षेप में अनुमानित 100 मिलियन टन लौह अयस्क भण्डार हैं। इसके अलावा, कम्पनी ने अनुमान लगाया कि, यदि लौह आयस्क निक्षेप को खान विकासकर्ता सह प्रचालक के माध्यम से विकसित किया जाऐ तो इससे ₹ 900 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक प्रतिवर्ष अर्जित किया जा सकता हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम माध्यम के जरिए एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के विकास करने का आग्रह (29 सितंबर 2011) किया। कम्पनी ने लौह अयस्क निक्षेप के विकास तथा दोहन के लिए सेल के साथ 2 नवंबर 2012 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के शर्तों के अनुसार, सेल को रेल लाइन बिछाने, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज इत्यादि स्थापित करने के साथ स्थानीय लोगों के लाभ के लिए कल्याण कार्य तथा अन्य विकास कार्य भी करना था। सेल द्वारा संयुक्त उद्यम अनुबंध (जेव्हीए) का मसौदा (30 नवंबर 2012 तथा 14 सितंबर 2013) को प्रस्तुत किया गया। तथापि सहमति न बनने के कारण जेव्हीए को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेव्हीसी) के गठन में शीघ्रता लाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तथा कम्पनी के अध्यक्ष, सेल के निदेशक (वित्त) एवं सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित (29 जनवरी 2014) की गयी। सेल ने उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल करते हुए कम्पनी को जेव्हीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत (26 अप्रैल 2014) किया। तथापि, कम्पनी के संचालक मंडल ने एमओयू का अंतिम मसौदा पर विचार नही किया और निर्णय (24 जुलाई 2014) लिया कि एमओयू को जेव्हीए के अंतिमीकरण में विलंब के कारण समाप्त कर दिया जाए। सेल द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा में उच्च स्तरिय समिति जिसमें कम्पनी के अध्यक्ष एक सदस्य थे के सुझावों को शामिल किया गया था पर विचार न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। कम्पनी ने एमओयू को रद्द (26 सितम्बर 2014) कर दिया और छत्तीसगढ़ शासन से माईनिंग लीज के लिए आवेदन (23 जून 2015) किया। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2016)। कम्पनी आज तक लौह अयस्क का खनन शुरू नहीं कर सकी है जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 एवं दिसंबर 2014 के मध्य कम्पनी द्वारा एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के अन्वेषण पर व्यय की गयी राशि ₹ 5.45 करोड़ अवरूध रही। चूँकि कम्पनी ने सेल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल कर जेव्हीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के बाद भी एमओयू का निष्पादन नही किया तथा लौह अयस्क के माइनिंग लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब किया, कम्पनी ने लौह अयस्क के अनुमानित 100 मीलियन टन के भंडार के दोहन का अवसर खो दिया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी द्वारा सभी प्रयासों के बावजुद जेव्हीए के नियम और शर्तो को अंतिम रूप देने में सेल असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एमओयू निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा, चूँकि पूर्वेक्षण कार्य पर किया गया व्यय माइनिंग लीज प्राप्त करने तथा खनन गतिविधियाँ संचालित करने हेतु आवश्यक था, उसे अवरूद्ध नहीं कहा जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सेल ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा 16 अप्रैल 2014 को आयोजित बैठक में दिये गये सुझावों को सम्मिलित कर जेव्हीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत (26 अप्रैल 2014) किया था। जबकि कम्पनी के संचालक मंडल ने जेव्हीए के अंतिम प्रारूप पर विचार किये बिना एमओयू को समाप्त (26 सितंबर 2014) कर दिया।

इसके अलावा, 23 मार्च 2011 को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनी ने केवल 23 जून 2015 को चार वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया जो अभी तक अप्राप्त है। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया व्यय अवरूद्ध रहा।

लौह अयस्क का माइनिंग लीज

2.2.6.2 कम्पनी ने कांकेर जिले के अरीडोंगरी क्षेत्र में लौह अयस्क हेतु माइनिंग लीज प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को (20 मई 2011) आवेदन किया। छत्तीसगढ़ शासन ने (4 सितम्बर 2014) 39 महीने के बाद खान मंत्रालय, भारत सरकार से माइनिंग लीज प्रदान करने हेतु अनुशांसा की जबकि, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 63 अ की शर्तों के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 12 महीनों के अंदर अनुशंसा करनी होती है। 27 महीनों का विलम्ब मुख्यतः इसलिए हुआ कि कम्पनी ने यूएनएफसी[64] प्रणाली के अनुरूप लौह अयस्क को वर्गीकृत करने के आईबीएम के दिशा निर्देशों (19 मार्च 2010) के अनुसार प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब कर दिया।

भारत सरकार ने (14 अक्टूबर 2015) माइनिंग लीज की स्वीकृति प्रदान की और छत्तीसगढ़ शासन ने (10 नवंबर 2015) कम्पनी को अनुदेश जारी किया कि वह छः महीनों के अंदर अनुमोदित माइनिंग प्लान तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करे। आईबीएम द्वारा (12 जुलाई 2016) माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्रदान किया गया और पर्यावरणीय स्वीकृति अभी तक (नवंबर 2016) विचाराधीन है।

इस प्रकार, आईबीएम के निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की असफलता के कारण भारत सरकार से माइनिंग लीज प्राप्त करने मे असाधारण विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग तथा प्रारंभिक अन्वेषण कार्य पर खर्च हुई राशि ₹ 75.30 लाख[65] चार से लेकर 8 वर्षों तक अवरूद्ध रही।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विलंब का कारण मुख्यतः नक्सल समस्या, आवेदित क्षेत्र की स्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त करने में विलंब तथा प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन में खनिज भंडारों के प्राक्कलन एवं वर्गीकरण में यूएनएफसी प्रणाली का पालन न करना था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि व्यय की गई राशि व्यर्थ नहीं थी क्योंकि माइनिंग लीज के लिए आवेदन पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के बिना नहीं किया जा सकता।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने यूएनएफसी प्रणाली के संबंध में आईबीएम के दिशा निर्देश (19 मार्च 2010) का उल्लंघन करते हुए प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार कर माइनिंग लीज हेतु आवेदन (20 मई 2011) किया। जिसके कारण भारत सरकार द्वारा माइनिंग लीज प्रदान करने में विलंब हुआ और अभी तक खान अप्रचलित है (नवंबर 2016)।

टिन अयस्क का खनन

2.2.7 टिन का उपयोग मुख्य रूप से टिन प्लेटिंग करने, विशेष मिश्र धातुओं के सोलड्रिंग करने तथा काँसा तैयार करने में होता हैं। मई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के आंकडे के अनुसार अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार भारत में टिन का कुल भंडार 7132 टन था और टिन का समस्त भंडार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित हैं।

---

64 युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर फौसिल एनर्जी एण्ड मिनरल रिजर्वस एण्ड रिसोर्सेस।

65 ₹ 19.70 लाख 28 नवंबर 2007 को, ₹ 27.80 लाख 14 दिसंबर 2009 को तथा ₹ 27.80 लाख 29 अगस्त 2011 को।

टिन अयस्क का खनन प्रचलन का प्रारंभ

2.2.7.1 खनिज संसाधन विभाग, जीओसीजी ने दंतेवाड़ा जिले में टिन अयस्क का माइनिंग लीज प्रदान किया (6 फरवरी 2010) तथा माइनिंग लीज डीड का निष्पादन (19 जुलाई 2010) जीओसीजी के साथ किया गया। खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) के नियम 28 के अनुसार यदि लीज प्रदान करने की तिथि से दो वर्षों के अवधि के अंदर खनन कार्य शुरू नहीं किया गया अथवा कार्य शुरू करने के बाद लगातार दो वर्षों तक कार्य बंद कर दिया गया तो राज्य शासन आदेश जारी करके माइनिंग लीज को व्यपगत घोषित कर देगी।

कम्पनी ने (10 मई 2012 तथा 31 जनवरी 2014) माइनिंग लीज को बढ़ाने के लिए आवेदन किया क्योंकि आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा भूस्वामीयों की सहमति नहीं मिलने के कारण खनन कार्य शुरू नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने 18 जुलाई 2012 से 17 जुलाई 2014 तथा 18 जुलाई 2014 से 17 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए माइनिंग लीज बढ़ाने की स्वीकृति (12 जून 2014 तथा 24 फरवरी 2016) दी और कम्पनी को निर्देश दिया कि वह विस्तार अवधि की तारीख से छः महीने के अंदर खनन कार्य शुरू कर दे।

तथापि, कम्पनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन जो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त हैं, तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि माइनिंग लीज प्राप्त होने की तारीख से 81 महीने[66] से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी और अभी तक (नवंबर 2016) टिन अयस्क का खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित है तथा सुरक्षा कारणों से पर्यावरणीय स्वीकृति, जिसमे बड़ा व्यय सम्मिलित होता है, को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

तथ्य यह रहा कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खनन कार्य बढ़ायी गई अवधी के दौरान भी शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा कम्पनी को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में होने वाले भारी खर्च तथा नक्सल समस्या की पूरी जानकारी माइनिंग लीज प्राप्त करने के समय तथा लीज अवधि बढ़ाने के समय थी।

कोलंबाईट का व्यापार

कोलंबाईट के व्यापार के लिए लाईसेंस का नवीनीकरण

2.2.8 कोलंबाईट जो टिन अयस्क का सह–उत्पाद है, इसका परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार के लिए सामरिक महत्व हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कम्पनी को सुझाव (जुलाई 2001) दिया कि वह स्थानीय आदिवासीयों से कोलंबाईट खरीदे तथा उसे परमाणु ऊर्जा विभाग को बेचे। तदानुसार, कम्पनी ने (मार्च 2002) स्थानीय आदिवासीयों से कोलंबाईट खरीदने का काम शुरू किया जो जनवरी 2008 तक जारी रहा और कम्पनी ने डीएई को 383.50 किलोग्राम कोलंबाईट बेचा (8 फरवरी 2005)। इसके अलावा कम्पनी द्वारा ₹ 403.00 प्रति किलाग्राम[67] की दर से 14895 किलोग्राम कोलंबाईट विमल स्टोन एसोसिएट्स[68] को बेचा (20 अगस्त 2008 और 22 नवबंर

66 मार्च 2010 से नवम्बर 2016

67 स्थानीय आदिवासीयों को दिया जाने वाला कोलंबाईट का क्रय मूल्य ₹ 310 प्रति किलो था।

68 एक अनुबंध के तहत (सितंबर 2007) जो विमल स्टोन्स एसोसिएट्स को सितंबर 2010 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 120 टन कोलंबाईट प्रति वर्ष विक्रय करने का प्रावधान करता था।

2008)। उसके बाद आज तक (नवंबर 2016) कम्पनी द्वारा कोलंबाईट की कोई खरीद और बिक्री नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएई ने कम्पनी को प्रति वर्ष 120 टन कोलंबाईट का व्यापार करने का अनुज्ञप्ति प्रदान (28 फनवरी 2007) किया था और अनुज्ञप्ति 31 जनवरी 2010 तक वैध थी। कम्पनी ने अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि और तीन वर्ष बढ़ाने हेतु आवेदन (26 दिसंबर 2009) किया। प्रत्युत्तर में डीएई ने कम्पनी को अन्वेषण तथा अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज संचालनालय, जीओआई (एएमडी) से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओसी), कम्पनी ने जिन पार्टियों के साथ सौदा किया उनका नाम तथा व्यापार किए गए कोलंबाईट के अंतिम उपयोग की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश (29 जनवरी 2010 तथा 28 सितंबर 2010) दिया।

जबकि, कम्पनी समय पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही तथा एएमडी को एनओसी के लिए केवल अगस्त 2013 में प्रस्ताव किया। अंततः डीएई ने 26 मार्च 2014 से 25 मार्च 2017 तक तीन वर्षों के लिए कम्पनी को अनुज्ञप्ति प्रदान (26 मार्च 2014) की।

यदि कम्पनी ने अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तों के पालन के लिए समय पर कार्यवाही की होती तो कम्पनी अक्टूबर 2010 से सितंबर 2013 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कोलंबाईट के विक्रय का ठेका निष्पादित कर पाती, क्योंकि फर्म (विमल स्टोन एसोसिएट्स) ने पहले ही तीन वर्षों के लिए कोलंबाईट की आपूर्ति को पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध (सितंबर 2010) किया था।

जबकि, कम्पनी अनुबंध की अवधि को बढ़ा नही पाई, क्योंकि दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा एएमडी से एनओसी प्राप्त करने में कम्पनी की विफलता के कारण अनुज्ञप्ति की वैधता का नवीनीकरण नहीं हो सका। अतः कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण अक्टूबर 2010 से सितंबर 2013 की अवधि में ₹ 3.35 करोड़[69] के राजस्व की हानि हुई।

आगे यह पाया गया कि 26 मार्च 2014 से 25 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए डीएई से अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर कम्पनी ने 32 माह व्यतीत होने के बाद भी कोलंबाईट का व्यापार अब तक (नवंबर 2016) प्रारंभ नहीं किया, जिसका कारण योग्य व अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की अनुपलब्धता बताया गया।

शासन ने कहा (नवबंर 2016) कि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए डीएई से नियमित पत्राचार किया गया था तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के बाद योग्य तथा अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों में डीएई द्वारा छूट नहीं देने के कारण खरीदी नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने करीब तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद ही एनओसी के लिए एएमडी को अगस्त 2013 में प्रस्ताव किया। इसके अलावा, कम्पनी ने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते (26 दिसंबर 2009) समय डीएई को योग्य व अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए आश्वासन दिया था। जबकि, इन अधिकारियों की भर्ती कम्पनी द्वारा नहीं की गई जो कि कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति की एक पूर्व आवश्यक्ता है।

---

६९ तीन सालों में फर्म को विक्रय की जाने वाली कुल 360000 किलोग्राम मात्रा ₹ 93 प्रति किलोग्राम की दर से (विक्रय मूल्य ₹ 403.00 प्रति किलोग्राम–क्रय मूल्य ₹ 310.00 प्रति किलोग्राम)= ₹ 33480000

पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमनों का अनुपालन

2.2.9 पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार, (जीओआई) ने अनेक अधिनियम और कानून बनाये है। राज्य स्तर पर अधिनियमों तथा कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण बोर्ड (सीईसीबी) नियामक एजेंसी है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी विभिन्न कानूनों के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त है।

खदान संचालित करने हेतु सीईसीबी द्वारा दी गयी सम्मति के शर्तों के अनुसार कम्पनी को वातावरण में वायु की गुणवत्ता की परिवीक्षा करना तथा अभिलिखित करना था। इसके अलावा, दलदली बॉक्साईट खान (कम्पनी की एक मात्र प्रचलित खान) के संचालन के लिए हुए अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को पर्यावरणीय क्षति तथा परिणामस्वरूप संपत्ति एवं मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को पूर्वस्थिति में लाने/कम करने हेतु उपयुक्त प्रोद्योगिकी तथा कार्यप्रणाली नियोजित करना था। इसके अलावा वृक्षारोपण तथा खान क्षेत्र की भूमि में सुधार करना था जिसका खर्च ठेकेदार को वहन करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि खदानों के संचालन में विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों (जैसे कि वातावरणीय वायु गुणवत्ता का विश्लेषण, खनन किए गए क्षेत्र में वृक्षारोपण इत्यादि) का पालन बरिमा तथा केसरा बॉक्साईट खदानों के परिचालन के दौरान किया गया। जबकि, लेखापरीक्षा दल तथा कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दलदली बॉक्साईट खदान के संयुक्त निरीक्षण के दौरान (20 मई 2016), निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

(i) वायु प्रदूषण

खनन संचालन कि विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि ड्रिलींग, विस्फोट, लदान एवं परिवहन के कारण कुछ जहरीली गैसों के उत्पन्न होने कि संभावना रहती हैं। खनन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण होने वाली वायु प्रदूषण को निम्नलिखित श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

(अ) गैसिय प्रदूषण (नाइट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डाइऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड) और

(ब) ससपेन्डेड पार्टीकुलेट मेटर

सीपीसीबी द्वारा अधिसूचित (18 नवंबर 2009) राष्ट्रीय वातावरणीय वायु मानक के अनुसार सल्फर डाईऑक्साईड, नाइट्रोजन डाईऑक्साईड और ससपेन्डेड पार्टीकुलेट मेटर जिसका आकार 2.5 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम हो, एक वर्ष के दौरान क्रमशः 50 μ/m^3, 40 μ/m^3 तथा 40 μ/m^3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तथापि संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा वातावरणीय वायु गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया जा रहा था।

कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरण में वायु की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने में असफल रही।

(ii) ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 का उद्देश्य ध्वनि पैदा करने वाले स्त्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करना है ताकि ध्वनि से संबंधित वातावरणीय वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। तदानुसार, ध्वनि का स्तर औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डीबी (ए) एलईक्यू[70] तथा रात में 70 डीबी (ए) एलईक्यू निर्धारित किया गया हैं।

---

70 डीबी (ए) एलईक्यू का सम्बन्ध ध्वनि की समय भार औसत के स्तर से है जो स्केल–ए में दर्शाया जाता है जो कि मानवीय श्रवण से सम्बन्धित है। डेसिबल एक इकाई है जिसमें ध्वनि को मापा जाता है। डीबी (ए) एलईक्यू का ''ए'' ध्वनि के माप में आवृत्ति के भार को दर्शाता

इसके अलावा, अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार उच्च ध्वनि स्तर के खतरों से कामगारों को बचाने के लिए उन्हे ईयर प्लग तथा वायु अवरोधक संचालन केबिन भी प्रदान करना था। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि न तो ध्वनि स्तर पर नजर रखने तथा अभिलिखित करने के लिए कोई प्रणाली थी और ना ही कर्मचारियों को ईयर प्लग/वायु अवरोधक संचालन केबिन प्रदान किये गये थे।

(iii) वृक्षारोपण

ओपन कास्ट खनन का एक बड़ा कुप्रभाव भू–क्षरण होता हैं और इसके कुप्रभावों को रोकने का कोई भी प्रयास उपयुक्त भूमि सुधार उपाय के बिना अधूरा होगा। अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये भूमि को निकाली गई मिट्टी तथा बेकार पदार्थों से बराबर करने के बाद प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाने थे। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनन किये गए क्षेत्र में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया था जबकि प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाने थें।

(iv) बचाव एवं सुरक्षा

अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार लीज क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए उसे उचित तरीके से फेसिंग करना था। तथापि यह पाया गया कि लीज क्षेत्र की फेंसिंग नहीं की गयी।

शासन ने यह कहा (नवंबर 2016) कि कर्मचारियों को ईयर प्लग प्रदान किये गये थे तथा उनके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ईयर प्लगों से होने वाले लाभ के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि 2016–17 के दौरान लगाये गये 70 प्रतिशत पेड़ जीवित रहें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। लीज क्षेत्र की फेंसिंग के बारे में शासन ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में फेंसिंग का काम प्रस्तावित हैं ताकि बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कर्मचारियों/स्टाफ को ईयर प्लग तथा वायु अवरोधक संचालन केबिन प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, वातावरणीय वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा भी उपरोक्त कमियों को स्वीकार किया गया। इस प्रकार कम्पनी/ठेकेदार विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित पर्यावरणीय विनियमनों के अनुपालन में असफल रही।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि:

- **अपने राजस्व का महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक तथा कर्मचारी लाभ पर व्यय करने के बाद भी कम्पनी खनिजों का खनन एवं विपणन स्वयं नहीं करती तथा लागत–लाभ विश्लेषण किए बिना इन गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के लिए निजि ठेकेदारों को कार्यादेश देती थी। खनन पूर्व गतिविधियाँ जैसे फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करना, संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना इत्यादि भी बाहय एजेंसियों द्वारा किए जाते थे।**

- **कम्पनी कोयला ब्लॉकों के विकास करने तथा खनन प्रारंभ करने में असफल रही यद्यपि उत्पादन प्रारंभ करने के माइलस्टोन से करीब दो वर्षों से सात वर्षों से अधिक व्यतीत हो गए तथा कम्पनी द्वारा इन ब्लॉकों पर बड़ी राशि व्यय की गई।**

है एवं मानवीय कर्ण कितने आवृत्ति में प्रतिक्रिया करता है को दर्शाता है। एलईक्यू एक निश्चित अवधि में ध्वनि स्तर की औसत ऊर्जा है।

असफलता मुख्यतः भूगर्भीय प्रतिवेदनों को तैयार करने में विलंब, विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माइनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू–अर्जन इत्यादि के लिए आवेदन करने में विलंब के कारण से थी। कम्पनी को आबंटित पाँच कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2014) से कम्पनी द्वारा खनन पूर्व कार्यों पर व्यय किए गए ₹ 339.24 करोड़ व्यर्थ हो गए।

- कम्पनी ने अनुबंधात्मक प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में समय पर कार्यवाही तथा निगरानी नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप दलदली बॉक्साईट खदान के ठेकेदार ने बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध तथा माइनिंग प्लान के अनुसार मासिक निर्धारित मात्रा के लिए भुगतान की जगह वास्तविक उत्खनित मात्रा के लिए भुगतान किया।

- केसरा II, III, IV, बरिमा VI तथा नागाढांढ़ बॉक्साईट खदानों में खनन एवं विपणन के ठेके में कम्पनी ने अनुचित रूप से खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई।

- चूँकि कम्पनी ने सेल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल कर अंतिम जेव्हीए का मसौदा प्रस्तुत करने पर भी एकलामा खदान के विकास के लिए सेल के साथ हुए एमओयू को निष्पादित नहीं किया तथा लौह अयस्क के माइनिंग लीज का आवेदन करने में विलंब किया कम्पनी ने अनुमानित 100 मिलियन टन के लौह अयस्क भण्डार के दोहन के अवसर से वंचित हो गया।

- कम्पनी जिला कांकेर में अरिडोंगरी लौह अयस्क खदान को संचालित करने में असफल रही क्योंकि प्री–फिसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने में प्रचलित निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण माइनिंग लीज प्राप्त नहीं की जा सकी।

- कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण ₹ 3.35 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरणीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहीं।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि कम्पनी को :

- खनिजों के खनन एवं विपणन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के विभागीय निष्पादन हेतु उचित लागत–लाभ विश्लेषण कर इस मामले पर उपयुक्त दृष्टिकोण रखना चाहिए।

- राजस्व से आय को बढाने तथा अप्रचलित खदानों से राजस्व की हानि को टालने के लिए खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए समय पर कार्यवाही करना चाहिए।

- राज्य के वृहद लौह अयस्क भण्डारों के दोहन के लिए प्रमुख इस्पात निर्माताओं से एमओयू सहित अन्य विकल्पों की खोज करना चाहिए।

- बॉक्साईट खनन के संबंध में न्यूनतम निर्धारित मात्रा के भुगतान संबंधी अनुबंध के नियम व शर्तों का ठेकेदार द्वारा पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- **विभिन्न अधिनियमों के अतंर्गत निर्धारित पर्यावरणीय विनियमनों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।**

तीसरा अध्याय

तीसरा अध्याय

3. लेन देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कम्पनियों के लेन देनों की नमूना जाँच में पाई गईं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.1 विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अधिक निर्धारण करने के फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया

कम्पनी ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अंतिमीकरण निविदा के नियम एवं शर्तों के साथ ही साथ संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्चतर दर पर निर्धारण किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा[1] के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कम्पनी के रूप में हुई (नवंबर 2001)। कम्पनी आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण के साथ–साथ दरों के अंतिमीकरण अर्थात् कम्पनी को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा की दर अर्थात् क्रय मूल्य[2] से निर्धारण हेतु प्रतिवर्ष खुली निविदा आमंत्रित करता है। प्राप्त बोलियों के आधार पर क्रय मूल्य का अनुमोदन कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। कम्पनी पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से विविध ब्राण्ड की विदेशी मदिराओं का क्रय करने के बाद अपने भण्डारगृहों में भण्डारित करती है एवं क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत का अपना मार्जिन एवं अन्य लागू कर व शुल्क जोड़कर विदेशी मदिरा को ऐसे फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करती है, जिनके पास राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का परमिट होता है। फुटकर मूल्य (न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य), जिस पर विदेशी मदिरा जनता को बेची जाती है, का निर्धारण राज्य आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी ने 35 आपूर्तिकर्त्ताओं के 462 ब्राण्ड/लेबल का अंतिमीकरण किया (मार्च 2014)। इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी ने 39 आपूर्तिकर्त्ताओं के 512 ब्राण्ड/लेबल का अंतिमीकरण किया (मार्च 2015)।

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के क्रय मूल्य के अंतिमीकरण संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

अ) *विदेशी मदिरा के आसवनी मूल्य प्राप्त किये बिना क्रय मूल्य का अंतिमीकरण किया गया*

दर प्रस्ताव की नियम एवं शर्तों के उपवाक्य 5(अ) के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रपत्र ''अनुलग्नक अ'' में उन उत्पादों की आसवनी मूल्य[3] (ईडीपी) देना था, जिसे वे राज्य में बेचना चाहते हैं। यद्यपि किसी भी आपूर्तिकर्त्ता

---

1 भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, विदेशों में निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर

2 मूल्य (गंतव्य तक बिना भाड़े के) जिस पर कंपनी अपने गोदामों में आपूर्तिकर्त्ताओं से विदेशी मदिरा प्राप्त करती है।

3 आसवनी में निर्मित विदेशी मदिरा की पैकिंग, माल भाड़ा, हैण्डलिंग, बीमा प्रभार आदि को छोड़कर प्रत्यक्ष लागत।

ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 ईडीपी नहीं दिया, क्योंकि ''अनुलग्नक अ'' में ईडीपी को दर्शाने वाला कॉलम नहीं था, जबकि 2012–13 तक के प्रपत्र में निर्दिष्ट ईडीपी को दर्शाने वाला ''अनुलग्नक अ'' था। ईडीपी मूल्य प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि इससे कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा क्रय मूल्य की गणना के लिए ईडीपी के बाद जोड़े गए अप्रत्यक्ष प्रभार की जानकारी लेने में और क्रय मूल्य की तर्कसंगतता परखने में सहायता मिलती है। ईडीपी के बिना लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कम्पनी ने आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर की तर्कसंगतता कैसे निर्धारित की और पाया कि क्रय मूल्य उच्चतर दर से अंतिमीकृत किया, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में वर्णित है:

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि निविदा दस्तावेज के 'अनुलग्नक अ'' में ईडीपी का कॉलम त्रुटिवश छूट गया। शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य की निविदाओं में कम्पनी 'अनुलग्नक अ'' में ईडीपी के कॉलम को जोड़कर त्रुटि को सुधार लेगी।

ब) दर की तर्कसंगतता का निर्धारण किए बिना क्रय मूल्य का उच्चतर दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया

आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित दरों की तर्कसंगतता के निर्धारण के लिए दर प्रस्ताव की नियम एवं शर्तों का उपवाक्य 5 (स) यह उपबंधित करता है कि आपूर्तिकर्त्ताओं को उनके उत्पाद का क्रय मूल्य प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्द्धी आधार पर उद्धरण करना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता को अपने उत्पादों का ईडीपी एवं दरों का भी उल्लेख करना था, जो कि उन्होंने अन्य निकटवर्ती राज्यों में उद्धरण किया था। किसी लेबल के लिए उद्धरित की गई दर आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों यथा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा एवं आंध्रप्रदेश में उद्धरित की गई दर को ध्यान में रखते हुए उचित होना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिस्पर्द्धी एवं उचित दर की प्राप्ति के लिए उपवाक्य 9 कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ वार्तालाप करने की शक्ति प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के लिए किसी भी आपूर्तिकत्ताओं ने ईडीपी एवं निकटवर्ती राज्यों की दर जमा नहीं की। क्रय मूल्य के अनुमोदन के समय संचालक मण्डल ने दर प्रस्ताव की शर्त 5 (स) का पालन करने लिए छः निकटवर्ती राज्यों से विदेशी मदिरा की दर प्राप्त कर तुलनात्मक विश्लेषण कर दर की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (मार्च 2014)। इस प्रकार, कम्पनी ने निकटवर्ती राज्यों से दरें प्राप्त की एवं तुलनात्मक विवरण तैयार किया, जो यह दर्शाता था कि कई आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उद्धरित की गई दर निकटवर्ती राज्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। 2014–15 के लिए अनुमोदित कुल 462 ब्राण्ड/लेबल में से आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 106 लेबल के क्रय मूल्य निकटवर्ती राज्यों की दरों से अधिक थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए उच्चतर दर उद्धरित करने की जानकारी थी, किंतु संचालक मण्डल के दिशानिर्देशानुसार एवं दर प्रस्ताव के उपवाक्य 9 के अनुसार कम्पनी ने क्रय मूल्य कम करने हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से वार्ता हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार 106 लेबल के लिए उच्चतर क्रय मूल्य के निर्धारण के कारण वर्ष 2014–15 में आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 6.69 करोड़ के अनुचित लाभ के रूप में परिणामित हुआ, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.1*** में वर्णित है, इसके फलस्वरूप राज्य की आम जनता को उच्चतर दर में मदिरा के विक्रय के रूप में परिणामित हुआ।

इसी प्रकार 2015–16 के लिए भी किसी आपूर्तिकर्त्ता ने ईडीपी एवं निकटवर्ती राज्यों की दर जमा नहीं की थी। तथापि कम्पनी ने आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित दरों की तर्कसंगतता का विश्लेषण किए बिना आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 512 ब्राण्ड/लेबल के क्रय मूल्यों का अनुमोदन कर दिया (मार्च 2015)। चूंकि प्रबंधन ने 2015–16 में भी तुलना के लिए निकटवर्ती राज्यों के क्रय मूल्यों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया था, किंतु इसका कोई उपयोग नहीं हुआ और दरों को कम करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2015–16 के लिए अनुमोदित कुल 512 ब्राण्ड/लेबल में से आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 275 लेबल के क्रय मूल्य निकटवर्ती राज्यों की दरों से अधिक थे, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्त्ताओं को 2015–16 में ₹ 106.18 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.2*** में वर्णित है।

यदि कम्पनी 2014–15 में ही दर की तर्कसंगतता का निर्धारण कर लेती एवं क्रय मूल्य को कम करके निकटवर्ती राज्यों के बराबर लाने हेतु कार्यवाही करती तो इस अनियमितता को आगामी वर्ष अर्थात् 2015–16 में टाला जा सकता था। इस प्रकार 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान कम्पनी ने उच्चतर दर को स्वीकार करते हुए विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

कण्डिका पर चर्चा (दिसंबर 2016) के दौरान सचिव, वाणिज्य कर एवं पंजीयन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि सभी आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 112.87 करोड़[4] की वसूली हेतु 24 नवंबर 2016 को कारण बताओं नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सचिव ने यह भी कहा कि इन आपूर्तिकर्त्ताओं के उत्तर का सत्यापन करने के बाद इनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने दरों को स्वीकार करने के पूर्व निविदा की नियम एवं शर्त्तों एवं संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उद्धरित दरों की तर्कसंगतता का उचित स्तर पर विश्लेषण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

3.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय नकद में तथा बिना टीडीएस काटे भुगतान किया, जिसके कारण ₹ 6.10 करोड़ का व्यावसायिक व्यय अमान्य हुआ परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा ।

आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) की धारा 40 क (3) के अनुसार जहाँ निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय जो बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक बैंक ड्राफ्ट से भिन्न रूप में किया जाता है,रूपये 20000[5] से अधिक हो जाता है, वहाँ ऐसे व्यय व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।

इसी प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (ia) के अनुसार किसी निवासी ठेकेदार को किया गया भुगतान, ब्याज, कमीशन, दलाली, किराया, अधिकार शुल्क,

---

4 2014–15: दो आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 6.69 करोड़ एवं 2015–16: 19 आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 106.18 करोड

5 माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने संबंधी भुगतान के प्रकरण में ₹ 35000

व्यावसायिक सेवाओं पर दिया शुल्क, व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय ऐसे व्यय की कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी यदि भुगतान के समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2016) कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों की गंभीर अवहेलना करते हुए ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय (वेतन एवं भत्ते, परिवहन व्यय, अनुरक्षण एवं संधारण, बोनस, गोदाम किराया, सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान) नकद में और व्यावसायिक व्ययों पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती किये बिना भुगतान किया । कम्पनी के कर लेखापरीक्षक द्वारा नियमित रूप से इस अनियमितता को चिन्हित किया जाता रहा है और इसके बावजूद उप महाप्रबंधक (वित्त), जो कि कम्पनी के वित्त अनुभाग के प्रभारी थे, ने व्यावसायिक व्यय के भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय का नकद में और स्त्रोत पर आयकर की कटौती किये बिना भुगतान करने के कारण वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक कम्पनी की कुल आय की गणना करते समय ₹ 6.10 करोड़ के व्यावसायिक व्यय को कर लेखापरीक्षक द्वारा ही अमान्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को उक्त अमान्य व्यय पर ₹ 2.02 करोड़ का आयकर का भुगतान करना पड़ा, जो कि परिहार्य था, जैसा कि **तालिका – 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.1: अमान्य व्यय और आयकर का परिहार्य भुगतान

(राशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान नकद में करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 40क (3) के अंतर्गत अमान्य व्यय	भुगतान करते समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (ia) के अंतर्गत अमान्य व्यय	आयकर की प्रभावी दर (%)	आयकर का परिहार्य भुगतान
1	2	3	4	5 (2+3) x स्तंभ 4
2005-06	101038	1562580	33.66	559974
2006-07	691411	1894957	33.66	870571
2007-08	353655	5643731	33.99	2038512
2008-09	54263	8176042	33.99	2797481
2009-10	1234552	2507356	33.99	1271875
2010-11	156778	11152832	33.22	3756770
2011-12	2013876	593384	32.45	845926
2012-13	2464689	22390666	32.45	8065563
योग	**7070262**	**53921548**		**20206670**
महायोग		**60991810**		

* **वर्ष 2013–14 से 2015–16 का विवरण उपलब्ध नहीं है, चूंकि कम्पनी के लेखे अभी अंतिमीकृत होना शेष है और कर लेखापरीक्षा भी किया जाना शेष है।**

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि कर लेखापरीक्षक द्वारा अमान्य किये गये उक्त व्यय के संबंध में संचालक मण्डल की बैठक में चर्चा नहीं की गई ।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2016) कि कम्पनी लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव का भविष्य में सख्ती से पालन करेगी और इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचाारी वसूली हेतु उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में सभी को आवश्यक निर्देश भी जारी (23 जुलाई 2016) किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के समय (29 दिसंबर 2016) संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने कहा कि कण्डिका में दर्शाई गई अवधि में उप महाप्रबंधक (वित्त) मुख्य वित्त अधिकारी थे। यद्यपि उप महाप्रबंधक (वित्त) को इस अनियमितता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि कम्पनी के लेखे बकाया थे और इसके कारण कम्पनी, किये गए भुगतान की प्रभावी तरीके से निगरानी नहीं कर सकी। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि सभी मैदानी कार्यालयों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं । उक्त प्रावधानों के पालन में विफलता की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों से वसूली की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि कर लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति लिए जाने के बावजूद व्यावसायिक व्ययों के भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन नहीं करने के कारण कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा, जिससे कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ की हानि हुई। साथ ही, लेखों के बकाया संबंधी शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय पर लेखों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी वित्त अनुभाग का ही है।

3.3 आधिक्य धान बीज के विक्रय में हानि

आधिक्य धान बीज के विक्रय की सक्रिय विपणन रणनीति की कमी के कारण कम्पनी को ₹ 2.18 करोड़ की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), राज्य कृषि विभाग द्वारा सूचित माँग के अनुसार कृषकों को विभिन्न फसलों के सत्यापित बीज पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। यदि कम्पनी का सत्यापित बीज का घरेलू उत्पादन राज्य कृषि विभाग की माँग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होता, तब कम्पनी कमी की मात्रा को केंद्रीय/राज्य एजेंसी और पंजीकृत सहकारी समितियों से क्रय करती हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) से खुलासा हुआ कि खरीफ 2015 के लिए कम्पनी को राज्य कृषि विभाग से विभिन्न किस्म की कुल 6.34 लाख क्विंटल धान बीज की माँग (दिसंबर 2014) की गई, जिसके विरूद्ध कुल 6.90 लाख क्विंटल[6] धान बीज कम्पनी के पास उपलब्ध थी। कम्पनी ने 5.47 लाख क्विंटल बीज कृषकों को विक्रय किया एवं 0.32 लाख क्विंटल बीज अगले वर्ष के लिए पुर्नवैधीकरण करने के पश्चात् 1.11 लाख क्विंटल बीज अविक्रित आधिक्य के रूप में बच गया। आधिक्य स्कंध में से कम्पनी ने अब तक (फरवरी 2016) 76872 क्विंटल बीज ₹ 1140 प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर कुल ₹ 8.77 करोड़ में कृषि उपज मण्डी में खाद्यान्न के रूप में नीलाम किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी, धान बीज की मांग के विरूद्ध आधिक्य उपलब्धता के बारे में प्रारंभ से ही (मार्च 2015) भली भाँति परिचित थी, क्योंकि इसने राज्य कृषि विभाग की माँग के साथ ही साथ उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध बीज का

6 घरेलू उत्पादन – 665755 क्विंटल एवं बाह्य एजेंसियों से क्रय – 24523 क्विंटल

विश्लेषण करते समय पाया कि कम्पनी के पास 53220 क्विंटल धान बीज की अधिकता होगी । यद्यपि, कम्पनी ने आधिक्य धान बीज को अन्य विपणन एजेंसी को विक्रय हेतु शीघ्र कार्यवाही नहीं की एवं कम्पनी द्वारा ऐसा प्रथम प्रयास केवल मई 2015 में किया गया, जब कम्पनी ने धान बीज के विक्रय हेतु अन्य बीज विपणन एजेंसी[7] को प्रस्ताव भेजा।

चूंकि इस समय तक सभी एजेंसियों ने अपनी बीज व्यवस्था कर ली थी, इसलिए कम्पनी, कोई भी मात्रा उनको बेच नहीं सका। कम्पनी ने बाद में 76872 क्विंटल आधिक्य धान बीज को ₹ 1140 प्रति क्विंटल के औसत दर पर नीलाम किया। यदि कम्पनी आधिक्य धान बीज को अन्य एजेंसियों को विक्रय करने के लिए मार्च 2015 में ही शीघ्र निर्णय ले लेती, जब ये एजेंसियाँ आमतौर पर खरीफ सत्र के लिए धान बीज की व्यवस्था[8] करती है, तो आधिक्य मात्रा ₹ 1550 प्रति क्विंटल[9] के न्यूनतम मूल्य पर विक्रय की जा सकती थी। इससे कम्पनी को 53220 क्विंटल आधिक्य मात्रा, जो कि मार्च 2015 से ही उपलब्ध थी एवं इसके विपणन के लिए समय पर कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, के विक्रय पर ₹ 410 प्रति क्विंटल की न्यूनतम दर[10] से कुल ₹ 2.18 करोड[11] की हानि के रूप में परिणामित हुआ।

इसके साथ ही कम्पनी ने अपनी संपूर्ण आधिक्य मात्रा को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ (मार्कफेड), जो कि कृषकों से केंद्र सरकार की विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करती है, को विक्रय करने के लिए प्रयास नहीं किया। चूंकि प्रसंस्कृत धान बीज की गुणवत्ता सामान्य धान से कई गुना बेहतर होती है, इसलिए कम्पनी को आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने के लिए राज्य शासन के समक्ष मामला उठाना चाहिए था, जैसा कि निरस्त धान बीज के प्रकरण में राज्य शासन कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्कफेड को बेचने की अनुमति (26 मई 2015) देता है, ।

इस प्रकार आधिक्य धान बीज को खाद्यान्न के रूप में कृषि उपज मण्डी में ₹ 1450 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के विरूद्ध ₹ 1140 प्रति क्विंटल के न्यूनतम दर सें विक्रय करने का कम्पनी का निर्णय इसके हित में नहीं था। यदि आधिक्य मात्रा को मार्कफेड को बेचा जाता तो कम्पनी को नीलामी के माध्यम से प्राप्त राजस्व की तुलना में ₹ 310 प्रति क्विंटल (₹ 1450 – ₹ 1140) अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि अन्य राज्यों में धान बीज की माँग नहीं थी, इसलिए अन्य एजेंसियों ने इसके क्रय करने में रूचि नहीं दिखाई। यद्यपि, लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा (दिसंबर 2016) के दौरान संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने कहा कि भविष्य में राज्य को मुख्य बीज निर्यातक राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शासन ने

---

7 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, आंध्रप्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम

8 उदाहरणतः, कृषि निदेशालय, झारखण्ड शासन ने झारखण्ड में बीज वितरण कार्यक्रम के लिए 3.04 लाख क्विंटल धान बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (28 मार्च 2015) किया था। इसी प्रकार, राष्ट्रीय बीज निगम ने भी 550000 क्विंटल धान बीज के लिए निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2015) किया था।

9 धान बीज की प्रति क्विंटल रियायति दर, जिस पर कंपनी कृषकों को विक्रय करती है।

10 कंपनी ने अभी तक 76872 क्विंटल आधिक्य धान बीज ₹ 1140 प्रति क्विंटल की दर से विक्रय किया है । बची हुई मात्रा समय के साथ गुणवत्ता में कमी के कारण प्रति क्विंटल वसूली के औसत मूल्य में कमी होगी और हानि में वृद्धि होगी। इस प्रकार ₹ 2.18 करोड़ की न्यूनतम हानि हुई।

11 53220 क्विंटल X ₹ 410 प्रति क्विंटल

कम्पनी को आधिक्य बीज को अन्य विपणन एजेंसियों को निर्यात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अन्य राज्यों में धान की माँग ना होने संबंधी शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आधिक्य धान बीज के विक्रय का प्रस्ताव विलंब से मई 2015 में भेजा, जबकि मार्च एवं अप्रैल 2015 में धान बीज की अत्यधिक माँग थी। उदाहरणतः कृषि निदेशालय, झारखण्ड शासन एवं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने इस अवधि में धान बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की थी। यद्यपि कम्पनी ने आधिक्य धान बीज की मात्रा का निराकरण करने के लिए इन निविदाओं में शामिल होने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने के संबंध में संयुक्त सचिव ने आधिक्य धान बीज को निरस्त बीज के समान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्कफेड को विक्रय किये जाने संबंधी लेखापरीक्षा के सुझाव की प्रशंसा की। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि इसे मार्कफेड को विक्रय करने से राज्य शासन की हानि में कमी आएगी और राज्य में जन वितरण प्रणाली के लिए उच्च गुणवत्ता का चावल उपलब्ध हो सकेगा। शासन ने कम्पनी को बीज टैग से संबंधित कृषकों को चिन्हित करने के पश्चात् आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.4 उच्चतर दर पर कार्यादेश देना

कम्पनी ने ₹ 44.40 करोड़ का सिविल कार्य प्रथम निविदा में प्राप्त दो बोलियों में से दर की उचित रूप से जांच किए बिना अत्यधिक उच्चतम दर पर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार ने ''संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना'' (एमआईआईयूएस) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के उरला एवं सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन[12] योजना का अनुमोदन किया (मार्च/अगस्त 2015)। एमआईआईयूएस योजना की औद्योगिक क्षेत्रवार प्रगति की चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है।

अ. औद्योगिक क्षेत्र, उरला

कम्पनी ने एमआईआईयूएस योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, उरला में वर्तमान सड़क के चौड़ीकरण एवं उस पर सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण करने के साथ आर.सी.सी. नाली एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य हेतु ₹ 24.89 करोड़ की कुल दर अनुसूची (दर अनुसूची 2015) पर आनलाईन निविदा आमंत्रित किया (6 नवंबर 2015) । उक्त निविदा के विरूद्ध आठ बोलियॉं प्राप्त हुई, जिसमें से केवल तीन बोलीदाता ही तकनीकी रूप से योग्य पाए गए। सभी तीन योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोली 31 दिसंबर 2015 को खोली गई और मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी की बोली सबसे कम यथा दर अनुसूची से 24.03 प्रतिशत कम पाई गई।

चूंकि प्राप्त निम्नतम दर अनुसूची दर से बहुत कम थी इसलिए निविदा समिति ने निविदा में प्राप्त मूल्य की व्यवहार्यता के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए मूल्य के औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् निविदा के उपवाक्य 22 के अनुसार पाँच *प्रतिशत* अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी लेते हुए ठेकेदार को ठेका देने का निर्णय लिया

[12] वर्तमान सड़क, जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, अन्य सामान्य सुविधओं का उन्नयन

(5 जनवरी 2016)। इस प्रकार, मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी को उसके द्वारा दिए गए दर अनुसूची से 24.03 *प्रतिशत* कम में कुल ₹ 18.91 करोड़ में कार्यादेश जारी किया गया (4 फरवरी 2016)। कार्यपूर्णता की तिथि अगस्त 2017 है और 31 मार्च 2016 को ठेकेदार ने ₹ 1.51 करोड़ का कार्य पूर्ण कर लिया है।

ब. औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी

इसी प्रकार, कम्पनी ने एमआईआईयूएस योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में अधोसंरचना के उन्नयन यथा सड़क, जल निकासी प्रणाली एवं जल आपूर्ति कार्य हेतु ₹ 41.23 करोड़ की कुल दर अनुसूची (दर अनुसूची 2015), जिसका संशोधित मूल्य (5 दिसंबर 2015) ₹ 44.40 करोड़ था, के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित किया (3 नवंबर 2015)। उक्त निविदा के विरूद्ध निविदा देने की अंतिम तिथि (11 जनवरी 2016) तक सात बोलियॉ प्राप्त हुई। बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन (3 मार्च 2016) के पश्चात् पांच बोलियों को निविदा की अर्हता की शर्त को पूरी नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया एवं केवल दो बोलियॉ (मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर एवं ऐरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा) तकनीकी रूप से योग्य पाई गईं। दोनों योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोली 5 मार्च 2016 को खोली गई और मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड की बोली सबसे कम यथा दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम पाई गई।

चूंकि प्राप्त निम्नतम दर अनुसूची दर से कम थी इसलिए निविदा समिति ने निविदा के उपवाक्य 22 के अनुसार पाँच प्रतिशत अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी लेते हुए मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन को निविदा में आई न्यूनतम दर पर ठेका देने का निर्णय लिया (15 मार्च 2016)। इस प्रकार, मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन को उसके द्वारा दिए गए दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम में कुल ₹ 38.92 करोड़ में कार्यादेश जारी किया गया (मई 2016), जिसकी कार्यपूर्णता तिथि वर्षा ऋतु सहित 12 माह थी।

औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिरगिट्टी एवं निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 200 को दर्शाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र नीचे दिया गया है:

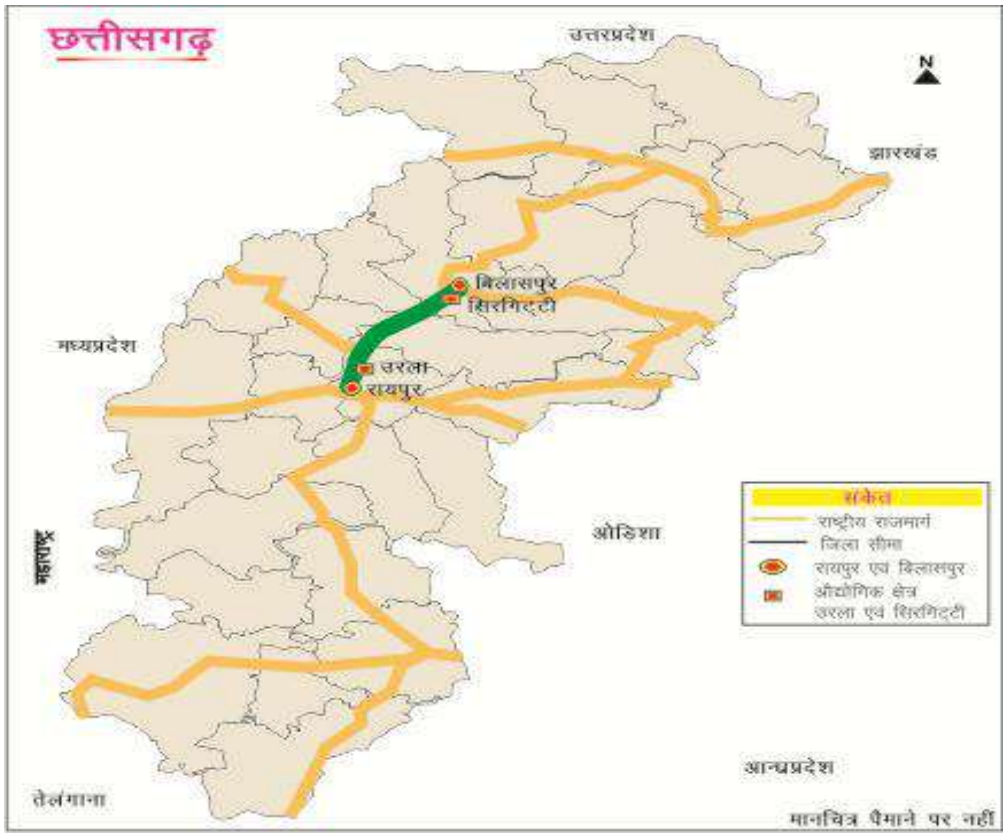

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी की निविदा के अंतिमिकरण के समय कम्पनी ने निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर (दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम) की तुलना लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के उन्नयन कार्य[13] में प्राप्त दर (दर अनुसूची से 6.24 प्रतिशत कम) से की और प्राप्त दर का लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त दर से कम होने के कारण उचित पाया। इस प्रक्रिया में कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी की निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की तर्कसंगतता का निर्धारण करते समय उरला औद्योगिक क्षेत्र में समान कार्य की निविदा में प्राप्त कम दर (दर अनुसूची से 24.03 प्रतिशत कम) की अनदेखी की। चूंकि सिरगिट्टी में प्रथम निविदा में दो बोलीदाताओं से प्राप्त न्यूनतम दर कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, उरला में अंतिमीकृत किए गए निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की तुलना में बहुत अधिक थी (लगभग 12 प्रतिशत), इसलिए कम्पनी को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी दर के लिए पुनर्निविदा करना चाहिए था।

इस प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी के कार्य में प्रथम निविदा में दो बोलीदाताओं से प्राप्त बोली के आधार पर दर के औचित्य का उचित रूप से निर्धारण किए बिना तथा औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त न्यूनतम दर पर विचार किए बिना उच्चतर दर से कार्यादेश जारी किया, जिसके कारण ₹ 5.19 करोड़[14] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने कहा (जुलाई 2016) कि दर की तर्कसंगतता का निर्धारण निकटवर्ती क्षेत्र में समान कार्य के लिए प्राप्त दर से की गई और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर से तुलना करना उचित नहीं है। इस प्रकार, कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में प्राप्त दर की तुलना चंदखुरी–मारो–संबलपुर–उमरिया सड़क के उन्नयन कार्य (लोक निर्माण विभाग की एडीबी परियोजना) से की है और यह पाया गया कि प्राप्त दर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त दर से बहुत कम थी। शासन ने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर व्यावहारिक नहीं थी और यही कारण था कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला के ठेकेदार से पाँच प्रतिशत अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी ली गई। साथ ही कण्डिका पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने शासन के उत्तर को दोहराया।

अग्रलिखित को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है:

- औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर अच्छी तरह से तुलना योग्य थी, क्योंकि दोनों परियोजनाओं (सिरगिट्टी और उरला) का कार्य का स्वरूप एवं मापदण्ड समान होने के साथ–साथ दोनों परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्ग – 200 में 100 किलोमीटर से कम की दूरी में स्थित थी। तथापि, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में प्राप्त दर की तर्कसंगतता निर्धारित करते समय कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त न्यूनतम दर की अनदेखी की और सिरगिट्टी के लिए प्राप्त न्यूनतम दर को कम करने का प्रयास किये बिना ही इसे स्वीकार कर लिया।
- चंदखुरी–मारो–संबलपुर–उमरिया सड़क (एडीबी परियोजना) के मापदण्ड औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी के कार्य से बिल्कुल भिन्न है और एडीबी की निविदा प्रक्रिया भी जटिल है, इसलिए दोनों कार्य तुलना योग्य नहीं है।
- औद्योगिक क्षेत्र, उरला के कार्य को व्यावहारिक नहीं बताने से शासन कम्पनी की निविदा प्रक्रिया एवं लिये गए निर्णय पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है, क्योंकि उरला के कार्य का अनुमोदन कम्पनी के संचालक मण्डल ने दर की व्यवहार्यता निर्धारित करने के बाद किया। यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला का कार्य अच्छी

---

13 चंद्रखुरी–मारो–संबलपुर–नवागढ़–छिड़ा–उमरिया रोड़

14 ₹ 44.40 करोड़ सिरगिट्टी के कार्य का मूल्य x (उरला के लिए दर अनुसूचि से 24.03 प्रतिशत कम – सिरगिट्टी के लिए दर अनुसूचि से 12.36 प्रतिशत कम)

तरह से चल रहा है और 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में ठेकेदार ने ₹ 11.80 करोड़ का कार्य पूर्ण कर लिया है।

3.5 भू–प्रीमियम का कम निर्धारण

कम्पनी ने भू–प्रीमियम कम दर से वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 75.46 लाख की हानि हुई एवं निजी पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भी भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक क्षेत्र से बाहर की भूमि आबंटन हेतु उद्यमियों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, कम्पनी स्थानांतरण के माध्यम से शासकीय भूमि का अर्जन छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग से तथा निजी भूमि का अर्जन भू–अर्जन अधिकारी यथा जिला कलेक्टर के माध्यम से करती है। निजी भूमि के आबंटन के लिए कम्पनी भू–अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित भू–क्षतिपूर्ति राशि (केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश[15] के अनुसार भूमि का मूल्य + 100 प्रतिशत की दर से सोलेशियम + भूमि के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज) के बराबर राशि और प्रचलित दर से सेवा शुल्क लेती है।

इसी प्रकार, अप्रैल 1982 के शासकीय अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से बाहर उद्यमियों को शासकीय भूमि आबंटन के लिए भू–प्रीमियम की गणना निजी भूमि के मूल्यांकन की तरह ही किया जाता है। कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर के सभी आबंटितियों से प्रचलित दर से भू–भाटक भी वसूल करती है।

मेसर्स सालासार पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड (सालासार) ने फ्लाई ऐश इकाई की स्थापना हेतु ग्राम कोनारी, तिल्दा में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया (25 सितंबर 2014) । कम्पनी ने अपने भू–बैंक[16] से 1.9424 हेक्टेयर भूमि आबंटन हेतु ₹ 29.14 लाख की रियायती[17] भू–प्रीमियम और ₹ 1.46 लाख के भू–भाटक का आशय पत्र जारी किया (22 जनवरी 2015), जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.3*** में वर्णित है । कम्पनी ने भू–आबंटन आदेश जारी किया (12 मई 2015) एवं 99 वर्षों के लिए पट्टाभिलेख निष्पादित किया (26 मई 2015) ।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2016) कि मेसर्स सालासार को आबंटित भूमि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है इसलिए केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल की दिशानिर्देश के प्रचलित दर के अनुसार ₹ 39.07 लाख का भू–प्रीमियम और ₹ 1.95 लाख का भू–भाटक वसूल किया जाना चाहिए था, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.4*** में वर्णित है । केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश दर से भू–प्रीमियम वसुल नहीं किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 9.93 लाख का भू–प्रीमियम और 99 वर्षों के लिए ₹ 65.53 लाख के भू–भाटक की हानि हुई एवं फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी के संचालक मण्डल ने औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा में भूमि आबंटन के लिए ₹ 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर भू–प्रीमियम निर्धारित किया

---

15 छत्तीसगढ़ शासन के केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष विविध प्रकार की भूमि के मूल्य का निर्धारण उसकी प्रकृति और स्थान के आधार पर करता है।

16 भू–बैंक से आशय औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्यमियों द्वारा विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि एवं शासकीय भूमि से है, ताकि आवश्यक भूमि के आवंटन में विलंब ना हो।

17 औद्योगिक नीति 2009–14 में फ्लाई ऐश उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र में आता है और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के प्रकरण में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता है।

(26 जून 2009) है और इसी के अनुसार भू–प्रीमियम वसूल किया गया है। शासन ने यह भी कहा कि आबंटित भूमि असिंचित शासकीय भूमि है, जिसके लिए ₹ 17.25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर, जो कि मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि के लिए लागू है तथा जिस आधार पर लेखा परीक्षा ने गणना की है, के स्थान पर ₹ 8.20 लाख प्रति हेक्टेयर की दर लागू होगी। कण्डिका पर चर्चा के समय (जनवरी 2017) संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने शासन के उत्तर को दोहराया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचालक मण्डल ने प्रस्तावित वृहत् औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा जो कि अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, के लिए ₹ 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर भू–प्रीमियम निर्धारित किया है। वृहत् औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बिना, कम्पनी ने वृहत् औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गए भू–बैंक से भूमि आबंटन प्रारंभ किया। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कम्पनी ने इसी क्षेत्र में आर. के. वेयरहाऊसिंग (फरवरी 2015) एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (अगस्त 2015) को केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल दिशानिर्देश दर से भूमि आवंटित की। असिंचित क्षेत्र के लिए लागू दर संबंधी शासन का उत्तर भी मान्य नहीं है क्योंकि आबंटित भूमि भी मुख्य मार्ग में स्थित है, जो कि दो गॉवों नकटी और कोनारी को जोड़ती है। इसलिए केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश के अनुसार मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि के लिए भूमि की दर ₹ 17.25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.6 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी अग्रिम भुगतान से संबंधित एमओयू के प्रावधानों को लागू करने तथा दाण्डिक ब्याज के सम्बन्ध में एमओयू में उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी को केएफसीएससीएल से ₹ 6.18 करोड़ के ब्याज की वसूली न कर पाने के कारण हानि हुई।

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) के माध्यम से कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (केएफसीएससीएल) को चावल विक्रय करने का निर्णय लिया (जून 2013)। तदानुसार, कम्पनी ने केएफसीएससीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये (जुलाई 2013)। समझौता ज्ञापन के उपवाक्य 10 के अनुसार, केएफसीएससीएल को चावल लदान के पूर्व ही प्रत्येक रैक के चावल की लागत तथा गाड़ी भाड़ा प्रभार की राशि कम्पनी को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता थी। कम्पनी को अगस्त 2013 से दिसम्बर 2014 के मध्य केसफसीएससीएल द्वारा मांगपत्र दिये जाने पर ₹ 2290 प्रति क्विंटल[18] की प्रभावी दर से 2.25 लाख मिट्रीक टन चावल की आपूर्ति करना था, जिसमें गाड़ी भाड़ा सम्मिलित नहीं था, जो कि वास्तविक आधार पर वसूल किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (सितम्बर 2014) कि केएफसीएससीएल ने जुलाई 2013 में एक बार ₹ 45 करोड़ अग्रिम भुगतान किया था तथा उसके अनुसार ही कम्पनी ने चावल की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी। बाद में केएफसीएससीएल ने अग्रिम भुगतान नहीं किया यद्यपि कम्पनी द्वारा निरंतर आपूर्ति जारी रखी गई। कम्पनी ने जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य ₹ 377.75 करोड़ मूल्य का 155715.66 मिट्रीक टन चावल का विक्रय किया, जिसके विरुद्ध केएफसीएससीएल ने जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य ₹ 332 करोड़ तथा अक्टूबर 2014 में ₹ 45.68 करोड़ का

[18] हेण्डलिंग तथा परिवहन व्यय के ₹ 30 प्रति क्विंटल की दर से सम्मिलित करते हुये

भुगतान किया। 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में, ₹ 6.23 लाख अभी भी अप्राप्त था ***(अनुलग्नक – 3.5)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता ज्ञापन में अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी, कम्पनी द्वारा केएफसीएससीएल से बिना अग्रिम भुगतान प्राप्त किये चावल की निरंतर आपूर्ति जारी रखी गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी चावल क्रय के भुगतान करने के लिये प्रत्येक वर्ष विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण/नकद साख लेती है। तदानुसार, कम्पनी को केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान करने की स्थिति में दाण्डिक ब्याज के बारे में समझौता ज्ञापन में उचित उपवाक्य सम्मिलित किया जाना चाहिये था। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही तथा इसके परिणामस्वरुप वह केएफसीएससीएल से विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकी और उसे हानि हुई। सितम्बर 2014 में लेखापरीक्षा द्वारा इसके सम्बन्ध में आपत्ति लेने पर, कम्पनी ने केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान करने के कारण 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से ₹ 6.17 करोड़ ब्याज की मांग की (फरवरी 2015)। यद्यपि, केएफसीएससीएल ने अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया है (दिसम्बर 2016)।

इस प्रकार, कम्पनी के वित्त विभाग के प्रभारी द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चावल की आपूर्ति के पूर्व अग्रिम भुगतान की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान की स्थिति में ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रहने के परिणामस्वरुप कम्पनी, ₹ 6.18 करोड़ **(अनुलग्नक – 3.5)** के ब्याज की वसूली नहीं कर पाई और कम्पनी को हानि हुई।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि ₹ 6.23 लाख की अप्राप्त राशि के भुगतान के साथ में ₹ 6.17 करोड़ की ब्याज की राशि को प्राप्त करने हेतु भी पत्राचार किया जा रहा है। शासन ने यह भी कहा कि यदि केएफसीएससीएल ने अदत्त राशि का भुगतान नहीं किया तो समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा (नवम्बर 2016) के दौरान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आश्वस्त किया कि भविष्य में समझौता ज्ञापन/अनुबंधो में दाण्डिक ब्याज से सम्बन्धित उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित किया जायेगा। सचिव ने यह भी सूचित किया कि समझौता ज्ञापन के अंतिमीकरण तथा केएफसीएससीएल को चावल की आपूर्ति के समय, वहाँ पर राज्य वित्त सेवा से कोई महाप्रबंधक (वित्त) नियुक्त नहीं था।

तथ्य यह रहा कि समझौता ज्ञापन में उपयुक्त उपवाक्य नहीं होने के कारण, कम्पनी केएफसीएसीएल से ₹ 6.18 करोड़ ब्याज की वसूली हेतु प्रभावी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकती।

3.7 ब्याज का अधिक भुगतान

उचित आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण कम्पनी मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को किये गये ₹ 2.09 करोड़ के अधिक ब्याज के भुगतान की पहचान तथा मांग करने में असफल रही।

छत्तीसगढ़ राज्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले गेहूँ को भारत सरकार द्वारा प्राप्त आबंटन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त करता है। चूँकि 2014–15 के लिये भारत सरकार से गेहूँ के लिये आबंटन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एमपीसीएससीएल) से गेहूँ खरीदने का निर्णय लिया (मार्च 2014)। तदानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) तथा मध्यप्रदेश नागरिक

आपूर्ति निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये (जून 2014)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमपीसीएससीएल को भारत सरकार तथा एफसीआई द्वारा निर्धारित दर पर कम्पनी को 2 लाख मिट्रीक टन गेहूँ की आपूर्ति करनी थी। यद्यपि रेलभाड़े का भुगतान कम्पनी द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाना था। कम्पनी द्वारा एमपीसीएससीएल को राशि का भुगतान अग्रिम में किया जाना था। चूँकि एमपीसीएससीएल अप्रैल/मई 2014 तक गेहूँ की खरीदी पूर्ण कर चुकी थी । समझौता ज्ञापन (उपवाक्य 5) में यह प्रावधान था कि कम्पनी 31 मई 2014 तक 2 लाख मिट्रीक टन गेहूँ की लागत पर एक माह के ब्याज का भुगतान उस औसत दर पर एसपीसीएससीएल को करेगी जिस पर एमपीसीएससीएल विभिन्न बैंको से वित्त प्राप्त करता है। 1 जून 2014 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक कम्पनी द्वारा ब्याज देय था।

कम्पनी ने जून 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान एमपीसीएससीएल को ₹ 19.17 करोड़ के रेलभाड़े सहित ₹ 405 करोड़ का भुगतान किस्तों में किया जिसके विरुद्ध एमपीसीएससीएल ने जुलाई 2014 से मार्च 2015 के दौरान 199734.575 मिट्रीक टन गेहूँ की आपूर्ति की। गेहूँ की आपूर्ति पूर्ण होने के बाद, एमपीसीएससीएल ने कम्पनी को गेहूँ की आपूर्ति का वास्तविक लागत पत्रक प्रस्तुत किया (19 मई 2015)।

एमपीसीएससीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये लागत पत्रक की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि एमपीसीएससीएल ने समझौता ज्ञापन के उपवाक्य 5 के अनुसार एक माह के ब्याज के स्थान पर त्रुटिवश दो माह (अप्रैल तथा मई 2014) का ब्याज भारित किया था। बाद में, एमपीसीएससीएल द्वारा बाद के महीनों के ब्याज की गणना करते समय भुगतान की तिथि गलत ली गई थी। कम्पनी ने एमपीसीएससीएल को 13 जून 2014 को ₹ 150 करोड़, 24 जुलाई 2014 को ₹ 30 करोड़ तथा 8 अक्टूबर 2014 को ₹ 40 करोड़ का भुगतान किया, किन्तु ब्याज की गणना के लिये 16 जून 2014, 25 जुलाई 2014 तथा 14 अक्टूबर 2014 को भुगतान की तिथि माना। एक माह का अतिरिक्त ब्याज भारित करने तथा ब्याज की गणना हेतु भुगतान प्राप्ति की गलत तिथि लेने के कारण, एमपीसीएससीएल ने ₹ 3.97 करोड़ के अधिक ब्याज की गणना की जिसे कम्पनी ने बिना सत्यापन किये ही स्वीकार कर लिया। परिणामतः एमपीसीएससीएल को ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लेने पर (फरवरी 2016) कम्पनी ने एमपीसीएससीएल से ₹ 3.97 करोड़ की मांग की (मार्च 2016)।

शासन ने कहा (सितम्बर 2016) कि एमपीसीएससीएल द्वारा खरीदे गये गेहूँ के लागत पत्रक में एमपीसीएससीएल ने समझौता ज्ञापन के अनुसार एक माह के ब्याज के विरुद्ध दो माह के ब्याज और उसके साथ–साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 दिन के अतिरिक्त ब्याज की वसूली की थी। तदानुसार, एमपीसीएससीएल ने 15 दिन के अधिक भारित किये ब्याज तथा गलत गणना के कारण ₹ 2.09 करोड़ के अधिक ब्याज को वापस कर दिया है (17 मई 2016)। बाद में, लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने भी सरकार के उत्तर को दोहराया।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी लागत पत्रक (मई 2015) से यह पता लगाने में असफल रही कि एमपीसीएससीएल ने अधिक ब्याज भारित किया था तथा उसने उसकी मांग लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मार्च 2016 में, वह भी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने (फरवरी 2016) के बाद की, जो कि दर्शाता है कि भुगतान के लिये देयक पास करते समय उचित आंतरिक नियंत्रण/संवीक्षा की कमी थी। कम्पनी को देयकों की संवीक्षा और भुगतान से सम्बन्धित अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिये।

3.8 निम्न ब्याज दर पर नकद साख न लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज का भार

कम्पनी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव को समय पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप नकद साख सीमा पर ₹ 98.27 लाख ब्याज का अतिरिक्त व्यय हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा गेहूँ की खरीदी करने हेतु वित्त की व्यवस्था के प्रस्ताव का अंतिमीकरण करने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) गठित की (अप्रैल 2010)। एसएलसी की अनुशंसा के अनुसार (अक्टूबर 2014) कम्पनी ने खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 के लिये कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिये विभिन्न बैंको से ₹ 2000 करोड़ की नकद साख सीमा (सी सी लिमिट) प्राप्त करने हेतु खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये (18 नवम्बर 2014)।

एसएलसी द्वारा सात बैकों के प्रस्ताव 27 नवम्बर 2014 को खोले गये तथा बाद में समझौता वार्ता (3 दिसम्बर 2014) के आधार पर एसएलसी द्वारा पाँच[19] बैंकों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया (12 दिसम्बर 2014)। बाद में, इण्डियन बैंक ने अपनी दर में और कमी की तथा इस आशय का एक प्रस्ताव कम्पनी को 16 फरवरी 2015 को दिया जो कि एसएलसी के समक्ष 4 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया। इण्डियन बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर को ध्यान में रखकर, एसएलसी ने 4 मार्च 2015 को पाँच बैकों की संशोधित नकद साख सीमा अनुमोदित की। एसएलसी द्वारा मूल अनुमोदन के साथ ही साथ संशोधित अनुमोदन का विवरण **तालिका – 3.2** में वर्णित है।

तालिका – 3.2: नकद साख सीमा तथा ब्याज दर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बैंको के नाम	एसएलसी द्वारा मूल अनुमोदन (12 दिसम्बर 2014)		एसएलसी द्वारा संशोधित अनुमोदन (4 मार्च 2015)	
		राशि	ब्याज की दर	राशि	ब्याज की दर
1	देना बैंक	500	10.49	400	10.49
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	500	10.49	500	10.49
3	केनरा बैंक	200	10.49	100	10.49
4	इण्डियन बैंक	500	10.49	500	10.29
5	इलाहाबाद बैंक	500	10.35	500	10.35
6	आईसीआईसीआई बैंक	200	10.50	अनुमोदित नहीं	
7	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200	10.75		

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने भी ₹ 200 करोड़ की नकद साख सीमा के लिये दी गई 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया तथा जिसकी सूचना 03 मार्च 2015 को कम्पनी को दी। यद्यपि, जब कम्पनी इण्डियन बैंक के दर कटौती के प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत कर रही थी (4 मार्च 2015), उस समय कम्पनी आईसीआईसीआई के दर कटौती के प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही। जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी ने ₹ 200 करोड़ की नकद साख सीमा पर अन्य बैको के द्वारा प्रस्तावित 10.49 प्रतिशत की दर के विरुद्ध आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर

[19] देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, इण्डियन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक।

प्राप्त करने के अवसर को खो दिया और कम्पनी को ₹ 98.27 लाख[20] की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (मई 2016) कि बाद में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन किया गया था (20 मार्च 2015) किंतु उक्त मुद्दे पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण, वह आईसीआईसीआई बैंक से नकद साख सीमा प्राप्त नहीं कर सकी। शासन ने बताया (जुलाई 2016) कि आईसीआईसीआई बैंक से प्रस्ताव 7 मार्च 2015 को प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भी की गई तथा इसी कारण उसे 4 मार्च 2015 को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने कम्पनी को चावल खरीदने की आवश्यकता के स्थान पर अलग उद्धेश्य (गोंदामों की मरम्मत, कर्मचारियों को भुगतान इत्यादि) के लिये नकद साख सीमा का प्रस्ताव दिया था।

लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016) सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने कहा (नवम्बर 2016) कि 12 दिसम्बर 2014 को आयोजित बैठक में एसएलसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को चयनित नहीं किया गया था, इसी कारण, आईसीआईसीआई बैंक के दर में कमी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

शासन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि कम्पनी को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एसएलसी की बैठक के पहले ही 03 मार्च 2015 को प्राप्त हो चुका था जैसा कि उपलेखाधिकारी तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा कम्पनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत 3 नवम्बर 2015 के नोट से स्पष्ट होता है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पत्र की सुपुर्दगी 7 मार्च 2015 को दिए जाने की पुष्टि के सम्बन्ध में यह आश्चर्यजनक है कि प्राप्तकर्ता (इस प्रकरण में कम्पनी) द्वारा पत्र की प्राप्ति की पावती देने की मानक प्रक्रिया का पालन न करने के साथ ही कम्पनी ने पत्र को पंजीबद्ध नही किया, आईसीआईसीआई ने स्वयं (इस प्रकरण में पत्र भेजने वाला) पुष्टि की कि नागरिक आपूर्ति निगम को 7 मार्च 2015 को पत्र भेजा गया जो सही नहीं है।

शासन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अलग उद्धेश्य के लिये नकद साख सीमा का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि एसएलसी ने आईसीआईसीआई बैंक के अलग उद्धेश्य की नकद साख सीमा के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया था। एसएलसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के चयन न होने के सम्बन्ध में (12 दिसम्बर 2014) शासन का उत्तर पश्चविचारित प्रतीत होता है, क्योंकि एसएलसी ने निविदा में भाग लेने वाले बैंको द्वारा ब्याज दर में और कमी किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये प्रबन्ध संचालक को अधिकृत किया था।

इस प्रकार, आईसीआईसीआई बैंक के पुनरीक्षित प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा बाद में मामले की छत्तीसगढ़ शासन से अनुसरण करने में प्रबन्ध संचालक की विफलता के परिणामस्वरुप कम्पनी को ₹ 98.27 लाख की हानि हुई। इस मामले में संचालक मण्डल में सरकार के नामांकित सदस्य (सचिव, वित्त तथा सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण) भी छत्तीसगढ़ सरकार तथा कम्पनी के मध्य समन्वय स्थापित करने में निष्प्रभावी रहे।

---

[20] ₹ 200 करोड़ × 0.49 प्रतिशत (अन्य बैंको द्वारा 10.49 प्रस्तावित दर की दर तथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 10 प्रतिशत की प्रस्तावित दर का अंतर) × 366 दिन (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई सीसी लिमिट

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

3.9 जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न करने से हानि

कम्पनी ने ठेकेदार से ₹ 97.17 लाख की जोखिम एवं लागत राशि की वसूली नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई साथ ही ठेकेदार को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने श्रमिक ठेके के आधार पर 132 के व्ही बिलासपुर–भिलाई लाईन से 132 के व्ही उपकेन्द्र पथरिया (प्रथम कार्य) तक 10 किमी लीलो[21] के निर्माण हेतु मेसर्स निर्मला कन्सट्रॅक्शन, रायगढ़ (ठेकेदार) को ₹ 57.46 लाख के मूल्य का कार्यादेश (अक्टूबर 2011) जारी जारी किया। बाद में, पीजीसीआईएल उपकेन्द्र रायगढ़ में 220 के व्ही कोरबा–बूढ़ीपदर 10 किमी लीलो लाइन के निर्माण कार्य (द्वितीय कार्य) भी उसी ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ की लागत का ठेका श्रमिक ठेके के आधार पर सौंपा गया (अप्रैल 2012)। प्रथम कार्य अप्रैल 2012 तथा द्वितीय कार्य जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था। दोनो कार्यो की निविदा शर्तों के उपवाक्य 28 में यह प्रावधान है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है तो कम्पनी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह ऐसे तरीकों एवं ऐसी शर्तों के साथ जो वह उचित समझें, दूसरे ठेकेदार को कार्य सौंप सकता है तथा कार्य पूर्ण करने हेतु वहन की गई अतिरिक्त लागत के लिये ठेकेदार कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह खुलासा हुआ (जनवरी 2016) कि ठेकेदार ने अधिसूचित कार्यपूर्णता अवधि के पूर्ण होने के बाद भी प्रथम कार्य निष्पादित नहीं किया। फलस्वरुप, कम्पनी ने प्रथम कार्य को ₹ 2.87 लाख की सुरक्षा निधि राजसात करते हुये जनवरी 2013 में निरस्त कर दिया। बाद में, द्वितीय कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार ने सुरक्षा निधि प्रस्तुत न करने के साथ ही ठेके निष्पादित करने की औपचारिकतायें पूरी नहीं की तथा ₹ 0.70 लाख की अमानत राशि राजसात करने के बाद दिसम्बर 2012 में कार्य निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् कम्पनी ने इन निरस्त किये गये कार्यों को श्रमिक ठेके के आधार पर नई फर्मों को लगाकर निष्पादित कराया। प्रथम कार्य ₹ 85.79 लाख की कुल लागत के साथ जुलाई 2014 में तथा द्वितीय कार्य ₹ 1.74 करोड़ की कुल लागत के साथ अगस्त 2015 में पूर्ण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों कार्यों को निरस्त करते समय कम्पनी के मुख्य अभियंता (अति उच्च दाब : निर्माण एवं संधारण) ने ठेकेदार को जोखिम एवं लागत राशि के भुगतान के दायित्व को सूचित कर दिया था तथा इस राशि को पृथक रूप से सूचित किया जाना था। यद्यपि, कम्पनी ने ठेकेदार को जोखिम एवं लागत राशि के सम्बन्ध में न तो सूचित किया और न ही उसे वसूला। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 97.17 लाख (प्रथम कार्य 25.46 लाख[22] तथा द्वितीय कार्य ₹ 71.71 लाख[23]) जोखिम एवं लागत की राशि वसूले करने में असफल रहने के कारण कम्पनी को हानि होने के साथ ही ठेकेदार को ₹ 97.17 लाख का अनुचित लाभ पहुँचा।

---

21 जब दो विद्यमान उपकेन्द्रों के मध्य एक नया ईएचव्ही उपकेन्द्र स्थापित किया जाता है; नये स्थापित ईएचव्ही उपकेन्द्र के लिये बिछाई गई पारेषण लाईन को लीलो कहा जाता है अर्थात् –लाईन इन लाईन आऊट।

22 प्रथम कार्य पूर्ण होने की लागत ₹ 58.79 लाख–मुख्य आदेश की लागत ₹ 57.46 लाख–जब्त की गई सुरक्षा निधि की राशि ₹ 2.87 लाख

23 द्वितीय कार्य पूर्ण होने की लागत ₹ 174.19 लाख–मुख्य आदेश की लागत ₹ 101.78 लाख–जब्त की गई सुरक्षा निधि की राशि ₹ 0.70 लाख

शासन ने कहा (अक्टूबर 2016) कि कम्पनी ने अमानत राशि तथा प्रारंभिक सुरक्षा निधि राजसात कर ली थी तथा ठेकेदार को भविष्य में 2 वर्षो की अवधि के लिये व्यवसाय से वंचित कर दिया था। शासन ने यह भी कहा कि ठेकेदार को निविदा की शर्तों एवं दशाओं के अंतर्गत जोखिम एवं लागत राशि के भुगतान के लिये दो पृथक विधिक नोटिस जारी किये गये थे (अगस्त 2016), यद्यपि, नोटिसों पर ठेकेदार द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (जनवरी 2017), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने सरकार के उत्तर को दोहराया।

उत्तर से यह सुनिश्चित होता है कि प्रबन्धन, कम्पनी के वित्तीय हितों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लेने के बाद ही कम्पनी ने जोखिम एवं लागत की राशि की वसूली के लिये ठेकेदार को विधिक नोटिस भेजा।

रायपुर **(बिजय कुमार मोहंती)**
दिनांक 26 फरवरी 2017 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक 1 मार्च 2017 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1.1

अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरण/लेखों के आधार पर सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति/कार्यकारी परिणाम

(संदर्भित कंडिका–1.1,1.14)

(स्तंभ 5 से 12 के आंकड़े करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क.कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं उससे संबंधित													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल)	2012-13	2016-17	0.50	-	86.82	477.15	25.99	(-) 0.68	87.70	26.89	30.66	170
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीव्हीएनएल)	2015-16	2016-17	26.65	-	195.11	61.51	37.52	अंतिमीकरण के अधीन	229.79	16.84	7.33	556
क्षेत्रवार योग				**27.15**	**-**	**281.93**	**538.66**	**63.51**	**(-) 0.68**	**317.49**	**43.73**	**13.77**	**726**
वित्त													
3.	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन)	2011-12	2015-16	5.00	-	7.16	2.01	1.27	0.04	22.46	1.77	7.88	7
क्षेत्रवार योग				**5.00**	**-**	**7.16**	**2.01**	**1.27**	**0.04**	**22.46**	**1.77**	**7.88**	**7**
अधोसंरचना													
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)	2010-11	2016-17	4.20	-	(-) 0.04	0.46	0.11	अंतिमीकरण के अधीन	4.20	0.11	2.61	5
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	2010-11	2015-16	1.60	-	(-) 33.72	92.33	(-)0.67	(-) 6.86	47.68	0.67	1.41	241

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल)	2015-16	2016-17	4.90	-	(-) 0.33	0.50	(-) 0.08	अंतिमीकरण के अधीन	4.74	(-) 0.08	-	12
क्षेत्रवार योग				**10.70**	**-**	**(-) 34.09**	**93.29**	**(-) 0.64**	**(-) 6.86**	**56.62**	**0.70**	**1.24**	**258**
खनन													
7.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी)	2014-15	2015-16	1.00	-	13.97	16.58	2.26	0.11	382.67	2.26	0.59	185
8.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	2015-16	2015-16	82.60	-	(-) 1.32	-	-	निरंक टिप्पणी	141.16	-	-	-
9.	छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	2015-16	2016-17	21.94	-	(-) 0.39	-	(-)0.00*	गैर–समीक्षित	21.55	0.00	-	-
10.	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड (सीएपीसीएल)	2015-16	2016-17	0.16	1.38	(-) 0.03	-	(-)0.00*	अंतिमीकरण के अधीन	1.51	-	-	1
11.	केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल)**	2015-16	2016-17	1.00	-	(-)0.00*	0.01	(-)0.00*	(-) 0.11	1.00	0.00	-	-
क्षेत्रवार योग				**106.70**	**1.38**	**12.23**	**16.59**	**2.26**	**0.00**	**547.89**	**2.26**	**0.41**	**186**
ऊर्जा													
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)	2014-15	2016-17	2326.37	1208.21	(-) 5571.42	8411.14	(-) 1554.17	(-) 26.34	2353.26	(-) 1324.73	-	10370
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल)	2014-15	2016-17	2287.74	10376.75	(-) 675.40	3577.79	354.15	(-) 9.57	11728.70	889.81	7.59	5312

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल)	2014-15	2016-17	6757.81	-	40.50	1.59	1.08	(-) 0.11	6798.31	1.08	0.02	186
15.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल)	2014-15	2015-16	0.05	-	(-) 2.92	0.30	(-)1.74	निरंक टिप्पणी	(-) 2.87	1.74	-	17
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल)	2014-15	2015-16	810.76	1389.67	11.51	785.90	(-) 40.32	7.93	3343.09	100.75	3.01	1805
क्षेत्रवार योग				**12182.73**	**12974.63**	**(-) 6197.73**	**12776.72**	**(-) 1241.00**	**(-) 28.09**	**24220.49**	**(-) 331.35**	**-**	**17690**
सेवाएँ													
17.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल)	2014-15	2016-17	0.15	-	56.25	836.55	10.73	(-) 0.84	56.40	10.73	19.02	108
18.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)	2013-14	2016-17	4.43	2450.00	(-) 215.43	7109.67	0.67	176.27	1493.15	99.07	6.63	569
19.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल)	2014-15	2016-17	3.45	-	5.20	95.22	4.52	0.08	201.31	4.52	2.25	185
20.	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)	2015-16	2015-16	2.00	-	28.36	9.75	6.30	अंतिमीकरण के अधीन	53.59	6.30	11.76	86
21.	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनएनटीएल)	$$	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1
क्षेत्रवार योग				**10.08**	**2450.00**	**(-) 125.62**	**8051.19**	**22.22**	**175.51**	**1804.45**	**120.62**	**6.68**	**949**
योग (क) सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियाँ				**12342.36**	**15426.01**	**(-) 6056.12**	**21478.46**	**(-) 1152.38**	**139.92**	**26969.40**	**(-) 162.27**	**-**	**19816**

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ख. सांविधिक निगम													
सेवाऐं													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्लूसी)	2014-15	2016-17	4.04	109.30	176.14	101.29	44.33	अंतिमीकरण के अधीन	334.35	48.37	14.47	501
योग(ख) (सांविधिक निगम)				**4.04**	**-**	**176.14**	**101.29**	**44.33**	**-**	**334.35**	**48.37**	**14.47**	**501**
महायोग (क+ख)				**12346.40**	**15535.31**	**(-) 5879.98**	**21579.75**	**(-) 1108.05**	**139.92**	**27303.75**	**(-) 113.90**	**-**	**20317**

(स्त्रोतः आंकड़ों का संकलन पीएसयूज लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों से किया गया है)

टिप्पणी :

^ प्रदत्त अंश पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है जिसका आबंटन होना शेष है।

लेखाओं पर टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और लाभ में वृद्धि या हानि में कमी को धनात्मक (+) तथा लाभ में कमी या हानि में वृद्धि को ऋणात्मक(–) में दर्शाया गया है।

@विनियोजित पूँजी अंशधारियों की निधि के साथ दीर्घकालीन उधारियों को प्रस्तुत करती है।

$विनियोजित पूँजी पर वापसी की गणना लाभ–हानि खाते पर प्रभारित लाभ और ब्याज को जोड़कर की गयी है।

*राशि अत्याधिक कम होने की वजह से शून्य के सन्निकट की गई है।

**कम्पनी 28 जनवरी 2015 को निर्गमित हुई तथा अपना पहला लेखा अवधि 28.01.2015 से 31.03.2016 तक का प्रस्तुत किया है।

$$ कम्पनी 01 अक्टूबर 2011 को निर्गमित हुई तथा उसने अब तक अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया है।

अनुलग्नक–1.2

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज में किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनके लेखे बकाया है

(संदर्भित कंडिका 1.11)

(स्तंभ 4 एवं 6 से 8 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जबतक के लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	प्रदत्त पूँजी	लेखों की अवधि जो अंतिमीकरण के लिए लंबित है	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है		
					समता	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. सरकारी कम्पनियाँ							
1	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	2011-12	5.00	2012-13	-	-	0.40
				2013-14	-	-	0.35
				2014-15	-	-	0.40
				2015-16			0.40
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	4.20	2011-12	-	-	0.30
				2012-13	-	-	0.30
				2013-14	-	-	0.30
				2014-15	-	-	0.30
				2015-16	-	-	2.30
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2326.37	2015-16	-	-	1356.48
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	4.43	2014-15	-	-	-
				2015-16	-	500	-
	योग अ (सरकारी कम्पनियाँ)				-	500.00	1361.53
ब. सांविधिक निगम							
1	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	2014-15	4.04	2015-16	-	30.92	-
	योग ब (सांविधिक निगम)				-	30.92	-
	महायोग (अ+ब)				-	**530.92**	**1361.53**

(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

अनुलग्नक – 2.1.1

योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये परियोजना शहरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.1.6)

भाग–अ						
सं.क्र.	परियोजनाओं के नाम	डीपीआर बनाने की तिथि	क्या आईटी सलाहकार पीएफसी द्वारा नामांकित सूची में से लिया गया या डीपीआर का निर्माण स्वयं की कुशलता से किया गया	पीएफसी को डीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि	क्या परियोजनाऐं पीएफसी को प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते हुए भेजा गया	निगरानी समिती द्वारा डीपीआर के स्वीकृती की तिथि
1	भाटापारा	28-08-2009	आईटी सलाहकार की नियुक्ति पीएफसी द्वारा नामांकित सूची से की गई	02-09-2009	नहीं	04-09-2009
2	डोंगरगढ़	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
3	कवर्धा	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
4	राजनांदगांव	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
5	महासमुंद	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
6	चाम्पा	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
7	धमतरी	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
8	कांकेर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
9	दल्ली राजहरा	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
10	मनेंद्रगढ़	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
11	चिरमीरी	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
12	मुंगेली	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
13	अम्बिकापुर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
14	जगदलपुर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
15	कोरबा	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
16	नैला–जाँजगीर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
17	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
18	बिलासपुर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
19	रायगढ़	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
20	रायपुर	28-08-2009		02-09-2009	नहीं	04-09-2009
स्काडा						
सं.क्र.	परियोजनाओं के नाम	डीपीआर बनाने की तिथि	क्या आईटी सलाहकार पीएफसी द्वारा नामांकित सूची में से लिया गया या डीपीआर का निर्माण स्वयं की कुशलता से किया गया	पीएफसी को डीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि	क्या परियोजनाऐं पीएफसी को प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते हुए भेजा गया	निगरानी समिती द्वारा डीपीआर के स्वीकृती की तिथि
1	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	04-11-2011	आईटी सलाहकार की नियुक्ति पीएफसी द्वारा नामांकित सूची से की गई	04-01-2012	नहीं	20-01-2012
2	रायपुर	04-11-2011		07-01-2012	नहीं	20-01-2012
भाग–ब						
1	अम्बिकापुर	14-10-2010		25-11-2010	नहीं	15-06-2011
2	कांकेर	14-10-2010		25-11-2010	नहीं	15-06-2011
3	दल्ली–राजहारा	14-10-2010		25-11-2010	नहीं	15-06-2011

सं.क्र.	परियोजनाओं के नाम	डीपीआर बनाने की तिथि	क्या आईटी सलाहकार पीएफसी द्वारा नामांकित सूची में से लिया गया या डीपीआर का निर्माण स्वयं की कुशलता से किया गया	पीएफसी को डीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि	क्या परियोजनाऐं पीएफसी को प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते हुए भेजा गया	निगरानी समिती द्वारा डीपीआर के स्वीकृती की तिथि
4	मुंगेली	18-11-2010	आईटी सलाहकार की नियुक्ति पीएफसी द्वारा नामांकित सूची से की गई	25-11-2010	नहीं	15-06-2011
5	भाटापारा	22-10-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
6	धमतरी	14-10-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
7	मनेंद्रगढ़	14-10-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
8	नैला–जॉजगीर	29-11-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
9	चाम्पा	18-11-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
10	महासमुंद	22-10-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
11	राजनांदगांव	27-12-2010		23-02-2011	नहीं	15-06-2011
12	कर्वधा	18-11-2010		18-04-2011	नहीं	15-06-2011
13	डोंगरगढ़	23-12-2010		18-04-2011	नहीं	15-06-2011
14	जगदलपुर	27-12-2010		18-04-2011	नहीं	15-06-2011
15	रायगढ़	27-12-2010		18-04-2011	नहीं	15-06-2011
16	कोरबा	27-12-2010		18-04-2011	नहीं	15-06-2011
17	बिलासपुर	25-05-2011		18-11-2011	नहीं	20-01-2012
18	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	25-05-2011		04-01-2012	नहीं	20-01-2012
19	रायपुर	25-05-2011		04-01-2012	नहीं	20-01-2012

(स्त्रोत– कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आँकड़े)

अनुलग्नक– 2.1.2

योजना की स्वीकृत लागत, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11 एवं 2.1.12)

(₹ करोड़ में)

भाग– अ					
सं.क्र.	**शहर का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**कुल निधि प्राप्त**	**कुल उपयोगित निधि**	**भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)**
1	अम्बिकापुर	2.06	0.75	कम्पनी द्वारा परियोजना वार व्यय नहीं रखा गया है।	100
2	चिरमिरी	0.50	0.20		100
3	मनेंद्रगढ़	0.76	0.29		100
4	नैला–जाँजगीर	0.91	0.34		100
5	चाम्पा	0.81	0.35		100
6	दल्ली–राजहरा	0.77	0.28		100
7	डोंगरगढ़	0.65	0.27		100
8	राजनांदगांव	2.38	0.99		100
9	मुंगेली	0.65	0.25		100
10	कवर्धा	0.67	0.30		100
11	महासमुंद	0.97	0.42		100
12	धमतरी	1.76	0.82		100
13	कांकेर	0.61	0.24		100
14	जगदलपुर	2.09	0.80		100
15	भाटापारा	0.99	0.46		100
16	रायगढ़	2.49	1.15		100
17	कोरबा	3.94	1.81		100
18	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	12.78	5.86		100
19	रायपुर	55.64	42.54		100
20	बिलासपुर	31.02	13.16		100
कुल		**122.45**	**71.28**	**84.02**	**100**
स्काडा					
सं.क्र.	**शहर का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**कुल निधि प्राप्त**	**कुल उपयोगित निधि**	**भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)**
1	रायपुर	25.10	7.53	कम्पनी द्वारा परियोजना वार व्यय नहीं रखा गया है।	0
2	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	15.96	4.79		0
कुल		**41.06**	**12.32**	**2.59**	**0**
भाग–ब					
सं.क्र.	**शहर का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**कुल निधि प्राप्त**	**कुल उपयोगित निधि**	**भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)**
1	अम्बिकापुर	31.50	28.35	30.51	100
2	भाटापारा	9.94	8.95	10.05	100
3	चाम्पा	7.26	6.53	6.38	100

सं.क्र.	शहर का नाम	स्वीकृत लागत	कुल निधि प्राप्त	कुल उपयोगित निधि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
4	दल्ली–राजहरा	4.80	4.32	5.05	100
5	धमतरी	10.70	9.34	9.34	100
6	जगदलपुर	21.19	19.07	21.04	100
7	कांकेर	6.44	5.52	5.52	100
8	कोरबा	40.46	36.41	43.15	100
9	महासमुंद	6.34	5.34	6.30	100
10	मनेंद्रगढ़	4.71	4.24	5.75	100
11	मुंगेली	5.01	4.51	5.90	100
12	नैला–जाँजगीर	6.99	5.85	5.85	100
13	राजनांदगांव	16.18	14.56	16.11	100
14	रायपुर	251.19	185.74	153.97	प्रकियाधीन
15	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	155.13	116.90	115.28	प्रकियाधीन
16	बिलासपुर	87.36	66.10	56.78	प्रकियाधीन
17	डोंगरगढ़	5.94	3.27	5.26	100
18	कर्वधा	7.13	4.23	6.12	100
19	रायगढ़	31.97	22.74	32.10	प्रकियाधीन
कुल		**710.24**	**551.97**	**540.46**	**83.97**

(स्त्रोत – कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आँकड़े)

अनुलग्नक– 2.1.3

उपभोक्ता सर्वेक्षण का परिणाम दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.4, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8)

सं.क्र.	शहर का नाम	रायगढ़	चाम्पा	नैला–जाँजगीर	अम्बिकापुर	भाटापारा	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	राजनांदगांव	दल्ली–राजहरा	कांकेर	जगदलपुर	कुल
	उपभोक्ताओं की संख्या	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
1	नया विद्युत कनेक्शन के लिए आप कैसे आवेदन किये थे (नये उपभोक्ता की दशा में)											
	अ) ऑनलाइन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ब) आफिस में जाकर	27	7	4	7	3	7	4	2	7	1	**69**
2	नया विद्युत कनेक्शन पाने में कितना समय लगा											
	अ) 7 दिनों के भीतर	21	3	2	0	1	1	1	0	0	0	**29**
	ब) 8 दिनों –30 दिनों	4	2	0	5	0	4	2	2	3	2	**24**
	स) 30 दिनों – 60 दिनों	0	0	1	2	1	1	1	0	3	1	**10**
	द) 60 दिनों से अधिक	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	**6**
3	क्या आप ऑनलाइन/फोन हेल्पलाइन सुविधा का उपयोग करते है											
	अ) हाँ	21	2	4	11	15	30	28	24	33	27	**195**
	ब) नहीं	29	48	46	39	35	20	22	26	17	23	**305**
4	आप ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करते है											
	अ) मासिक बिल के भुगतान के लिए	8	1	2	3	2	0	0	0	0	0	**16**
	ब) शिकायत दर्ज करने के लिए	11	1	2	11	14	30	28	18	33	26	**174**
	स) उपर्युक्त दोनों के लिए	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**10**
	द) अ अथवा ब के लिए	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
5	ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर आपको इसके निवारण की सूचना प्राप्त होती है											
	अ) हाँ	35	0	2	2	8	15	1	4	11	1	**79**
	ब) नहीं	9	1	0	5	6	1	7	3	8	4	**44**
	स) कभी कभी	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0	**8**

संक्र.	शहर का नाम	रायगढ़	चाम्पा	नैला–जाँजगीर	अम्बिकापुर	भाटापारा	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	राजनांदगांव	दल्ली–राजहरा	कांकेर	जगदलपुर	कुल
	उपभोक्ताओं की संख्या	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
6	मीटर रीडिंग होती है											
	अ) प्रतिमाह	45	17	30	42	42	50	47	49	48	44	**414**
	ब) दो माह में एक बार	1	10	5	2	0	0	1	1	1	4	**25**
	स) कभी–कभी	2	23	15	6	6	0	2	0	1	2	**57**
7	आप कम्प्यूटरीकृत बिजली बिल प्राप्त करते है											
	अ) प्रतिमाह	47	25	48	43	44	49	48	49	49	48	**450**
	ब) दो माह में एक बार	0	7	1	2	3	1	0	1	0	1	**16**
	स) नहीं मिलता	2	18	0	5	2	0	2	0	1	1	**31**
8	आप बिजली बिल का भुगतान किस तरीके से करते है											
	अ) ऑनलाइन	9	1	2	0	0	1	1	1	0	2	**17**
	ब) एटीपी मशीन के द्वारा	36	46	49	49	48	49	46	0	50	19	**392**
	स) वसूली केन्द्र में जाकर	12	3	0	1	0	0	1	48	2	31	**98**
9	आपके निकटतम एटीपी मशीन/बिल भुगतान केन्द्र कितनी दूरी पर है											
	अ) 1 कि.मी. के भीतर	14	30	7	6	17	9	2	13	14	12	**124**
	ब) 1 कि.मी. से 2 कि.मी.	17	11	15	13	14	16	10	10	20	19	**145**
	स) 2 कि.मी. से अधिक	18	8	28	31	18	23	34	26	17	19	**222**
10	घर की बिजली गुल की शिकायत का निवारण कितने समय के भीतर हो जाता है											
	अ) 1–4 घंटे	39	47	50	49	47	48	45	49	48	46	**468**
	ब) 4–7 घंटे	9	1	0	1	1	1	2	1	0	4	**20**
	स) 7–24 घंटे	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**
	द) 24 घंटे से अधिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

संक्र.	शहर का नाम	रायगढ़	चाम्पा	नैला–जाँजगीर	अम्बिकापुर	भाटापारा	दुर्ग–भिलाई–चरोदा	राजनांदगांव	दल्ली–राजहरा	कांकेर	जगदलपुर	कुल
	उपभोक्ताओं की संख्या	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**500**
11	कितने बार विद्युत आपूर्ति बंद होती है											
	अ) हमेशा	6	9	0	11	15	12	15	18	6	17	**109**
	ब) सप्ताह में एक बार	17	16	5	37	23	32	21	1	0	4	**156**
	स) माह में एक बार	12	4	11	1	0	0	0	0	0	0	**28**
	द) कभी–कभी	15	20	33	0	11	6	14	30	44	29	**202**
12	वोल्टेज कम–अधिक होता है											
	अ) हमेशा	2	1	0	9	2	3	11	8	5	12	**53**
	ब) सप्ताह में एक बार	1	0	1	2	2	4	0	1	1	0	**12**
	स) माह में एक बार	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	**8**
	द) कभी–कभी	37	48	46	39	43	42	38	40	44	38	**415**
13	गर्मी में विद्युत आपूर्ति रहती है											
	अ) दिन में 6 घंटे	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**2**
	ब) दिन में 7–12 घंटे	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
	स) दिन में 13–18 घंटे	1	14	3	0	2	1	7	8	1	4	**41**
	द) पूरा दिन	47	35	47	49	45	48	42	39	49	46	**447**
14	पूर्व वर्षो की तुलना में गत एक साल में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है											
	अ) हाँ	48	50	49	44	35	47	40	41	48	43	**445**
	ब) नहीं	0	0	0	5	14	3	10	0	1	7	**40**

(स्त्रोतः उपभोक्ता सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक– 2.1.4

कार्य के पूर्ण होने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.1.13.5)

सं. क्र.	शहर का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं तिथि	कार्य आदेश की राशि (₹ करोड़)	पूर्णता की अवधि (माह में)	निर्धारित पूर्णता की तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	कार्य के पूर्णता में विलंब (दिनों में)
1	अम्बिकापुर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	442/23-5-2012	30.28	18	22-नवम्बर-2013	31-मार्च-2014	129
2	भाटापारा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	360/14-5-2012	9.67	18	13-नवम्बर-2013	31-अक्टूबर-2013	0
3	धमतरी	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	359/14/5/2012	11.00	18	13-नवम्बर-2013	31-दिसम्बर-2013	48
4	राजनांदगांव	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	361/14-5-2012	16.13	18	13-नवम्बर-2013	30-अप्रैल-2014	168
5	जगदलपुर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	443/23-5-2012	21.21	18	22-नवम्बर-2013	30-अप्रैल -2014	159
6	कोरबा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	362/14-5-2012	39.23	18	13-नवम्बर-2013	30-अप्रैल -2014	168
7	रायगढ़	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	श्री गोपी कृष्णा, हैदराबाद	305/7-3-2013	34.86	18	9-जून-2014	प्रकियाधीन	661
8	मुंगेली	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स माँ हरसिद्वि	242/1-5-2012	5.77	18	30-अक्टूबर–2013	25-अक्टूबर -2013	0
9	मनेंद्रगढ़	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स अशोका बिल्ड़काम	239/1-5-2012	5.38	18	30-अक्टूबर 2013	31-दिसम्बर -2013	62
10	डोंगरगढ़	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स अग्रवाल पावर	239/1-5-2012	6.27	18	22-अक्टूबर 2014	28-फरवरी-2015	129
11	कवर्धा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स अग्रवाल पावर	238/1-5-2012	7.09	18	22-अक्टूबर -2014	28-फरवरी -2015	129
12	चाम्पा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स गोदरेज ब्योसी	240/1-5-2012	7.95	18	15-नवम्बर -2013	30-अप्रैल-2014	166

सं. क्र.	शहर का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं तिथि	कार्य आदेश की राशि (₹ करोड़)	पूर्णता की अवधि (माह में)	निर्धारित पूर्णता की तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	कार्य के पूर्णता में विलंब (दिनों में)
13	नैला–जांजगीर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स गोदरेज ब्योसी	241/1-5-2012	7.66	18	15-नवम्बर -2013	30-अप्रैल -2014	166
14	महासमुंद	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स एस.वी.एसोसिएटस	237/1-5-2012	6.31	18	11- मार्च -2013	31-मार्च -2014	385
15	कान्केर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स एस.वी.एसोसिएटस	236/1-5-2012	6.26	18	11- मार्च -2013	31-मार्च -2014	385
16	दल्ली–राजहरा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स एस.वी.एसोसिएटस	235/1-5-2012	4.52	18	11- मार्च -2013	31-जनवरी -2014	326
17	बिलासपुर शहरः								
	i. बिलासपुर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण (एस/एस)	मेसर्स राजपुताना केबलस एण्ड कंस्ट्रकशन, कोरबा	2419/ 21-12-2012	15.05	18	20-जून-2014	प्रकियाधीन	650
	ii. बिलासपुर पश्चिम	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स गोदरेज ब्योसी	2417/21-12-2012	32.57	18	20- जून -2014	प्रकियाधीन	650
	iii. बिलासपुर पूर्व	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स गोदरेज ब्योसी	2416/21-12-2012	38.85	18	20- जून -2014	प्रकियाधीन	650
18	दुर्ग–भिलाई–चरोदा शहर								
	i. भिलाई	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स बजाज इलैक्ट्रिक, मुम्बई	2247/7-12-2012	65.15	18	6- जून -2014	30-जून-2015	389
	ii. दुर्ग	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स श्रीम इलैक्ट्रिकल लिमिटेड़, जयसिगपुर	2246/7-12-2012	26.63	18	6- जून -2014	प्रकियाधीन	664
	iii. चरोदा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स अशोका बिल्डकॉम	2585/5-1-2013	15.74	18	4- जुलाई-2014	प्रकियाधीन	636
	iv दुर्ग–भिलाई–चरोदा	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण (एस/एस)	मेसर्स राजपुताना केबलस एण्ड कंस्ट्रकशन, कोरबा	2420/21-12-12	23.42	12	20-दिसम्बर-2013	प्रकियाधीन	832
19	रायपुर शहर								

सं. क्र.	शहर का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं तिथि	कार्य आदेश की राशि (₹ करोड़)	पूर्णता की अवधि (माह में)	निर्धारित पूर्णता की तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	कार्य के पूर्णता में विलंब (दिनों में)
	(i) रायपुर पूर्व	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स श्रीम इलैक्ट्रिकल लिमिटेड़, जयसिगपुर	2243/ 7-12-12	62.18	18	6- जून -2014	प्रकियाधीन	664
	(ii) रायपुर पश्चिम	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स श्रीम इलैक्ट्रिकल लिमिटेड़, जयसिगपुर	2244/ 7-12-12	63.48	18	6- जून -2014	प्रकियाधीन	664
	(iii) रायपुर उत्तर–दक्षिण	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण	मेसर्स श्रीम इलैक्ट्रिकल लिमिटेड़, जयसिगपुर	2245/ 7-12-12	48.23	18	6- जून -2014	प्रकियाधीन	664
	(iv)) रायपुर शहर	आधुनिकीकरण, मजबुतीकरण व नवीनीकरण (एस/एस)	मेसर्स श्रीम इलैक्ट्रिकल लिमिटेड़, जयसिगपुर	2246/ 7-12-12	45.51	12	6-दिसम्बर -2013	प्रकियाधीन	846

(स्त्रोत– कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आँकड़े)

अनुलग्नक 2.2.1

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.2.3)

(₹ लाख में)

विवरण	2011-12 (अंकेक्षित)	2012-13 (अंकेक्षित)	2013-14 (अंकेक्षित)	2014-15 (अंकेक्षित)	2015-16 (प्राविधिक)
अ. आय					
1. संचालनों से राजस्व					
(अ) बॉक्साईट	299.15	-	-	826.20	650.24
(ब) टिन अयस्क	192.90	128.94	408.91	350.98	88.69
2. अन्य आय					
(अ) ब्याज	980.02	997.76	722.27	474.39	205.33
(ब) लाभांश	-	-	-	5.07	-
(स) अन्य आय	0.08	0.30	0.03	0.40	10.66
(द) हरण खाता	-	-	1.14	-	-
(इ) निविदा प्रपत्रों का विक्रय	6.51	0.56	0.29	0.60	1.40
(फ) बॉक्साईट के कम उठाव पर कमीशन	-	155.61	-	-	-
(ग) सम्पत्तियों के विक्रय से आय	-	0.52	-	-	-
योग अ	**1478.66**	**1283.69**	**1132.64**	**1657.64**	**956.32**
ब. व्यय					
1. टिन अयस्क का क्रय	205.05	228.12	215.58	137.16	40.89
2. निर्मित माल, चालू कार्य तथा व्यापार में स्टाक की इन्वेंट्री में परिवर्तन (टिन अयस्क)	(-)67.80	(-)150.73	91.73	141.69	29.81
3. कर्मचारी लाभगत व्यय	506.08	508.47	651.54	472.01	547.14
4. वित्त व्यय	-	-	-	-	-
5. ह्रास तथा प्रत्युत्सर्जन व्यय	12.29	12.90	9.89	20.51	12.31
6. अन्य व्यय	268.69	226.32	283.38	605.73	476.80
योग ब	**924.31**	**825.08**	**1252.12**	**1377.10**	**1106.95**
स.अंतर (अ – ब)	**554.35**	**458.61**	**(-)119.48**	**280.54**	**(-)150.63**

(स्त्रोत– कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

अनुलग्नक–2.2.2

माइनिंग प्लान में अनुमोदित पाँच वर्षों की वार्षिक मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.2.5.10)

वर्ष	विकास के लिए आवश्यक क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	बॉक्साईट का उत्पादन (टन में)
I	6000	46575
II	7855	60975
III	10000	77625
IV	10000	77625
V	10500	81505
कुल	**44355**	**344305**

(स्त्रोत– कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आँकड़े)

अनुलग्नक 2.2.3

31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए वर्षवार प्रारंभिक शेष, जमा राशि, तथा देय रॉयल्टी को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.2.5.12)

(₹ लाख)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भुगतान की गई अग्रिम रॉयल्टी	देय रॉयल्टी	अंतिम शेष
2011-12	(-) 33.37	141.50	98.48	9.65
2012-13	9.65	0.00	0.00	9.65
2013-14	9.65	0.00	0.00	9.65
2014-15	9.65	280.85	239.91	50.59
2015-16	50.59	89.68	118.11	22.16
औसत				**20.33**

(स्त्रोत– कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

अनुलग्नक – 3.1

वर्ष 2014–15 के लिए क्रय मूल्य का आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों में प्रस्तावित दर की तुलना में उच्चतम दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.1)

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
आपूर्तिकर्ता का नाम - बकार्डी इण्डिया प्रा. लिमिटेड															
1	रम	बकार्डी + कोला मिक्स्ड ड्रिकं	275 मिली.	24	1183	0	1065	0	721	0	1206	721	463	70	32376
2	रम	बकार्डी + लेमोनडे मिक्स्ड ड्रिकं	275 मिली.	24	1183	0	1065	0	721	0	1206	721	463	50	23126
3	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	750 मिली.	12	4114	10232	3989	0	2565	4668	4890	2565	1549	88	136286
4	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	375 मिली.	24	4121	10180	3989	0	2615	4668	5037	2615	1506	5	7528
5	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	180 मिली.	48	4180	10694	3989	0	3175	4734	5002	3175	1005	14	14063
6	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	750 मिली.	12	3999	11825	5200	7914	2554	4668	4784	2554	1445	125	180588
7	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	375 मिली.	24	3999	9666	5200	7914	2555	4668	4820	2555	1444	5	7222
8	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	180 मिली.	48	4000	11722	5200	7723	2709	4734	4870	2709	1290	10	12902
9	रम	बकार्डी ड्रैगन बेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	750 मिली.	12	4182	10232	3989	7914	2565	0	5046	2565	1617	0	0
10	रम	बकार्डी ड्रैगनबेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	375 मिली.	24	4189	10180	3989	7914	2615	0	5164	2615	1574	0	0
11	रम	बकार्डी ड्रैगन बेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	180 मिली.	48	4425	10282	3989	7723	3175	0	5173	3175	1250	2	2499
12	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	750 मिली.	12	3999	10796	4429	0	2751	0	5302	2751	1248	37	46183
13	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	375 मिली.	24	3999	10180	4429	0	2751	0	5337	2751	1248	7	8736
14	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	180 मिली.	48	4000	10282	4429	0	2862	0	5471	2862	1137	6	6824
15	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	750 मिली.	12	4114	10232	3989	0	2565	4668	4890	2565	1549	35	54205
16	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	375 मिली.	24	4121	10180	3989	0	2615	4668	5037	2615	1506	2	3011
17	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	180 मिली.	48	4180	10694	3989	0	3175	4734	5002	3175	1005	18	18082

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
18	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	750 मिली.	12	4114	10232	3989	0	2565	4668	4890	2565	1549	107	165711
19	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	375 मिली.	24	4121	10180	3989	0	2615	4668	5037	2615	1506	24	36135
20	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	180 मिली.	48	4180	10694	3989	0	3175	4734	5002	3175	1005	40	40181
21	रम	बकार्डी रॉज़ ओरिजनल रस्प बेरी	750 मिली.	12	4114	10232	3989	0	2565	4668	4890	2565	1549	37	57302
22	रम	बकार्डी रॉज़ ओरिजनल रस्प बेरी	375 मिली.	24	4121	10180	3989	0	2615	4668	5037	2615	1506	6	9034
23	रम	ब्कार्डी रॉज़ ओरिजनल रस्प बेरी	180 मिली.	48	4180	10694	3989	0	3175	4734	5002	3175	1005	5	5023
24	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.	750 मिली.	12	3793	9871	3875	7914	2554	4668	4784	2554	1239	1246	1543420
25	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.ए	375 मिली.	24	3875	10179	3875	7914	2555	4668	4820	2555	1320	82	108280
26	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.	180 मिली.	48	3955	10283	3875	7723	2709	4734	4870	2709	1245	274	341174
27	रम	ब्रीजर ब्लैक बेरीकश	500 मिली.	24	986	2056	971	2125	0	0	0	971	15	0	0
28	रम	ब्रीजर ब्लैक बेरीकश	275 मिली.	24	1000	2057	971	2350	539	1041	1115	539	460	1161	534548
29	रम	ब्रीजर केनबेरी	500 मिली.	24	986	2056	971	2125	0	0	0	971	15	0	0
30	रम	ब्रीजर केनबेरी	275 मिली.	24	1000	2057	971	2350	539	1041	1115	539	460	1470	676817
31	रम	ब्रीजर आइसलैण्ड पाइनेप्पल	500 मिली.	24	986	2056	971	2125	0	0	0	971	15	0	0
32	रम	ब्रीजर आइसलैण्ड पाइनेप्पल	275 मिली.	24	1000	2057	971	2350	539	1041	1115	539	460	153	70444
33	रम	ब्रीजर जॉमैकॉन पेस्सन	500 मिली.	24	986	2056	971	2125	0	0	0	971	15	0	0
34	रम	ब्रीजर जॉमैकॉन पेस्सन	275 मिली.	24	1000	2057	971	2350	539	1041	1115	539	460	1214	558950
35	रम	ब्रीजर ऑरेंज	500 मिली.	24	986	2056	971	2125	0	0	0	971	15	0	0
36	रम	ब्रीजर ऑरेंज	275 मिली.	24	1000	2057	971	2350	539	1041	1115	539	460	901	414838
37	स्कॉच	देवार्स ईयर 12 ओल्ड डबल एजड ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	24266	0	0	0	0	0	0	0	24266	1	24266
38	स्कॉच	टेक्यौला केमीनो रीयज गोल्ड	750 मिली.	12	10468	0	0	0	0	0	0	0	10468	76	795534
39	स्कॉच	टेक्यौला केमीनो रीयज गोल्ड	750 मिली.	12	11488	0	0	0	0	0	0	0	11488	11	126363
40	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी.	750 मिली.	12	3220	8740	2044	7516	2235	3141	4282	2044	1176	0	0

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
41	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी.	375 मिली.	24	3220	8740	2044	7576	0	3141	4282	2044	1176	75	88211
42	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी.	180 मिली.	48	3382	8844	2044	7503	2492	3108	4252	2044	1338	16	21401
								कुल							6171263
आपूर्तिकर्ता का नाम– यूनाईटेड स्पीरिटस् लिमीटेड															
43	रम	मेकडॉवल नं 1 कॅरीबा रेर गोल्ड रम	750 मिली.	12	1790	5311	2008	0	0	1706	3444	1706	84	176	14784
44	रम	मेकडॉवल नं 1 कॅरीबा रेर गोल्ड रम	375 मिली.	24	1800	5311	2008	0	0	1706	3457	1706	94	137	12878
45	रम	मेकडॉवल नं 1 कॅरीबा रेर गोल्ड रम	180 मिली.	48	1850	5311	2008	0	0	1686	3435	1686	164	273	44772
46	रम	मेकडॉवल नं 1 सेलीब्रेशन गगग रम	750 मिली.	12	1240	4096	1171	1224	0	1331	2746	1171	69	25937	1789653
47	रम	मेकडॉवल नं 1 सेलीब्रेशन गगग रम	375 मिली.	24	1230	4096	1171	1272	0	1331	2775	1171	59	10932	644988
48	रम	मेकडॉवल नं 1 सेलीब्रेशन गगग रम	180 मिली.	48	1275	4007	1171	1296	0	1311	2738	1171	104	26165	2721160
49	वोदका	रेड रोमनोव रसियन ट्रेडिशन वोदका	750 मिली.	12	2024	5843	0	0	1411	0	0	1411	613	0	0
50	वोदका	रेड रोमनोव रसियन ट्रेडिशन वोदका	375 मिली.	24	2024	5895	0	0	1411	0	0	1411	613	0	0
51	वोदका	रेड रोमनोव रसियन ट्रेडिशन वोदका	180 मिली.	48	2024	5812	0	0	1386	0	0	1386	638	0	0
52	वोदका	व्लाडीवर ग्रीन ऐप्पल झेस्ट वोदका	750 मिली.	12	3275	9565	2180	0	0	0	0	2180	1095	0	0
53	वोदका	व्लाडीवर ग्रीन ऐप्पल झेस्ट वोदका	180 मिली.	48	3565	9565	2180	0	0	0	0	2180	1385	2	2770
54	वोदका	व्लाडीवर लेमन झेस्ट वोदका	750 मिली.	12	3275	9565	2180	0	0	0	0	2180	1095	0	0
55	वोदका	व्लाडीवर लेमन झेस्ट वोदका	180 मिली.	48	3565	9565	2180	0	0	0	0	2180	1385	0	0
56	वोदका	व्लाडीवर ऑरेंज झेस्ट वोदका	750 मिली.	12	3275	9565	2180	0	0	0	0	2180	1095	0	0
57	वोदका	व्लाडीवर ऑरेंज झेस्ट वोदका	180 मिली.	48	3565	9565	2180	0	0	0	0	2180	1385	4	5540
58	वोदका	व्लाडीवर वोदका	750 मिली.	12	2780	8783	2040	0	0	0	0	2040	740	0	0

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
59	वोदका	व्लाडीवर वोदका	180 मिली.	48	3180	9148	2040	0	0	0	0	2040	1140	15	17100
60	वोदका	व्हाइट मिस चीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	750 मिली.	12	1240	5126	1430	1143	0	1575	3225	1143	97	29630	2874110
61	वोदका	व्हाइट मिस चीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	375 मिली.	24	1230	5136	1430	1191	0	1576	3241	1191	39	13422	523458
62	वोदका	व्हाइट मिस चीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	180 मिली.	48	1275	5136	1430	1215	0	1556	3217	1215	60	45995	2759700
63	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका ऐप्पल + सीन्नामोन	750 मिली.	12	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	0	0
64	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका ऐप्पल + सीन्नामोन	375 मिली.	24	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	0	0
65	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका ऐप्पल + सीन्नामोन	180 मिली.	48	1845	5687	1600	0	0	0	0	1600	245	0	0
66	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका मेंग्गों + मीन्ट	750 मिली.	12	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	1601	300988
67	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका मेंग्गों + मीन्ट	375 मिली.	24	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	814	153032
68	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका मेंग्गों + मीन्ट	180 मिली.	48	1845	5687	1600	0	0	0	0	1600	245	2872	703640
69	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका स्ट्रावबेरी + जीन्सेंग	750 मिली.	12	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	949	178412
70	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका स्ट्रावबेरी + जीन्सेंग	375 मिली.	24	1788	5687	1600	0	0	0	0	1600	188	292	54896
71	वोदका	व्हाइट मिस चीफ फलावरड वोदका स्ट्रावबेरी + जीन्सेंग	180 मिली.	48	1845	5687	1600	0	0	0	0	1600	245	1922	470890
72	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	5410	10275	5530	3300	3597	5606	3987	3300	2110	4447	9383170
73	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	5410	10275	5530	3348	3620	5606	4027	3348	2062	486	1002132
74	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	5525	10275	5530	3372	3623	5204	4116	3372	2153	702	1511406
75	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि रेर प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	4340	9280	3702	0	2967	4413	3022	2967	1373	3239	4447147
76	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि रेर प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	4410	9280	3702	0	2967	4413	3022	2967	1443	176	253968
77	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटि रेर प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	4480	9280	3702	0	2962	4481	3075	2962	1518	339	514602
78	व्हिस्की	ब्लैक डॉग सेन्टेनरी ऐजेड – रेर स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	8902	0	0	0	0	8848	0	8848	54	2	109
79	व्हिस्की	ब्लैक डॉग सेन्टेनरी ब्लैक रिर्जव ऐजेड – रेर ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	8660	16802	9134	7371	0	8850	0	7371	1289	834	1075026

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
80	व्हिस्की	ब्लैक डॉग सेन्टेनरी ब्लैक रिर्जव ऐजेड – रेर ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	8632	16802	9134	7419	0	8895	0	7419	1213	25	30325
81	व्हिस्की	ब्लैक डॉग सेन्टेनरी ब्लैक रिर्जव ऐजेड – रेर ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	8902	16802	9134	7443	0	8848	0	7443	1459	28	40852
82	व्हिस्की	ब्लैक डॉग डिलक्स एजेड 12 ईयरस स्कॉच व्हिस्की	1000 मिली.	12	11740	0	0	0	0	0	0	0	11740	1	11740
83	व्हिस्की	ब्लैक डॉग डिलक्स गोल्ड डिलक्स एजेड 12 ईयरस ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	12550	22308	13320	0	9960	13590	11727	9960	2590	1740	4506600
84	व्हिस्की	ब्लैक डॉग डिलक्स गोल्ड डिलक्स एजेड 12 ईयरस ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	12550	22308	13320	0	10204	13590	11727	10204	2346	32	75072
85	व्हिस्की	ब्लैक डॉग डिलक्स गोल्ड डिलक्स एजेड 12 ईयरस ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	12780	22308	13320	0	10177	13557	11955	10177	2603	31	80693
86	व्हिस्की	डीएसपी ब्लैक डिलक्स व्हिस्की	1000 मिली.	12	1280	4191	0	0	0	0	0	4191	.2911	0	0
87	व्हिस्की	डीएसपी ब्लैक डिलक्स व्हिस्की	750 मिली.	12	1425	4477	1243	0	0	0	3731	1243	182	0	0
88	व्हिस्की	डीएसपी ब्लैक डिलक्स व्हिस्की	375 मिली.	24	1419	4477	1243	0	0	0	3731	1243	176	0	0
89	व्हिस्की	डीएसपी ब्लैक डिलक्स व्हिस्की	180 मिली.	48	1463	4477	1243	0	0	0	3710	1243	220	0	0
90	व्हिस्की	मेकडॉवल् डीपलोमेट वर्ल्ड क्लास व्हिस्की	180 मिली.	48	920	4067	800	0	0	0	0	800	120	1552	186240
91	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फानेस्ट प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	2305	6930	0	0	0	3375	2076	2076	229	13639	3123331
92	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फानेस्ट प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	2315	6930	0	0	0	3353	2102	2102	213	1610	342930
93	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फानेस्ट प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	2380	6930	0	0	0	3275	2138	2138	242	2601	629442
94	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज डाईटमेट गोल्ड व्हिस्की	750 मिली.	12	3120	8181	2760	0	0	0	0	2760	360	190	68400
95	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज डाईटमेट गोल्ड व्हिस्की	375 मिली.	24	3120	8181	2760	0	0	0	0	2760	360	72	25920
96	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज डाईटमेट गोल्ड व्हिस्की	180 मिली.	48	3200	8181	2760	0	0	0	0	2760	440	123	54120
97	व्हिस्की	सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन व्हिस्की	750 मिली.	12	4340	9473	4005	4766	0	0	0	4005	335	8	2680
98	व्हिस्की	सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन व्हस्की	375 मिली.	24	4410	9525	4005	4766	0	0	0	4005	405	20	8100

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)							न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विक्रीत मात्रा (पेटी में)	आपूतिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15	16 (14 X 15)
99	व्हिस्की	सिग्नेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	750 मिली.	12	3510	8952	3614	2260	0	4104	2552	2260	1250	10585	13231250
100	व्हिस्की	सिग्नेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	375 मिली.	24	3500	9004	3614	2308	0	4156	2623	2308	1192	1995	2378040
101	व्हिस्की	सिग्नेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	180 मिली.	48	3720	9004	3614	2332	0	4141	2676	2332	1388	3191	4429108
102	व्हिस्की	व्हाइट – मकॉय स्पेसियल ब्लेण्डेड व्हिस्की	750 मिली.	12	7360	14984	7800	0	6684	8075	5686	5686	1674	0	0
103	व्हिस्की	व्हाइट – मकॉय स्पेसियल ब्लेण्डेड व्हिस्की	375 मिली.	24	7360	14984	7800	0	6813	0	5832	5832	1528	39	59592
104	व्हिस्की	व्हाइट – मकॉय स्पेसियल ब्लेण्डेड व्हिस्की	180 मिली.	48	7450	14984	7800	0	6901	0	5959	5959	1491	4	5964
105	वाइन	बौवेट ब्रट सौमुर	750 मिली.	12	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0
106	वाइन	बौवेट रोज ऐक्सेलेन्स	750 मिली.	12	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0
कुल															60750730
वर्ष 2014–15 के लिए आपूर्तिकर्ताओं को मिली अनुचित लाभ की राशि का महायोग															6692199

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित ऑकड़े)

अनुलग्नक – 3.2

वर्ष 2015–16 के लिए क्रय मूल्य का आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों में प्रस्तावित दर की तुलना में उच्चतम दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.1)

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
आपूर्तिकर्ता का नाम – एल्कोब्रेव डिस्टील्लेराइज इण्डिया प्रायवेट लिमीटेड																
1	रम	ओल्ड स्मॅगलर मेचुर गगग	750 मिली.	12	1250	0	875	0	0	0	0	0	875	375	83	31125
2	रम	ओल्ड स्मॅगलर मेचुर गगग	375 मिली.	24	1250	0	875	0	0	0	0	0	875	375	16	6000
3	रम	ओल्ड स्मॅगलर मेचुर गगग	180 मिली.	48	1250	0	875	0	0	0	0	0	875	375	27	10125
4	व्हिस्की	ओल्ड स्मॅगलर ब्लेण्डेड स्कॉच	750 मिली.	12	8600	0	6600	0	5461	0	7393	0	5461	3139	0	0
5	व्हिस्की	ओल्ड स्मॅगलर ब्लेण्डेड स्कॉच	375 मिली.	24	8600	0	6600	0	5461	0	7393	0	5461	3139	0	0
6	व्हिस्की	ओल्ड स्मॅगलर ब्लेण्डेड स्कॉच	180 मिली.	48	8600	0	6600	0	5461	0	7393	0	5461	3139	23	72189
7	व्हिस्की	व्हाइट – ब्ल्यू प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	2350	0	1800	0	0	0	1528	0	1528	822	1097	902063
8	व्हिस्की	व्हाइट – ब्ल्यू प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	2350	0	1800	0	0	0	1528	0	1528	822	51	41937
9	व्हिस्की	व्हाइट – ब्ल्यू प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	2315	0	1800	0	0	0	1528	0	1528	787	157	123606
कुल																**1187045**

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
आपूर्तिकर्ता का नाम – ऐल्लाईड ब्लेण्डरस् डिस्टील्लेरस् प्राईवेट लिमिटेड																
10	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस ब्ल्यू प्योर ग्रेन	750 मिली.	12	1500	1131	1194	0	0	0	0	0	1131	369	11338	4179527
11	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस ब्ल्यू प्योर ग्रेन	375 मिली.	24	1500	1131	1194	0	0	0	0	0	1131	369	4016	1480418
12	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस ब्ल्यू प्योर ग्रेन	180 मिली.	48	1500	1132	1194	0	0	0	0	0	1132	368	12126	4456426
13	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस प्रेस्टिज	750 मिली.	12	1000	910	792	0	0	0	962	0	792	208	3353	697424
14	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस प्रेस्टिज	375 मिली.	24	1000	910	792	0	0	0	965	0	792	208	1164	242112
15	व्हिस्की	ऑफिसरस् च्वाइस प्रेस्टिज	180 मिली.	48	1000	911	792	0	0	0	1000	0	792	208	4288	891904
									कुल							11947811
आपूर्तिकर्ता का नाम – बकार्डी इण्डिया प्रा. लिमी.																
16	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	750 मिली.	12	2455	7937	2288	0	2565	5043	5391	0	2288	167	225	37496
17	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	375 मिली.	24	2462	0	2288	0	2615	5043	5576	0	2288	174	25	4356
18	रम	बकार्डी ऐप्पल ओरिजनल	180 मिली.	48	2499	8297	2288	0	3175	5094	5564	0	2288	211	46	9706
19	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	750 मिली.	12	2499	9180	1999	7210	2554	5043	5257	0	1999	500	342	171051
20	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	375 मिली.	24	2499	0	1999	7210	2555	5043	5302	0	1999	500	5	2501
21	रम	बकार्डी ब्लैक ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	180 मिली.	48	2500	9101	1999	7018	2709	5094	5397	0	1999	501	44	22026

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
22	रम	बकार्डी ड्रैगनबेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	750 मिली.	12	2455	0	2288	0	2568	0	5391	0	2288	167	0	0
23	रम	बकार्डी ड्रैगनबेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	375 मिली.	24	2462	0	2288	0	2620	0	5576	0	2288	174	7	1220
24	रम	बकार्डी ड्रैगनबेरी ओरिजनल स्ट्रावबेरी	180 मिली.	48	2499	0	2288	0	3185	0	5564	0	2288	211	7	1477
25	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	750 मिली.	12	2691	8378	2650	0	2751	0	0	0	2650	41	57	2346
26	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	375 मिली.	24	2691	0	2650	0	2751	0	0	0	2650	41	48	1975
27	रम	बकार्डी गोल्ड ओरिजनल प्रिमी. कॉप्टेड	180 मिली.	48	2779	7977	2650	0	2862	0	0	0	2650	129	1	129
28	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	750 मिली.	12	2455	7937	2288	0	2565	5043	5391	0	2288	167	83	13832
29	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	375 मिली.	24	2462	0	2288	0	2615	5043	5576	0	2288	174	14	2439
30	रम	बकार्डी लेमोन ओरिजनल सीट्रस	180 मिली.	48	2499	8297	2288	0	3175	5094	5564	0	2288	211	24	5064
31	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	750 मिली.	12	2455	7937	2288	0	2565	5043	5391	0	2288	167	329	54828
32	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	375 मिली.	24	2462	0	2288	0	2615	5043	5576	0	2288	174	23	4007
33	रम	बकार्डी ओ ओरिजनल ऑरेंज	180 मिली.	48	2499	8297	2288	0	3175	5094	5564	0	2288	211	41	8651
34	रम	बकार्डी रॉज ओरिजनल रस्प बेरी	750 मिली.	12	2455	7937	2288	0	2565	5043	5391	0	2288	167	108	17998

संक.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
35	रम	बकार्डी रॉज ओरिजनल रस्प	375 मिली.	24	2462	0	2288	0	2615	5043	5576	0	2288	174	9	1568
36	रम	बकार्डी रॉज ओरिजनल रस्प बेरी	180 मिली.	48	2499	8297	2288	0	3175	5094	5564	0	2288	211	17	3587
37	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.	750 मिली.	12	2499	7657	2415	9258	2554	5043	5257	0	2415	84	2136	179744
38	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.	375 मिली.	24	2499	7898	2415	9378	2555	5043	5302	0	2415	84	129	10855
39	रम	बकार्डी सुपेरियर ओरिजनल प्रिमी.	180 मिली.	48	2500	7988	2415	9070	2709	5094	5397	0	2415	85	359	30364
40	रम	ब्रीजर ब्लैकबेरी कश	275 मिली.	24	627	2044	800	2580	539	1159	1205	0	539	88	1464	128364
41	रम	ब्रीजर केनबेरी	275 मिली.	24	627	2044	800	2580	539	1159	1205	0	539	88	2008	176061
42	रम	ब्रीजर ऑरेंज	275 मिली.	24	627	2044	800	2580	539	1159	1205	0	539	88	1082	94870
43	वोदका	ऐरिस्टोफ ग्रीन ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. ग्रीन ऐप्पल	750 मिली.	12	2218	0	1984	0	0	0	0	0	1984	234	30	7025
44	वोदका	ऐरिस्टोफ ग्रीन ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. ग्रीन ऐप्पल	375 मिली.	24	2218	0	1984	0	0	0	0	0	1984	234	6	1405
45	वोदका	ऐरिस्टोफ ग्रीन ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. ग्रीन ऐप्पल	180 मिली.	48	2298	0	1984	0	0	0	0	0	1984	314	15	4704
46	वोदका	ऐरिस्टोफ रेड ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. केनबेरी	750 मिली.	12	2218	0	1984	0	0	0	0	0	1984	234	45	10537
47	वोदका	ऐरिस्टोफ रेड ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. केनबेरी	375 मिली.	24	2218	0	1984	0	0	0	0	0	1984	234	9	2107

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
48	वोदका	ऐरिस्टोफ रेड ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी. केनबेरी	180 मिली.	48	2298	0	1984	0	0	0	0	0	1984	314	13	4077
49	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी.	750 मिली.	12	2218	6810	1984	8404	2235	3515	4880	0	1984	234	0	0
50	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी	375 मिली.	24	2218	0	1984	8464	0	3515	4880	0	1984	234	495	115904
51	वोदका	ऐरिस्टोफ ट्रीपल डीस्टीलेड प्रिमी	180 मिली.	48	2298	0	1984	8394	2492	3468	4864	0	1984	314	55	17247
									कुल							1149521
आपूर्तिकर्ता का नाम – बिम ग्लोबल स्पीरिट एण्ड वाइन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड																
52	स्कॉच	टिचर्स् 50 स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	13218	0	10973	0	8948	0	9191	8948	8948	4270	1950	8327183
53	स्कॉच	टिचर्स् 50 स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	13521	0	10973	0	9362	0	9425	9362	9362	4159	43	178825
54	स्कॉच	टिचर्स् 50 स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	13756	0	10973	0	9879	0	9641	9879	9641	4115	34	139901
55	स्कॉच	टिचर्स् हाइलैण्ड क्रिम स्कॉच व्हिस्की	1000 मिली.	12	11069	0	7825	0	5618	0	8870	5618	5618	5451	0	0
56	स्कॉच	टिचर्स् हाइलैण्ड क्रिम स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	8880	0	7825	0	5798	0	6825	5798	5798	3082	1298	4000890
57	स्कॉच	टिचर्स् हाइलैण्ड क्रिम स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	9080	0	7825	0	6105	0	7005	6105	6105	2975	23	68418
58	स्कॉच	टिचर्स् हाइलैण्ड क्रिम स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	9234	0	7825	0	6676	0	7400	6676	6676	2558	32	81869

संक.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
59	स्कॉच	टिचर्स् ओरीजीन ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	14190	0	11818	0	9638	0	10572	9638	9638	4552	297	1352048
कुल																**14149134**
आपूर्तिकर्ता का नाम – कारल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड																
60	बियर	कारल्सबर्ग अल्लमाल्ट प्रिमीयम	650 मिली.	12	796	1376	529	2247	0	890	1197	413	413	383	22511	8620137
61	बियर	कारल्सबर्ग ऐलिफैंट स्ट्रॉग सुपर प्रिमीयम बियर	650 मिली.	12	815	1471	548	2187	0	936	1270	408	408	407	1981	806366
62	बियर	टुबोर्ग स्ट्रॉग प्रिमीयम बियर	650 मिली.	12	567	1192	421	1347	0	754	929	349	349	218	140508	30619503
63	बियर	टुबोर्ग स्ट्रॉग प्रिमीयम बियर	500 मिली. –कैन	24	863	2015	774	2192	0	1253	1483	429	429	434	2523	1094276
कुल																**41140282**
आपूर्तिकर्ता का नाम – काउन बीयर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड																
64	बियर	बुडवाइजर मैग्नम स्ट्रॉग बियर	650 मिली.	12	1009	1402	696	920	0	0	0	0	696	313	9557	2991245
65	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियरस्	650 मिली.	12	767	1122	660	1001	0	0	0	0	660	107	23098	2472179
66	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियरस्	330 मिली.	24	857	1282	730	1066	0	0	0	0	730	127	491	62337
कुल																**5525761**
आपूर्तिकर्ता का नाम – डैजिओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड																
67	रम	कैप्टन मोरगॉन ओरिजनल स्पाइस्ड रम	750 मिली.	12	4000	10203	2191	0	2640	5132	2207	0	2191	1809	0	0
68	रम	कैप्टन मोरगॉन ओरिजनल स्पाइस्ड	180 मिली.	48	4000	0	2191	0	2712	5356	2306	0	2191	1809	15	27130

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
69	स्कॉच	जॉन वॉकर एण्ड संस ओडिस्से ब्लेण्डेड स्कॉच	700 मिली.	2	195834	299079	0	0	0	0	0	0	299079	.103245	0	0
70	स्कॉच	जॉन वॉकर प्लेटिनम लेबल ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	6	33301	52040	28336	0	0	0	0	0	28336	4965	0	0
71	वोदका	स्मीर्नोफ इस्प्रीस्सो ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	750 मिली.	12	4000	10203	2402	0	2505	4940	2546	0	2402	1598	133	212558
72	वोदका	स्मीर्नोफ इस्प्रीस्सो ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2402	0	2588	5356	2589	0	2402	1598	70	111873
73	वोदका	स्मीर्नोफ ग्रीन ऐप्पल ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	750 मिली.	12	4000	10203	2272	0	2505	4940	2546	0	2272	1728	221	381864
74	वोदका	स्मीर्नोफ ग्रीन ऐप्पल ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2272	0	2588	5356	2589	0	2272	1728	333	575387
75	वोदका	स्मीर्नोफ ऑरेन्ज ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	750 मिली.	12	4000	10203	2272	0	2505	4940	2546	0	2272	1728	529	914054
76	वोदका	स्मीर्नोफ ऑरेन्ज ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2272	0	2588	5356	2589	0	2272	1728	474	819020
77	वोदका	स्मीर्नोफ ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	750 मिली.	12	4000	9844	2191	0	2401	4700	2388	0	2191	1809	540	976601
78	वोदका	स्मीर्नोफ ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	375 मिली.	24	4000	0	2191	0	2458	4940	2518	0	2191	1809	558	1009154
79	वोदका	स्मीर्नोफ ट्रिपल डीस्टीलेड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2191	0	2487	4972	2619	0	2191	1809	753	1361816

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
80	व्हिस्की	ब्लाक एण्ड व्हाईट ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	8905	19790	6227	0	6081	10316	7288	0	6081	2824	439	1239736
81	व्हिस्की	जॉन्नी वॉकर एक्सआर 21	750 मिली.	6	58236	101516	57176	0	0	0	0	0	57176	1060	441	467478
82	व्हिस्की	जॉन्नी वॉकर ब्लाक लेबल स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	27641	50040	26390	0	0	0	19832	0	19832	7809	81	632527
83	व्हिस्की	जॉन्नी वॉकर ब्ल्यू लेबल	750 मिली.	6	71397	128177	70533	0	0	0	0	0	70533	864	13	11233
84	व्हिस्की	जॉन्नी वॉकर डबल ब्लाक ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	6	15985	27943	15233	0	0	0	0	0	15233	752	558	419700
85	व्हिस्की	जॉन्नी वॉकर रेड लेबल स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	13790	25122	14276	0	0	0	9253	0	9253	4537	5	22686
86	व्हिस्की	वेट 69 ब्लाक ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	12575	24610	9862	0	0	15116	9720	0	9720	2855	38	108481
87	व्हिस्की	वेट 69 ब्लाक ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	7658	17945	4984	0	8996	8732	7119	0	4984	2674	522	1395744
88	व्हिस्की	वेट 69 ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	8074	0	4984	0	5858	9164	7119	0	4984	3090	58	179211
89	व्हिस्की	वेट 69 ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	8527	0	4984	0	6043	9196	0	0	4984	3543	57	201942
कुल																11068195
आपूर्तिकर्ता का नाम – जगतजीत इण्डस्ट्रीज लिमीटेड																
90	स्कॉच	किंग हेनरी अपपप ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750 मिली.	12	8425	14463	600	0	5975	0	7654	0	600	7825	45	352125

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
91	स्कॉच	किंग हेनरी अपपप ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	375 मिली.	24	8425	14603	600	0	6552	0	0	0	600	7825	0	0
92	स्कॉच	किंग हेनरी अपपप ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	180 मिली.	48	8525	14603	600	0	6638	0	0	0	600	7925	29	229825
93	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ग्रीन ऐप्पल फ्लेवर्ड	750 मिली.	12	2300	5691	1512	0	1837	2853	1458	0	1458	842	481	404776
94	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ग्रीन ऐप्पल फ्लेवर्ड	375 मिली.	24	2300	5691	1512	0	1837	2871	1466	0	1466	834	159	132584
95	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ग्रीन ऐप्पल फ्लेवर्ड	180 मिली.	48	2300	5623	1512	0	1837	2787	1489	0	1489	811	518	420160
96	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ऑरेंज फ्लेवर्ड	750 मिली.	12	2300	5691	1512	0	1837	2853	1458	0	1458	842	1656	1393574
97	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ऑरेंज फ्लेवर्ड	375 मिली.	24	2300	5691	1512	0	1837	2871	1466	0	1466	834	330	275174
98	वोदका	आइस फ्लेवर्ज ऑरेंज फ्लेवर्ड	180 मिली.	48	2300	5623	1512	0	1837	2787	1489	0	1489	811	1376	1116101
99	वोदका	आइस वोदका ट्री डीस्टील प्योर ग्रेन प्रिमीयम	750 मिली.	12	2080	5691	1199	0	1929	2647	1521	0	1199	881	777	684537
100	वोदका	आइस वोदका ट्री डीस्टील प्योर ग्रेन प्रिमीयम	375 मिली.	24	2080	5691	1199	0	1937	2647	1522	0	1199	881	93	81933
101	वोदका	आइस वोदका ट्री डीस्टील प्योर ग्रेन प्रिमीयम	180 मिली.	48	2080	5623	1199	0	1910	2675	1603	0	1199	881	379	333899
102	व्हिस्की	ऍक ब्लाक व्हिस्की	750 मिली.	12	1875	0	1150	0	0	2127	0	0	1150	725	7755	5622375
103	व्हिस्की	ऍक ब्लाक व्हिस्की	375 मिली.	24	1950	0	1150	0	0	2127	0	0	1150	800	238	190400
104	व्हिस्की	ऍक ब्लाक व्हिस्की	180 मिली.	48	2025	0	1150	0	0	2096	0	0	1150	875	507	443625

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
105	व्हिस्की	ऐरीस्टोक्राट व्हिस्की	750 मिली.	12	975	0	778	0	0	0	0	0	778	197	0	0
106	व्हिस्की	ऐरीस्टोक्राट व्हिस्की	375 मिली.	24	975	0	778	0	0	0	0	0	778	197	0	0
107	व्हिस्की	ऐरीस्टोक्राट व्हिस्की	180 मिली.	48	918	0	778	0	0	0	0	0	778	140	5	700
108	व्हिस्की	न्यू इम्प्रोव्हड ऐरीस्टोक्राट	750 मिली.	12	1500	0	1072	0	0	0	0	0	1072	428	0	0
109	व्हिस्की	न्यू इम्प्रोव्हड ऐरीस्टोक्राट	375 मिली.	24	1500	0	1072	0	0	0	0	0	1072	428	0	0
110	व्हिस्की	न्यू इम्प्रोव्हड ऐरीस्टोक्राट	180 मिली.	48	1500	0	1072	0	0	0	0	0	1072	428	0	0
कुल																व्हिस्की
आपूर्तिकर्ता का नाम – खोदय इण्डिया लिमिटेड																
111	व्हिस्की	पिटर स्कॉट माल्ट	750 मिली.	12	3990	7584	3462	0	2305	2341	2745	0	2341	1650	764	1260218
112	व्हिस्की	पिटर स्कॉट माल्ट	375 मिली.	24	3990	0	3462	0	0	2416	2745	0	2416	1574	29	45646
113	व्हिस्की	पिटर स्कॉट माल्ट	180 मिली.	48	3990	0	3462	0	0	2637	2803	0	2637	1353	35	47354
114	व्हिस्की	रेड नाईट फाईनेस्ट ब्लेण्डेड माल्ट	750 मिली.	12	2250	5248	1950	0	1049	1146	0	0	1049	1201	6578	7899915
115	व्हिस्की	रेड नाईट फाईनेस्ट ब्लेण्डेड माल्ट	375 मिली.	24	2250	0	1950	0	0	1156	0	0	1156	1094	473	517651
116	व्हिस्की	रेड नाईट फाईनेस्ट ब्लेण्डेड माल्ट	180 मिली.	48	2250	0	1950	0	0	1177	0	0	1177	1073	775	831761
117	व्हिस्की	रेड नाईट प्रिमीयम	750 मिली.	12	3200	0	2363	0	0	0	2253	0	2253	947	0	0
कुल																10602545
	आपूर्तिकर्ता का नाम – मोदी डीस्टील्लेरी															
118	वोदका	आर्टीक प्योर ईटालियन लक्जरी वोदका	750 मिली.	12	3990	5176	2800	12021	3843	0	3376	3843	2800	1190	0	0

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
119	वोदका	आर्टीक प्योर ईटालियन लक्जरी वोदका	180 मिली.	48	3990	4949	2800	11780	3918	0	3499	3918	2800	1190	0	0
120	व्हिस्की	रॉकफोर्ड क्लासीक फाईनेस्ट ब्लेण्डेड व्हिस्की	750 मिली.	12	3770	0	2800	10455	3597	0	3006	3597	2800	970	268	259960
121	व्हिस्की	रॉकफोर्ड क्लासीक फाईनेस्ट ब्लेण्डेड व्हिस्की	375 मिली.	24	3809	0	2800	10514	3620	0	3054	3620	2800	1009	0	0
122	व्हिस्की	रॉकफोर्ड क्लासीक फाईनेस्ट ब्लेण्डेड व्हिस्की	180 मिली.	48	3880	0	2800	10209	3623	0	3120	3623	2800	1080	70	75600
123	व्हिस्की	दी रॉकफोर्ड रिजर्व फाइन एण्ड रेर	750 मिली.	12	4955	4236	3992	12466	4482	0	4439	4482	3992	963	91	87633
124	व्हिस्की	दी रॉकफोर्ड रिजर्व फाइन एण्ड रेर	375 मिली.	24	4962	4236	3992	12526	4482	0	4441	4482	3992	970	0	0
125	व्हिस्की	दी रॉकफोर्ड रिजर्व फाइन एण्ड रेर	180 मिली.	48	4970	4304	3992	12226	4455	0	4542	4455	3992	978	0	0
									कुल							423193
आपूर्तिकर्ता का नाम – मोहन मेअकिन्स लिमिटेड																
126	रम	ओल्ड मोंक गोल्ड रिजर्व	750 मिली.	12	1498	5562	1165	7248	0	0	1059	0	1059	439	2368	1039718
127	रम	ओल्ड मोंक गोल्ड रिजर्व	375 मिली.	24	1498	0	1165	7296	0	0	1069	0	1069	429	74	31714
128	रम	ओल्ड मोंक गोल्ड रिजर्व	180 मिली.	48	1498	0	1165	7097	0	0	1110	0	1110	388	240	93166
129	रम	ओल्ड मोंक सुपरिम	750 मिली.	12	2390	5922	1778	0	0	3154	0	0	1778	612	1825	1116900
130	रम	ओल्ड मोंक गगग	750 मिली.	12	1265	3900	785	0	0	0	0	0	785	480	10898	5231040
131	रम	ओल्ड मोंक गगग	375 मिली.	24	1265	3950	785	0	0	0	0	0	785	480	1569	753120
132	रम	ओल्ड मोंक गगग	180 मिली.	48	1265	3932	785	0	0	0	0	0	785	480	3991	1915680

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
133	वोदका	नाईट रायडर	750 मिली.	12	1265	0	920	0	0	2644	0	0	920	345	0	0
134	वोदका	नाईट रायडर	375 मिली.	24	1265	0	920	0	0	2644	0	0	920	345	0	0
135	वोदका	नाईट रायडर	180 मिली.	48	1265	0	920	0	0	2613	0	0	920	345	0	0
136	व्हिस्की	सेलन नं. 1	750 मिली.	12	1498	0	1100	0	0	0	0	0	1100	398	0	0
137	व्हिस्की	सेलन नं. 1	375 मिली.	24	1498	0	1100	0	0	0	0	0	1100	398	0	0
138	व्हिस्की	सेलन नं. 1	180 मिली.	48	1498	0	1100	0	0	0	0	0	1100	398	0	0
कुल																10181338
	आपूर्तिकर्ता का नाम – नासिक विनटर्स प्राईवेट लिमिटेड															
139	वाइन	समारा रेड	750 मिली.	12	2294	2673	1786	0	1278	0	0	0	1278	1016	262	266145
140	वाइन	समारा व्हाईट	750 मिली.	12	2308	2673	1743	0	1278	0	0	0	1278	1030	39	40163
141	वाइन	सुला ब्रुट मिथोड शैम्पेन	750 मिली.	12	6599	10395	6042	7296	4480	7445	7041	0	4480	2119	0	0
142	वाइन	सुला ब्रुट मिथोड शैम्पेन	375 मिली.	24	7054	11483	6042	7440	4952	0	0	0	4952	2102	89	187112
143	वाइन	सुला कार्बेनेट शिराज	750 मिली.	12	5398	6880	4652	5400	4031	5294	4533	0	4031	1367	0	0
144	वाइन	सुला कार्बेनेट शिराज	375 मिली.	24	5957	7227	4652	5544	4501	0	5082	0	4501	1456	386	562101
145	वाइन	सुला सौविगनोन ब्लान्स	750 मिली.	12	5426	6739	4645	5136	4031	5473	0	0	4031	1395	0	0
146	वाइन	सुला सौविगनोन ब्लान्स	375 मिली.	24	5979	7088	4645	5328	4501	0	0	0	4501	1478	57	84259
कुल																1139780

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
	आपूर्तिकर्ता का नाम – पर्नार्ड रिकार्ड इण्डिया (प)															
147	वोदका	सीग्राम फ्युल वोदका	750 मिली.	12	1667	6287	1200	7210	0	3222	0	0	1200	467	433	202211
148	वोदका	सीग्राम फ्युल वोदका	375 मिली.	24	1677	6287	1200	7210	0	3222	0	0	1200	477	116	55332
149	वोदका	सीग्राम फ्युल वोदका	180 मिली.	48	1763	6287	1200	7018	0	3199	0	0	1200	563	311	175093
									कुल							432636
	आपूर्तिकर्ता का नाम – प्रिविलेज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड															
150	बियर	बुडवाइजर मैग्नम स्ट्रोंग बियर	650 मिली.	12	1009	1794	696	920	0	0	663	0	663	346	0	0
151	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियर्स्	650 मिली.	12	767	1436	660	1001	0	0	559	0	559	208	0	0
152	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियर्स्	500 मिली. –कैन	24	1091	2051	857	1661	0	0	815	0	815	276	0	0
153	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियर्स्	330 मिली.	24	857	1641	730	1066	0	0	0	0	730	127	3282	416683
154	बियर	बुडवाइजर प्रिमीयम किंग ऑफ बियर्स्	330 मिली. –कैन	24	928	1641	779	0	0	0	0	0	779	149	5382	800088
									कुल							**1216771**
	आपूर्तिकर्ता का नाम – रेडिको खैतान लिमिटेड															
155	ब्राण्डि	मॉरफेअस एक्सो ब्लेण्डेड प्रिमीयम	750 मिली.	12	4000	0	2145	0	0	0	5864	0	2145	1855	0	0
156	ब्राण्डि	मॉरफेअस एक्सो ब्लेण्डेड प्रिमीयम	375 मिली.	24	4000	0	2145	0	0	0	5864	0	2145	1855	0	0
157	ब्राण्डि	मॉरफेअस एक्सो ब्लेण्डेड प्रिमीयम	180 मिली.	48	4000	0	2145	0	0	0	5849	0	2145	1855	0	0
158	रम	8 पीएम बरमुडा गगग ओरिज. केरेबियन	750 मिली.	12	1200	3621	799	0	0	0	0	0	799	401	1150	461150
159	रम	8 पीएम बरमुडा गगग ओरिज. केरेबियन	375 मिली.	24	1200	3621	0	0	0	0	0	0	3621	.2421	0	0

संक.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
160	रम	कोन्टेस्सा गगग रम ब्लेण्डेड परिपक्व गन्ने के गाढे. रस के साथ	750 मिली.	12	1200	3621	725	0	0	0	0	0	725	475	0	0
161	रम	कोन्टेस्सा गगग रम ब्लेण्डेड परिपक्व गन्ने के गाढे. रस के साथ	375 मिली.	24	1200	3621	725	0	0	0	0	0	725	475	0	0
162	रम	कोन्टेस्सा गगग रम ब्लेण्डेड परिपक्व गन्ने के गाढे. रस के साथ	180 मिली.	48	1150	3387	725	0	0	0	0	0	725	425	0	0
163	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ग्रीन ऐप्पल प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	750 मिली.	12	4000	0	2275	10455	0	0	0	0	2275	1725	0	0
164	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ग्रीन ऐप्पल प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	375 मिली.	24	4000	0	2275	10515	0	0	0	0	2275	1725	0	0
165	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ग्रीन ऐप्पल प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2275	10209	0	0	0	0	2275	1725	0	0
166	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ऑरेन्ज प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	750 मिली.	12	4000	0	2275	0	0	0	0	0	2275	1725	0	0
167	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ऑरेन्ज प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	375 मिली.	24	4000	0	2275	0	0	0	0	0	2275	1725	0	0

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
168	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस ऑरेन्ज प्रिमीयम फ्लेवर्ड वोदका	180 मिली.	48	4000	0	2275	0	0	0	0	0	2275	1725	0	0
169	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस सुपर प्रिमीयम वोदका	750 मिली.	12	3725	7999	2190	8575	0	0	5033	0	2190	1535	483	741405
170	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस सुपर प्रिमीयम वोदका	375 मिली.	24	3725	8334	2190	8695	0	0	5215	0	2190	1535	27	41445
171	वोदका	एम2 वर्व मैजीक मोमेन्टस सुपर प्रिमीयम वोदका	180 मिली.	48	3725	8334	2190	8385	0	0	5288	0	2190	1535	65	99775
172	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमन	750 मिली.	12	2390	0	1513	0	0	0	3945	0	1513	877	720	631440
173	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमन	375 मिली.	24	2390	0	1513	0	0	0	3945	0	1513	877	185	162245
174	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमन	180 मिली.	48	2390	0	1513	0	0	0	3952	0	1513	877	478	419206
175	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका ऑरेंज	750 मिली.	12	2390	0	1513	0	0	3211	3945	0	1513	877	11170	9796090
176	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका ऑरेंज	375 मिली.	24	2390	0	1513	0	0	3211	3945	0	1513	877	3385	2968645
177	वोदका	मैजीक मोमेन्ट रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका ऑरेंज	180 मिली.	48	2390	0	1513	0	0	3156	3952	0	1513	877	9293	8149961

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
178	वोदका	मैजीक मोमेन्टस् रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमनग्रास एण्ड जीन्जर	750 मिली.	12	2390	0	1513	0	0	0	0	0	1513	877	0	0
179	वोदका	मैजीक मोमेन्टस् रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमनग्रास एण्ड जीन्जर	375 मिली.	24	2390	0	1513	0	0	0	0	0	1513	877	0	0
180	वोदका	मैजीक मोमेन्टस् रिमीक्स फ्लेवर्ड वोदका लेमनग्रास एण्ड जीन्जर	180 मिली.	48	2390	0	1513	0	0	0	0	0	1513	877	0	0
181	व्हिस्की	8 पीएम स्मुथ इण्डियन व्हिस्की ब्लेण्डेड वीथ स्कॉच	750 मिली.	12	1200	3327	785	0	0	0	0	0	785	415	0	0
182	व्हिस्की	8 पीएम स्मुथ इण्डियन व्हिस्की ब्लेण्डेड वीथ स्कॉच	375 मिली.	24	1200	3356	785	0	0	0	0	0	785	415	0	0
183	व्हिस्की	8 पीएम स्मुथ इण्डियन व्हिस्की ब्लेण्डेड वीथ स्कॉच	180 मिली.	48	1150	3356	785	0	0	0	0	0	785	365	0	0
									कुल							23471362
	आपूर्तिकर्ता का नाम – सबमिल्लर इण्डिया लिमिटेड															
184	बियर	फोस्टर्स् गोल्ड स्ट्रांग बियर	650 मिली.	12	615	0	487	0	321	0	355	423	321	294	22193	6520525
185	बियर	फोस्टर्स् लागर	650 मिली.	12	615	0	450	0	301	0	355	371	301	314	59084	18538196
186	बियर	हॉवर्डस् 5000 सुपर स्ट्रांग बियर	650 मिली.	12	567	0	419	0	255	709	865	271	255	312	1258420	392085919
187	बियर	हॉवर्डस् 5000 सुपर स्ट्रांग बियर	325 मिली.	24	741	0	500	0	287	0	0	390	287	454	6878	3124744

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
188	बियर	मिल्लर हाई लाईफ	650 मिली.	12	747	0	576	0	372	0	609	372	372	375	10004	3753801
189	बियर	मिल्लर हाई लाईफ	330 मिली.	24	873	0	618	0	403	0	746	403	403	470	1182	555505
									कुल							424578690
आपूर्तिकर्ता का नाम –सोम डिस्टील्लराइस् एण्ड ब्रिवेराइज लिमिटेड																
190	बियर	ब्लैक फोर्ट सुपर स्ट्रांग	650 मिली.	12	387	0	347	0	0	0	0	0	347	40	0	0
191	बियर	ब्लैक फोर्ट सुपर स्ट्रांग	325 मिली.	24	567	0	416	0	0	0	0	0	416	151	25444	3842044
192	बियर	हंटर सुपर स्ट्रांग प्री.	650 मिली.	12	567	0	421	0	0	0	442	0	421	146	0	0
193	बियर	हंटर सुपर स्ट्रांग प्री.	500 मिली. –कैन	24	842	0	626	0	0	0	737	0	626	216	47677	10298232
194	बियर	हंटर सुपर स्ट्रांग प्री.	325 मिली.	24	667	0	459	0	0	0	0	0	459	208	3537	735696
									कुल							14875972
आपूर्तिकर्ता का नाम –युनाईटेड ब्रिवेराइज लिमी.																
195	बियर	हैंनकेन लेगर बियर	650 मिली.	12	1004	1796	765	2667	0	0	0	0	765	239	0	0
196	बियर	हैंनकेन लेगर बियर	500 मिली. –कैन	24	1424	2416	1183	4232	0	0	0	0	1183	241	0	0
197	बियर	हैंनकेन लेगर बियर	330 मिली.	24	1148	2209	835	2784	0	0	0	0	835	313	0	0
198	बियर	किंगफिशर ब्ल्यू प्रि.	650 मिली.	12	635	0	459	0	357	0	992	0	357	278	18511	5149205
199	बियर	किंगफिशर प्रि. ड्राट	500 मिली. –कैन	24	894	2035	0	0	0	0	0	0	2035	.1141	0	0
200	बियर	किंगफिशर प्रि. लेगर	650 मिली.	12	567	1156	459	1994	313	0	813	0	459	108	37629	4063932
201	बियर	किंगफिशर प्रि. लेगर	500 मिली. –कैन	24	894	1932	761	0	0	1253	1300	0	761	133	0	0

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
202	बियर	किंगफिशर प्रि. लेगर	330 मिली. –कैन	24	804	1311	591	0	439	0	0	0	439	365	2582	942017
203	बियर	किंगफिशर प्रि. लेगर	325 मिली.	24	741	0	556	0	0	0	0	0	556	185	0	0
204	बियर	किंगफिशर प्रि. स्ट्रांग	650 मिली.	12	567	1199	421	0	357	0	865	0	357	210	956040	200930927
205	बियर	किंगफिशर प्रि. स्ट्रांग	500 मिली. –कैन	24	894	2040	765	2090	0	1253	1340	0	765	129	3386	436794
206	बियर	किंगफिशर प्रि. स्ट्रांग	330 मिली. –कैन	24	804	1415	626	0	0	0	0	0	626	178	33954	6043812
207	बियर	किंगफिशर प्रि. स्ट्रांग	325 मिली.	24	741	0	556	0	0	0	0	0	556	185	5688	1052280
208	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा लेगर	650 मिली.	12	786	1401	592	2147	471	0	0	0	471	315	0	0
209	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा लेगर	500 मिली. –कैन	24	1206	2021	974	3752	0	0	0	0	974	232	25236	5854752
210	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा लेगर	330 मिली.	24	931	1711	695	2264	504	0	0	0	504	427	1723	736238
211	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रिमीयम स्ट्रॉंग बियर	650 मिली.	12	965	1814	633	0	0	0	0	0	633	332	0	0
212	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रिमीयम स्ट्रॉंग बियर	500 मिली. –कैन	24	1424	2848	995	0	0	0	0	0	995	429	0	0
213	बियर	किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रिमीयम स्ट्रॉंग बियर	330 मिली.	24	1003	2228	765	0	0	0	0	0	765	238	0	0
214	बियर	झिंगारो सुपर स्ट्रॉंग प्रिमीयम	650 मिली.	12	567	1030	421	0	0	0	0	0	421	146	0	0
215	बियर	झिंगारो सुपर स्ट्रॉंग प्रिमीयम	330 मिली. –कैन	24	804	1280	591	0	0	0	0	0	591	213	0	0
कुल																225209957

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
आपूर्तिकर्ता का नाम –युनाईटेड स्पिरीट्स् लिमीटेड																
216	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड प्रिमीयम एक्स्ट्रा ड्राय जीन	750 मिली.	12	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	928	343657
217	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड प्रिमीयम एक्स्ट्रा ड्राय जीन	375 मिली.	24	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	628	232561
218	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड प्रिमीयम एक्स्ट्रा ड्राय जीन	180 मिली.	48	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	2709	1003197
219	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड टैन्गो जीन एण्ड ऑरेन्ज	750 मिली.	12	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	1170	432900
220	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड टैन्गो जीन एण्ड ऑरेन्ज	375 मिली.	24	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	1682	622340
221	जीन	ब्ल्यू रीबैण्ड टैन्गो जीन एण्ड ऑरेन्ज	180 मिली.	48	1240	0	870	0	0	0	0	0	870	370	7586	2806820
222	रम	मेकडोवेलस् नं 1 सेलिब्रेशन मेच्योर्ड गगग रम	750 मिली.	12	1275	0	787	0	0	0	817	0	787	488	12747	6220536
223	रम	मेकडोवेलस् नं 1 सेलिब्रेशन मेच्योर्ड गगग	375 मिली.	24	1275	0	787	0	0	0	837	0	787	488	6198	3024624
224	रम	मेकडोवेलस् नं 1 सेलिब्रेशन मेच्योर्ड गगग रम	180 मिली.	48	1300	0	787	0	0	0	858	0	787	513	16347	8386011
225	वोदका	व्हाईट मिसचीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	750 मिली.	12	1275	0	923	0	0	0	970	0	923	352	11258	3962816
226	वोदका	व्हाईट मिसचीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	375 मिली.	24	1275	0	923	0	0	0	981	0	923	352	9162	3225024
227	वोदका	व्हाईट मिसचीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	180 मिली.	48	1300	0	923	0	0	0	1019	0	923	377	29165	10995205
228	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका ग्रीन ऐप्पल + सीन्नामोन	750 मिली.	12	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	1696	1017600

संक.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
229	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका ग्रीन ऐप्पल + सीन्नामोन	375 मिली.	24	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	326	195600
230	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका ग्रीन ऐप्पल + सी	180 मिली.	48	1750	0	1200	0	1773	0	0	0	1200	550	1286	707300
231	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका मैन्गों + मिन्ट	750 मिली.	12	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	2128	1276800
232	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका मैन्गों + मिन्ट	375 मिली.	24	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	578	346800
233	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका मैन्गों + मिन्ट	180 मिली.	48	1750	0	1200	0	1773	0	0	0	1200	550	1695	932250
234	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका स्ट्रॉबेरी + जीनसेन्ग	750 मिली.	12	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	1032	619200
235	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका स्ट्रॉबेरी + जीनसेन्ग	375 मिली.	24	1800	0	1200	0	1770	0	0	0	1200	600	128	76800
236	वोदका	व्हाईट मिसचीफ फ्लेवर्ड वोदका स्ट्रॉबेरी + जीनसेन्ग	180 मिली.	48	1750	0	1200	0	1773	0	0	0	1200	550	15	8250
237	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	5650	0	3560	11636	3597	5981	3831	0	3560	2090	5540	11578600
238	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	5650	0	3560	11636	3620	5981	3870	0	3560	2090	483	1009470
239	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी ब्ल्यू अल्ट्रा प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	5760	0	3560	11333	3623	5564	3951	0	3560	2200	812	1786400
240	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी रेर प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	4610	0	2800	0	2967	4788	0	0	2800	1810	3608	6530480
241	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी रेर प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	4680	0	2800	0	2967	4788	0	0	2800	1880	165	310200
242	व्हिस्की	ऐण्टिक्यूटी रेर प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	4650	0	2800	0	2967	4840	0	0	2800	1850	347	641950
243	व्हिस्की	बेगपाईपर डिलक्स व्हिस्की	750 मिली.	12	1000	0	800	0	0	0	951	0	800	200	28698	5739600

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
244	व्हिस्की	बेगपाईपर डिलक्स व्हिस्की	375 मिली.	24	1000	0	800	0	0	0	966	0	800	200	8814	1762800
245	व्हिस्की	बेगपाईपर डिलक्स व्हिस्की	180 मिली.	48	1000	0	800	0	0	0	991	0	800	200	30420	6084000
246	व्हिस्की	ब्लॉक डाग सेन्टेनरी ब्लॉक रिजर्व	750 मिली.	12	9150	0	6728	18484	6772	9225	7837	0	6728	2422	1576	3817261
247	व्हिस्की	ब्लॉक डाग सेन्टेनरी ब्लॉक रिजर्व	375 मिली.	24	9100	0	6728	18604	6928	9270	8038	0	6728	2372	29	68791
248	व्हिस्की	ब्लॉक डाग सेन्टेनरी ब्लॉक रिजर्व	180 मिली.	48	9200	0	6728	18321	6901	9207	8433	0	6728	2472	35	86524
249	व्हिस्की	ब्लॉक डाग ट्रीपल गोल्ड रिजर्व	750 मिली.	12	13275	0	10994	0	0	0	11305	0	10994	2281	470	1072253
250	व्हिस्की	ब्लॉक डाग ट्रीपल गोल्ड रिजर्व	375 मिली.	24	13270	0	10994	0	0	0	11305	0	10994	2276	0	0
251	व्हिस्की	ब्लॉक डाग ट्रीपल गोल्ड रिजर्व	180 मिली.	48	13270	0	10994	0	0	0	11521	0	10994	2276	141	320971
252	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 रिजर्व व्हिस्की	750 मिली.	12	1499	0	1131	0	0	2494	1354	0	1131	368	114635	42185680
253	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 रिजर्व व्हिस्की	375 मिली.	24	1499	0	1131	0	0	2494	1380	0	1131	368	36483	13425744
254	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 रिजर्व व्हिस्की	180 मिली.	48	1499	0	1131	0	0	2448	1397	0	1131	368	108945	40091760
255	व्हिस्की	मेकडोवेलस् ग्रीन लेबल डिलक्स ग्रेन व्हिस्की	750 मिली.	12	1110	0	1036	0	0	0	0	0	1036	74	36	2664
256	व्हिस्की	मेकडोवेलस् ग्रीन लेबल डिलक्स ग्रेन व्हिस्की	375 मिली.	24	1110	0	1036	0	0	0	0	0	1036	74	8	592
257	व्हिस्की	मेकडोवेलस् ग्रीन लेबल डिलक्स ग्रेन व्हिस्की	180 मिली.	48	1240	0	1036	0	0	0	0	0	1036	204	3	612

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
258	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 डाईटमेट प्रिमीयम ग्रेन सुपरिम	750 मिली.	12	1940	0	1800	0	0	0	0	0	1800	140	36919	5168660
259	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 डाईटमेट प्रिमीयम ग्रेन सुपरिम	375 मिली.	24	1945	0	1800	0	0	0	0	0	1800	145	6517	944965
260	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 डाईटमेट प्रिमीयम ग्रेन सुपरिम	180 मिली.	48	1999	0	1800	0	0	0	0	0	1800	199	12907	2568493
261	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 प्लेटिनम प्रिमीयम व्हिस्की	750 मिली.	12	2150	0	1800	0	0	0	0	0	1800	350	34582	12103700
262	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 प्लेटिनम प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	2114	0	1800	0	0	0	0	0	1800	314	6771	2126034
263	व्हिस्की	मेकडोवेलस् नं 1 प्लेटिनम प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	2150	0	1800	0	0	0	0	0	1800	350	13678	4787300
264	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फाईनेस्ट	750 मिली.	12	2305	0	1800	0	0	3709	1969	0	1800	505	25929	13094145
265	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फाईनेस्ट प्रिमीयम व्हिस्की	375 मिली.	24	2350	0	1800	0	0	3687	1994	0	1800	550	3042	1673100
266	व्हिस्की	रॉयल चैलेंज फाईनेस्ट प्रिमीयम व्हिस्की	180 मिली.	48	2315	0	1800	0	0	3596	2029	0	1800	515	4949	2548735
267	व्हिस्की	सिगनेचर प्राइमर ग्रेन व्हिस्की	750 मिली.	12	4340	0	3255	10910	0	5140	3284	0	3255	1086	0	0
268	व्हिस्की	सिगनेचर प्राइमर ग्रेन व्हिस्की	375 मिली.	24	4410	0	3255	10970	0	5140	3284	0	3255	1156	459	530375
269	व्हिस्की	सिगनेचर प्राइमर ग्रेन व्हिस्की	180 मिली.	48	4480	0	3255	10665	0	5150	3400	0	3255	1226	90	110295
270	व्हिस्की	सिगनेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	750 मिली.	12	3800	0	2624	10000	0	4479	2469	0	2469	1331	11892	15822663
271	व्हिस्की	सिगनेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	375 मिली.	24	3850	0	2624	10060	0	4531	2537	0	2537	1313	2106	2766126

सं क.	ब्राण्ड का नाम	लेबल का नाम	बॉटल का साइज	एक पेटी में बोतल की संख्या	कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया क्रय मूल्य (प्रति पेटी)	पड़ोसी राज्यों में क्रय मूल्य (प्रति पेटी)								न्यूनतम मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य का अंतर	विकित मात्रा (पेटी में)	आपूर्तिकर्त्ताओं को पहुंचाये गए अनुचित लाभ की राशि
						महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	झारखंड	उड़ीसा	तेलंगाना	पड़ोसी राज्यों में से न्यूनतम मूल्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (6-14)	16	17 (15 X 16)
272	व्हिस्की	सिगनेचर रेर ऐजेड व्हिस्की	180 मिली.	48	3900	0	2624	9753	0	4500	2585	0	2585	1315	3556	4675607
273	वोदका	स्टोलीच्नया वोदका	750 मिली.	12	12158	11354	0	0	0	0	0	0	11354	805	0	0
274	वाइन	टु ओसियनस् सौविगनॉन ब्लॉन्स वाइन	750 मिली.	12	10331	9808	0	0	0	0	0	0	9808	523	0	0
275	वाइन	टु ओसियनस् शिराज वाइन	750 मिली.	12	10331	9808	0	0	0	0	0	0	9808	523	0	0
कुल																249746807
वर्ष 2015–16 के लिए आपूर्तिकर्ताओं को मिली अनुचित लाभ की राशि का महायोग																1061854679

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आँकड़ें)

अनुलग्नक – 3.3

आबंटिती से वसूल किया गया भू–प्रीमियम और सेवा प्रभार को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.5)

सं क्र.	विवरण	राशि (₹)
1	कम्पनी द्वारा ली गई प्रति हेक्टेयर भूमि की दर	3000000
2	भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	1.94249
3	भूमि का मूल्य (1X 2)	5827600
4	भू–प्रीमियम का मूल्य (भूमि मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट)	2913800
5	उपर्युक्त 3 का 2.50 प्रतिशत की दर पर भू–भाटक	145690

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आँकड़े)

अनुलग्नक – 3.4

मेसर्स सालासार पाईप प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.5)

सं क.	विवरण	राशि (₹)
1	केन्द्रीय मूल्यांकन मण्डल के दि"ाा–निर्दे"ाों के अनुसार भूमि की प्रति हेक्टेयर दर	1725000
2	भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	1.94249
3	भूमि का मूल्य (1x 2)	3350795
4	जोड़ः उपर्युक्त 3 का 100 प्रतिशत की दर से सोलेसियम	3350795
5	जोड़ः उपर्युक्त 3 पर 12 प्रतिशत प्रतिशत की दर से 12 महिने के लिए ब्याज	402095
6	भूमि का कुल मूल्य (3+4+5)	7103685
7	जोड़ः उपर्युक्त 6 पर 10 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार	710368
8	भूमि प्रीमियम का कुल मूल्य (6+7)	7814053
9	रियायती भू–प्रीमियम की वसूली की जाने वाली राशि (उपर्युक्त 8 का 50 प्रतिशत)	3907026
10	उपर्युक्त 8 पर 2.5 प्रतिशत की दर पर वसूली किया जाना वाला भू–भाटक	195351
11	भू–प्रीमियम की वास्तविक वसूली	2913800
12	भू–भाटक की वास्तविक वसूली	145690
13	**भू–प्रीमियम की कम वसूली (पंक्ति 9– पंक्ति 11)**	**993226**
14	**भू–भाटक की कम वसूली (पंक्ति 10– पंक्ति 12) x 99 वर्ष (पट्टाभिलेख के उपवाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अंतराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए)**	**6552924**
15	**भू–प्रीमियम और भू–भाटक की कुल कम वसूली (पंक्ति 13 + पंक्ति 14)**	**7546150**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आँकड़ें)

अनुलग्न –3.5

केएफसीएससीएल द्वारा कम्पनी को किया गया भुगतान और ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.6)

(राशि ₹ में)

माह	प्रारंभिक बकाया राशि	माह के दौरान आपूर्ति किये गये चावल की कुल लागत रेलभाड़ा सहित	प्राप्य कुल राशि	माह के दौरान केएफसीएससीएल से प्राप्त राशि	अंतिम बकाया राशि	ब्याज की हानि की अवधि *(माह में)*	11 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर पर ब्याज की हानि
1	**2**	**3**	**4(2+3)**	**5**	**6(4-5)**	**7**	**8 (स्तंभ 6 x स्तंभ 7 x 11% प्रति वर्ष)**
जुलाई 2013	0	312623147	312623147	450000000	-137376853	1	0
अगस्त 2013	-137376853	293010746	155633893	120000000	35633893	1	326644
सितंबर 2013	35633893	493954424	529588317	350000000	179588317	1	1646226
अक्टूबर 2013	179588317	1615939257	1795527574	850000000	945527574	1	8667336
नवंबर 2013	945527574	437654992	1383182565	1100000000	283182565	1	2595840
दिसंबर 2013	283182565	624287034	907469600	300000000	607469600	1	5568471
जनवरी 2014	607469600	0	607469600	50000000	557469600	1	5110138
फरवरी 2014	557469600	0	557469600	100000000	457469600	1	4193471
अक्टूबर 2014	457469600	0	457469600	0	457469600	8	33547771
सितंबर 2016	457469600		457469600	456846590	623010	23	131351
कुल		**3777469600**	**7163903494**	**3776846590**			**61787249**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आँकड़ें)

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in